A

Interim Report

In The Matter

OF

O.A. NO.-133/2020

Kishan Chand **Applicant(S)**

V/S

State of Uttar Pradesh. **Respondent (S)**

Background:-

The Hon'ble NGT(PB), New Delhi order dated 21/07/2020 mentioned that the grievance in this application is that illegal mining is taking place over forest and river land in Tehsil Nagina, Villages Shankarpur, Telipada, Rajpurkot and also adjoining Villages-Hallowali, Murtjabad, Bawan Sarai, Aurangzebpur Shahli, Kadarganj, Jahanabad, Aurangabad, Sabuwala and Sunderwali. Before proceeding further, a factual and action taken report in the matter was required from the District Magistrate, Bijnor and the U.P State PCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in

In compliance of the above Hon'ble NGT order dated 21/07/2020 a committee was constituted by District Magistrate District Bijnor by office order No.364/N-23/General-2020 dated18-08-2020 (annexed as **Annexure-1**). The committee consists of following five departmental members:-

1. SDM, Nagina, District-Bijnor.
2. Divisional Director, Social Forestry Division, Bijnor./Divisional Forest Officer, Bijnor Van Prabhag, Najibabad, Distt.-Bijnor.
3. Executive Engineer, Irrigation Division, Bijnor.
4. Mining Inspector, Bijnor.
5. Regional Officer U.P. Pollution Control Board, Bijnor.

In compliance of the above office order dated 18.08.2020 the committee has inspected a few of the said sites on 09.11.2020 and found that presently most of the land of village Telipada, Shankarpur, Murtjabad, Hallowali, Rajpurkot is being utilise for habitation & agriculture purposes. (The copy is enclosed as **Annexure-2**).

It is worth mentioning that prior to the taking of cognizance by Honble NGT, the District Magistrate, Bijnor after considering the issue and importance of the matter, by his order dated 11.06.2020 constituted a district level committee and directed in to examine the revenue records and conduct a detailed enquiry and submit a detail report (The copy of order dated 11.06.2020 is annexed as **Annexure-3**).

In district level committee ADM (Finance and Revenue) Bijnor is the chairman and Settlement Officer Chakbandi, Deputy Collector(Judicial First), Sub Divisional Officer, Nagina, Tehsildar ,Nagina are the members of this committee. The district level committee after examining the revenue record, submitted detailed reports of villages namely Telipada, Shankarpur, Murtjabad, Hallowali, Rajpurkot. Committee after examining the revenue record concluded that due to the some prima facie forged entries in revenue record of year 1359 fasli and 1360 fasli, all the land junglejhadi, nadi, rasta, talab of these villages has been recorded in the name of a person named Kunwar Chandrabhan Singh son of Raja Udayraj Singh. Thereafter due to the further transactions the concerned land in these villages has been transferred to many other persons.

P.T.O.

AEE R.D. DFO (MI) EE 24.11.20 24/11/20

District level committee in its detailed enquiry found that the orders by entering in revenue record undue benefit has been provided to Mr. Kunwar Chandrabhan Singh, the concerned orders were found by the committee to be prima facie irregular, illegal and forged (reports of committee regarding village Telipada, Shankarpur, Murtjabad, Hallowali, Rajpurkot are annexed as **Annexure-4**).

In continuation of this report of the district level committee, a high-level committee at the state level has been constituted by government order dated 20.10.2020 (The copy of order dated 20.10.2020 is annexed as **Annexure-5**). A high powered state level committee is seiged of the issue and due thorough examination of records is under process.

In view of the above, therefore, the Hon'ble court is requested to extend and give further time to submit a final report in the matter. Present status is annexed as above.

S.N.	Name	Designation	Signature
1	Mahir Husain	Assistant Environmental Engineer, UPPCB, Bijnor	M Husain
2	J.P. Maurya	Regional Officer, UPPCB, Bijnor	[signature]
3	Brijesh kumar Gautam	Mining Inspector, Bijnor	[signature]
4	Prithi Singh	Executive Engineer, Irrigation Division, Bijnor	[signature]
5	Ghanshyam Verma	S.D.M. Nagina	[signature]
6	Dr. Manoj Kumar Shukla	Divisional Forest Officer, Bijnor Van Prabhag, Najibabad	[signature]

[signature] 24/11/20
District Magistrate
Bijnor

Annexure-01

–:कार्यालय–आदेश:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद सं0–133/2020 किशन चन्द बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक–21.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

" 1. Grievance in this application is that illegal mining is taking place over forest and river land in Tehsil Nagina, Villages Shankarpur, Telipada, Rajpurkot and also adjoining Villages- Halluwali, Murtjabad, Bawan Sarai, Aurangzebpur Shahli, Kadarganj, Jahanabad, Aurangabad, Sabuwala and Sunderwali.

2.Before proceeding further, we require a factual and action taken report in the matter from the District Magistrate, Bijnor and the U.P State PCB within three months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

A copy of this order be sent to the District Magistrate, Bijnor and the U.P State PCB by email for compliance.. ... ."

उक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण की संयुक्त जांच हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के वादित प्रकरण का निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण/कार्यवाही सम्बन्धी आख्या अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ससमय प्रेषित की जा सके।

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–नगीना, जिला–बिजनौर।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर/प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद, जिला–बिजनौर।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बिजनौर।
4. खनन अधिकारी, बिजनौर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

18/8/20

जिलाधिकारी
बिजनौर

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक– 364/N-23/जनरल-2020 दिनांक– 18-8-2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–नगीना, जिला–बिजनौर।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर/प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद, जिला–बिजनौर।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बिजनौर।
4. खनन अधिकारी, बिजनौर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

जिलाधिकारी
बिजनौर

D.M. Sir file

Annexure-02

–संयुक्त निरीक्षण आख्या–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या ओ0ए0 नं0–133/2020 किशन चन्द बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक–21.07.2020 जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"Grievance in this application is that illegal mining is taking place over forest and river land in Tehsil Nagina, Villages Shankarpur, Telipada, Rajpurkot and also adjoining Villages-Hallowali, Murtjabad, Bawan Sarai, Aurangzebpur Shahli, Kadarganj, Jahanabad, Aurangabad, Sabuwala and Sunderwali.

Before proceeding further, we require a factual and action taken report in the matter from the District Magistrate, Bijnor and the U.P State PCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. List for further consideration on 26.11.2020."

उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर के कार्यालय आदेश संख्या 364/एन–23/जनरल–2020 दिनांक 18.08.2020 के द्वारा गठित समिति के अनुक्रम में समिति द्वारा दिनांक 09.11.2020 को उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसील–नगीना, जिला–बिजनौर में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें राजस्व विभाग द्वारा 05 ग्रामों क्रमशः तेलीपाडा, शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली, राजपुरकोट के सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराये गये, जिसके अनुसार ग्राम–तेलीपाडा की 1359 फसली की आधार वर्ष खतौनी में कुल 22 गाटे हैं, जिनमें से 10 गाटे जंगल झाडी के, 07 गाटे नदी तथा 05 गाटे रास्ता के रूप में दर्ज हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 1334 बीघा 16 बिस्वा दर्ज है।

ग्राम–शंकरपुर की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे हैं, जिनमें से 06 गाटे झाडदार जंगल तथा 05 गाटे नदी के रूप में दर्ज हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 570 बीघा 04 बिस्वा है।

ग्राम–मुर्तजाबाद की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे हैं, जिनमें से 5 गाटे जंगल तथा 06 गाटे नदी के रूप में दर्ज हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 859 बीघा 10 बिस्वा है।

ग्राम–हल्लोवाली की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे हैं, जिनमे से 06 गाटे जंगल झाडीदार तथा 03 गाटे नदी व 02 गाटे रास्ता के रूप में दर्ज हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 897 बीघा 16 बिस्वा है।

ग्राम–राजपुरकोट की 1359 फसली की खतौनी में कुल 08 गाटे दर्ज हैं, जिनमें से 02 गाटे जंगल झाडीदार 01 गाटा तालाब व 05 गाटे सड़क खाम के रूप में दर्ज हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 831 बीघा 15 बिस्वा है।

जिला स्तरीय जांच समिति की संलग्न ग्रामवार आख्यानुसार उपरोक्त ग्रामों की ग्राम सभा तथा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की समस्त भूमि अनियमित एवं विधि विरूद्ध ढंग से निजी भूमि के रूप में दर्ज कर दी गयी।

क्रमशः......2....

M Husain AEE R.O. R.O.(F) (MI) RE

यद्यपि ग्राम हल्लोवाली व ग्राम मुर्तजाबाद में वन विभाग द्वारा निजि भूमि से विनियम के फलस्वरूप क्रमशः 12.118 हे0 तथा 19.81 हे0 भूमि वन विभाग को प्राप्त हुयी, जो कि वर्तमान खतौनी ग्राम हल्लोवाली व ग्राम मुर्तजाबाद में वन विभाग के नाम दर्ज अभिलेख हैं (संलग्न उदृरण खतौनी, **संलग्नक क**)।

समिति द्वारा उक्त का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि उक्त ग्रामों में जंगल झाडी, नदी आदि के विभिन्न खसरा नम्बरान पर वर्तमान मे कृषि कार्य किया जा रहा है तथा अनेक स्थानों पर आबादी बनी है। उक्त 05 ग्रामों के अतिरिक्त शेष अन्य ग्रामों की जॉच की जा रही है। ग्राम तेलीपाडा, शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली, राजपुरकोट की प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक–20.11.2020 संलग्न है **(संलग्नक–ख)**।

स्थलीय निरीक्षण के समय समिति के सदस्यगण/प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों के नाम/पदनाम /विभाग/ हस्ताक्षर निम्नवत हैं–

क0सं0	नाम	पदनाम	विभाग	हस्ताक्षर
1	हामिद हुसैन	तहसीलदार, नगीना	राजस्व विभाग तहसील नगीना	[signature]
2	विकास सिन्टोरिया	वन क्षेत्राधिकारी, कोड़िया रेंज, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	वन विभाग	[signature]
3	कपिल कुमार	वन क्षेत्राधिकारी, बढ़ापुर रेंज, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	वन विभाग	
3	पृथी सिंह	अधिशासी अभियन्ता	सिंचाई विभाग	[signature]
4	बृजेश कुमार गौतम	खान निरीक्षक	खनन विभाग	[signature]
5	जे0पी0मौर्य	क्षेत्रीय अधिकारी	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर	[signature]
6	माहिर हुसैन	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर	[signature]

सं लग्नक-क

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1125722020114

ग्राम क्रमांक : 112572 ग्राम का नाम / परगना : हल्लोवाली(बढापुर) तहसील : नगीना जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1425-1430 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------2------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-3-क / कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन।							
00050	वन विभाग / /		2 3 4 5 6 7 8/6मि. 9 10 11	7.8920 0.4170 0.2020 0.9740 0.4300 1.0500 0.7610 0.0510 0.1260 0.2150			
			10	12.1180	₹ 0.00	0	0

कुल गाटे- एक शून्य कुल क्षेत्रफल- एक दो दशमलव एक एक आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: SATISH CHANDRA SHARMA

सक्षम अधिकारी: SATISH SHARMA
तहसील: नगीना जनपद: बिजनौर
दिनांक एवं समय: 21-11-2020 11:10:36

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1125702020114

ग्राम क्रमांक : 112570 ग्राम का नाम / परगना : मुर्तजाबाद(बढापुर) तहसील : नगीना जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1425-1430 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------------------------------2------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-3-क / कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन।							
00101	वन विभाग / /		6/2 10/1 11/3	18.0980 1.1510 0.5690			
			3	19.8180	₹ 0.00	0	0

कुल गाटे- तीन कुल क्षेत्रफल- एक नौ दशमलव आठ एक आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: SATISH CHANDRA SHARMA

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: SATISH SHARMA
तहसील: नगीना जनपद: बिजनौर
दिनांक एवं समय: 21-11-2020 11:10:06

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

संलग्नक-ख

कार्यालय :प्रभागीय वनाधिकारी,बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

पत्रॉक |2023/ दिनॉक नजीबाबाद 20 नवम्बर 2020।

सेवा में

जिलाधिकारी
बिजनौर।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद सं0-133/2020 किशन चन्द बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0।

संदर्भ:- आपका पत्रॉक 3641N-23/जनरल-2020 दिनॉक 18-08-2020, एवं इस कार्यालय का पत्रॉक 1004/22-1 दिनॉक 21-10-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में सादर अवगत कराना है कि वन विभाग को वन भूमि निम्न स्त्रोतो से प्राप्त होती है :-

(1)- गजट नोटिफिकेशन 617/14 दिनॉक 11 अक्टूबर 1952 से प्राप्त भूमि के भारतीय वन अधिनियम 1927की धारा -4 व धारा-20 की घोषणा से प्राप्त भूमि।

(2)- ओल्ड रिजर्व

(3)- भूमि विनियम से प्राप्त भूमि।

बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ग्रामों हल्लोवाली, मुर्तजाबाद, शंकरपुर, राजपुरकोट, तेलीपाड़ा में प्रथम दृष्टया वन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(1)- हल्लोवाली:-

a- न्याया वन बन्दोवस्त अधिकारी बिजनौर एस0 बनर्जी के आदेश सं0 1639 दिनॉक 20-02-1975 द्वारा भूमि विनियम में प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल = 47 बीघा या 18 विश्वा या 29.92 एकड़ या 12.11 हैक्टर,।

b- वन बन्दोस्त अधिकारी के द्वारा धारा-20 की विज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित क्षे0 = 12.115 हेक्टर

c- वन विभाग के नाम अमलदरामद के भूमि का क्षेत्रफल = 12.155 हेक्टर।

(2)- मुर्तजाबाद:-

a- न्याया वन बन्दोवस्त अधिकारी बिजनौर एस0 बनर्जी के आदेश सं0 1639 दिनॉक 20-02-1975 द्वारा भूमि विनियम में प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल = 78 बीघा या 07 विश्वा या 47.39 एकड़ या 19.81 हेक्टर,।

b- वन बन्दोस्त अधिकारी के द्वारा धारा-20 की विज्ञप्ति हेतु प्रस्तावित क्षे0 = 19.81 हेक्टर।

c- वन विभाग के नाम अमलदरामद के भूमि का क्षेत्रफल = 19.81 हेक्टर।

(3)- शंकरपुर :- प्रभाग के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ग्राम शंकपुर में कोई भी वन भूमि विज्ञापित नही हैं।

(4)-राजपुरकोट:- प्रभाग के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ग्राम राजपुर कोट में कोई भी वन भूमि विज्ञापित नही हैं।

(5)-तेलीपाड़ा:- प्रभाग के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ग्राम तेलीपाड़ा में कोई भी वन भूमि विज्ञापित नही हैं।

उपरोक्तानुसार प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ग्राम ,हल्लोवाली, मुर्तजाबाद में न्याया वन बन्दोवस्त अधिकारी बिजनौर एस0 बनर्जी के आदेश सं0 1639 दिनॉक 20-02-1975 द्वारा भूमि विनियम से जो भूमि प्राप्त हुई वह समस्त भूमि वन बन्दोवस्त अधिकारी बिजनौर द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के घोषणा हेतु प्रस्तावित की गई। उक्त समस्त भूमि मौके पर वन विभाग के कब्जे में है तथा इस पर किसी भी प्रकार कोई अवैध खनन नही हो रहा है। वर्तमान में प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ग्राम शंकरपुर ,राजपुरकोट,तेलीपाड़ा, में गजट नोटिफिकेशन 617/14 दिनाक 11 अक्टूबर 1952 के अन्तर्गत कोई भी भूमि अवांटित नही हुई तथा ना ही भारतीय वन अधिनिमय 1927 की धारा-4 व धारा- 20 के अन्तर्गत कोई वन भूमि घोषित है।

अतः वर्तमान में इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक जॉच आख्या प्रेषित है।

भवदीय,

(डा0 मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

Annexure-03

कार्यालय-आदेश

मा० सासद श्री गिरीश चंद्र, लोकसभा नगीना द्वारा मा० मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित पत्र, जिसमें उनके द्वारा उनके क्षेत्र में सोनभद्र जैसी हत्याओं वाली घटना की आशंका जताने एवं भूमाफिया पोर्टल पर, तहसील नगीना के ग्राम तेलीपाड़ा, जाहनाबाद, राजपुर कोट आदि दर्जन भर ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाड़ी, नदी नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराये जाने सम्बन्धी समाचार जनपद में प्रकाशित होने वाले विधान केसरी समाचार-पत्र में, विस्तार से प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त अन्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाना संज्ञानित हुआ है। इसी सम्बन्ध में एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र श्री खवानी सिंह, निवासी मौहल्ला कस्साबान, नगर व तहसील बिजनौर द्वारा भी समविषयक शिकायती प्रार्थनापत्र अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की गहन जाँच कराकर कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः तहसील नगीना के ग्राम तेलीपाड़ा, जहानाबाद, राजपुर कोट एवं प्रकरण से सम्बन्धित अन्य ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाड़ी, नदी नाले, तालाब व रास्तों आदि की सरकारी/सीलिंग आदि की भूमियों के वर्तमान अभिलेखों का मूल अभिलेखों से मिलानकर, स्थलीय एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच करते हुये, तथ्यात्मक जांच आख्या संगत अभिलेखों सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रकार जांच समिति की गठन किया जाता है :-

1. अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) बिजनौर — अध्यक्ष
2. उपजिलाधिकारी, नगीना — सदस्य
3. उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, प्रथम बिजनौर — सदस्य
4. बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बिजनौर — सदस्य
5. तहसीलदार, नगीना — सदस्य

उपरोक्त जांच समिति अतिशीघ्र अपनी जांच रिपोर्ट तैयारकर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगी।

11.6.20

(रमाकान्त पाण्डेय)
जिलाधिकारी, बिजनौर।

कार्यालय जिलाधिकारी (भूलेख-अनुभाग),बिजनौर।

पत्रांक: 454 /सात-भूलेख,डी.एल.आर.सी. दिनांक: 11 जून 2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) बिजनौर।
2. उपजिलाधिकारी, नगीना।
3. उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, प्रथम बिजनौर।
4. बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बिजनौर।
5. तहसीलदार, नगीना।

11.6.20

जिलाधिकारी, बिजनौर।

Annexure 04

कार्यालय उपजिलाधिकारी नगीना, बिजनौर

पत्रांक 189/एस0टी0–2020 दिनांक: 16.10.2020

विषय: मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 133/2020 किशन चन्द बनाम उ0प्र0 सरकार मे पारित आदेश दिनांक 21.07.2020 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी (खनिज)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 577/खनिज अनुभाग–20 दिनांक 14 अगस्त 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे,जिसके अन्तर्गत उपरोक्त विषयंक प्रकरण में प्रार्थी श्री किशनचन्द पुत्र श्री खवानी सिंह द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.02.2020 एवं तत्क्रम में मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2020 के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

तत्क्रम मे अवगत कराना है कि प्रार्थी श्री किशनचन्द द्वारा ग्राम शंकरपुर,तेलीपाड़ा, राजपुरकोट, हल्लावाली, मुर्तजाबाद,बावन सराय, औरंगजेबपुरशाहली,कादरगंज,जहानाबाद,औरंगाबाद,साबूवाला,सुन्दरवाली की कई हजारो एकड़ जंगल,नदी की पर्यावरण/प्राकृतिक सम्पदा की भूमि पर अवैध कब्जा करके खनन आदि करके क्षति पहुँचाये जाने की शिकायत की गयी है। उक्त प्रकरण में मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2020 से पूर्व ही मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील– नगीना के ग्राम– तेलीपाडा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाडी, नदी–नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एवं शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि0 मौ0 कस्सावान, नगर व तहसील– बिजनौर का शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में संज्ञान लेकर जांच हेतु आदेश दिनांक–11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) कीअध्यक्षता में पांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे। जॉच समिति मे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी),उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम),उपजिलाधिकारी नगीना व तहसीलदार नगीना सदस्य है।

गठित जॉच समिति द्वारा ग्राम तेलीपाड़ा,शंकरपुर व मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर के राजस्व अभिलेखो व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया तथा उपरोक्त तीन ग्रमो की जॉच पूर्ण कर दिनांक 15.10.2020को प्रेषित की जा चुकी है। ग्रामवार वस्तु स्थिति निम्नवत है–

1–ग्राम तेलीपाड़ा– ग्राम– तेलीपाडा की 1359 फसली की आधार वर्ष खतौनी में कुल 22 गाटे है, जिनमें से 10 गाटे जंगल झाडी के, 07 गाटे नदी तथा 05 गाटे रास्ता के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 1334–16–0 दर्ज है।समस्त खसरा नम्बर का पृथक–पृथक विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा बीघा –बिस्वा –बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा बीघा –बिस्वां –बिस्वांसी
1	2	जंगल–झाडीदार	14	23–12–0	11	3	नदी	15	6–9–0
2	4	जंगल–झाडीदार	14	23–10–0	12	6	नदी	15	10–19–0
3	8	जंगल–झाडीदार	14	7–12–0	13	9	नदी	15	7–3–0
4	10	जंगल–झाडीदार	14	8–12–0	14	11	नदी	15	35–15–0
5	12	जंगल–झाडीदार	14	0–6–0	15	13	नदी	15	1–14–0
6	14	जंगल–झाडीदार	14	175–13–0	16	19	नदी	15	32–4–0
7	16	जंगल–झाडीदार	14	0–15–0	17	21	नदी	15	2–13–0
							योग		96–17–0
8	18	जंगल–झाडीदार	14	520–13–0					
			14		18	1	रास्ता	15	0–4–0
9	20	जंगल–झाडीदार	14	15–14–0	19	5	रास्ता	15	0 9 0
10	22	जंगल–झाडीदार	14	458–0–0	20	7	रास्ता	15	0–14–0
					21	15	रास्ता	15	0–2–0
	योग 1234–7–0				22	17	रास्ता	15	2–3–0
								योग	3–12–0

कुल गाटे :– 22 कुल क्षेत्रफल :– 1334–16–0

2–ग्राम शंकरपुर–ग्राम शंकरपुर के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम– शंकरपुर की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे है, जिनमें से 6 गाटे झाड़दार जंगल तथा 05 गाटे नदी के रूप में दर्ज है जिनका कुल क्षेत्रफल 570 बीघा 04 बिस्वा, जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा बीघा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा बीघा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	1	झाड़दार जंगल	14	1–9–0	7	2	नदी	15	0–5–0
2	3	झाड़दार जंगल	14	26–13–0	8	4	नदी	15	40–2–0
3	5	झाड़दार जंगल	14	5–2–0	9	7	नदी	15	1–10–0
4	6	झाड़दार जंगल	14	37–15–0	10	9	नदी	15	26–1–0
5	8	झाड़दार जंगल	14	3–15–0	11	11	नदी	15	31–4–0
6	10	झाड़दार जंगल	14	396–8–0					
			योग	471–2–0			योग		99–2–0
कुल गाटे :– 11कुल क्षेत्रफल :– 570 बीघा 4 बिस्वा									

3–ग्राम मुर्तजाबाद–

ग्राम मुर्तजाबाद के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम– मुर्तजाबाद की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे है, जिनमें से 5 गाटे जंगल तथा 06 गाटे नदी के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 859बीघा 10 बिस्वा है। जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	1	जंगल	14	517–18–0	6	2	नदी	15	1–19–0
2	3	जंगल	14	156–16–0	7	4	नदी	15	6–0–0
3	7	जंगल	14	5–2–0	8	5	नदी	15	4–3–0
4	9	जंगल	14	4–10–0	9	6	नदी	15	88–12–0
5	11	जंगल	14	25–5–0	10	8	नदी	15	35–9–0
		योग		709–11–0	11	10	नदी	15	13–16–0
कुल गाटे :– 11कुल क्षेत्रफल :– 859 बीघा 10 बिस्वा								योग	149–19–0

उपरोक्त तीनो राजस्व ग्रामो मे 1359 फसली की खतौनी के जिमन–14 में अंकित जंगल झाडीदार की भूमि अमलदरामद अंकित है कि *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी। इसके उपरान्त आगामी खतौनी 1360 फसली का अवलोकन किया गया। 1360 फसली में खतौनी के जिमन–5 व 6 के समस्त गाटाओं पर अमलदरामद अंकित है कि *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– तेलीपाडा श्री कंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर को बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"* इस प्रकार उपरोक्त दोनो अमलदरामद के आधार पर ग्राम तेलीपाडा की समस्त जंगलझाडीदार, नदी व रास्ता की भूमि कुल रकबा 1334 बीघा 16 बिस्वा बीघा भूमि, इसी प्रकार ग्राम शंकरपुर मे स्थित समस्त जंगलझाडीदार भूमि तथा नदी भूमि कुल रकबा 570 बीघा 4 बिस्वा एवं ग्राम मुर्तजाबाद स्थित समस्त जंगलझाडीदार एवं नदी भूमि कुल रकबा 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह के नाम अंकित कर दी गयी इस प्रकार उपरोक्त तीनो राजस्व ग्रामो की कुल 2764 बीघा 10 बिस्वा भूमि एक ही व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गयी। गठित जॉच समिति द्वारा गहन जॉचोपरान्त उपरोक्त दोनो अमलदरामद कूट रचित अनियमिति एवं विधि विरूद्व पाये गये है|(ग्राम वार समिति की विस्तृत आख्या संलग्न है)।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0शासन राजस्व अनुभाग–1 कार्यालय ज्ञाप संख्या 1032/एक–1–2020–रा0–1 लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर 2020 के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन स्तर से आयुक्त एवं सचिव महोदय मा0राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन भी किया गया है जिसमें जिलाधिकारी महोदय बिजनौर, संयुक्त संचालक चकबन्दी, चकबन्दी विभाग उ0प्र0लखनऊ ,जिला वन अधिकारी बिजनौर सदस्य है।

4–ग्राम सुन्दरवाली

ग्राम सुन्दरवाली के वर्तमान अभिलेखो का मिलान आधार वर्ष फसली 1359 के आधार पर किया जा रहा है। ग्राम सुन्दरवाली में खनन की अनुज्ञा हेतु विभिन्न कृषको के आवेदन के आधार पर खनन अनुज्ञा के लिये प्रस्तावित किये गये है। वर्तमान तक खनन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है--

क0स0	गाटे की वर्तमान स्थिति		
	गाटा	रकबा	नाम / श्रेणी
1	83/2/3	0.759	सोमपाल आदि / श्रेणी–1 क
2	83/2/1	0.759	सोमपाल आदि / श्रेणी–1 क
3	83/1/3	0.759	जावित्री देवी / श्रेणी 1(क)
4	253	0.013	बंजर / श्रेणी–5(2)
5	254	0.493	रामप्रसाद आदि श्रेणी 1(क)
6	255	0.367	गजेन्द्र आदि श्रेणी 1(क)
7	256	0.353	गजेन्द्र आदि श्रेणी 1(क)
8	257	0.481	गजेन्द्र आदि श्रेणी 1(क)
9	266	0.628	पप्पू सिह आदि श्रेणी 1 (क)
10	259	2.946	गुरमीत कोर आदि श्रेणी– 1 (क)
11	264	0.635	रामदयाल पुत्र बुद्ध श्रेणी–1(क)
12	265	0.367	रामदयाल पुत्र बुद्ध श्रेणी–1(क)
13	267	0.664	संजय सिह आदि श्रेणी1(क)
14	67/2	0.506	रामकुमार श्रेणी–1(क)
15	93/2	0.253	कौशिक कुमार श्रेणी– 1(क)
16	94/1	0.506	
17	304/2	0.487	रामपाल श्रेणी–1(क)
योग		10.489	

उपरोक्त खनन अनुज्ञा सम्बंधी खसरा नम्बरान की अभिलेखीय जॉच की गयी।प्रस्तावित उपरोक्त खसरा नम्बरान का 1359 फसली खतौनी व जिल्द चकबन्दी सी एच 40 व 45 के आधार पर मिलान कर आख्या प्रेषित की गयी है। उपरोक्त खनन अनुज्ञा सम्बन्धी खसरा नम्बरान गाटा संख्या 255 के अतिरिक्त आधार वर्ष 1359 फसली के आधार पर भी जंगल,नदी नाले आदि की भूमि से सम्बंधित नही पाये गये है। खसरा संख्या 255 रकबा 0.367हे0 का पुराना गाटा संख्या 198 रकबा 1 वीघा 9 बिस्वा था, जो कि आधार वर्श 1359 में मूलरूप से नदी दर्ज था। यह गाटा सं0 किस प्रकार जिल्द चकबन्दी आकार पत्र 45 मे मोहन प्रताप केसरी हरि सिंह बेटे कुड़वा के नाम दर्ज हुआ तथा तदोपरान्त वर्तमान में गजेन्द्र आदि के नाम श्रेणी–1(क) के अन्तर्गत संकमणीय भूमिधर दर्ज हुआ है। गाटा संख्या 255 के सम्बन्ध में जॉचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

तहसील नगीना के अन्तर्गत किसी भी राजस्व ग्राम से अवैध खनन नही किया जा रहा है, राजस्व व पुलिस विभाग द्वारा सतत निगरानी की जा रही है प्रार्थी श्री किशन चन्द द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.02.2020 मे अंकित अन्य राजस्व ग्रामो के अभिलेखो की जॉच भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित जॉच समिति द्वारा की जा रही है।वर्तमान प्रगति आख्या सेवा मे सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
नगीना 16.10.2020

16-10-20
उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
नगीना (बिजनौर)

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बिजनौर।

पत्रांक :– 300 /आशु0–2020 दिनांक :– 15 अक्टूबर, 2020

विषय :– मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द्र, लोकसभा नगीना द्वारा मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र एवं भूमाफिया पोर्टल पर, तहसील–नगीना के ग्राम तेलीपाड़ा, राजपुर कोट आदि दर्जन भर ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाडी, नदी, नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

महोदय,

मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील– नगीना के ग्राम– तेलीपाडा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाडी, नदी–नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एवं एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि0 मौ0 कस्सावान, नगर व तहसील– बिजनौर का शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में जांच हेतु आदेश दिनांक–11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में पांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे। समिति में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम), उपजिलाधिकारी नगीना व तहसीलदार नगीना सदस्य है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण से आच्छादित राजस्व ग्राम तेलीपाडा, शंकरपुर, मुर्तजावाद के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। ग्रामवार विस्तृत आख्या संलग्न है, ग्रामवार संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार है।

(1) ग्राम तेलीपाडा– अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम– तेलीपाडा की 1358 फसली की आधार वर्ष खतौनी में कुल 22 गाटे है, जिनमें से 10 गाटे जंगल झाडी के, 07 गाटे नदी तथा 05 गाटे रास्ता के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 1334–16–0 दर्ज है समस्त खसरा नम्बर का पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा बीघा –बिस्वा –बिस्वांसी	क्र0 सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा बीघा –बिस्वां –बिस्वांसी
1	2	जंगल–झाडीदार	14	23–12–0	11	3	नदी	15	6–9–0
2	4	जंगल–झाडीदार	14	23–10–0	12	6	नदी	15	10–19–0
3	8	जंगल–झाडीदार	14	7–12–0	13	9	नदी	15	7–3–0
4	10	जंगल–झाडीदार	14	8–12–0	14	11	नदी	15	35–15–0
5	12	जंगल–झाडीदार	14	0–6–0	15	13	नदी	15	1–14–0
6	14	जंगल–झाडीदार	14	175–13–0	16	19	नदी	15	32–4–0
7	16	जंगल–झाडीदार	14	0–15–0	17	21	नदी	15	2–13–0
							योग		96–17–0
8	18	जंगल–झाडीदार	14	520–13–0					
			14		18	1	रास्ता	15	0–4–0
9	20	जंगल–झाडीदार	14	15–14–0	19	5	रास्ता	15	0–9–0
10	22	जंगल–झाडीदार	14	458–0–0	20	7	रास्ता	15	0–14–0
					21	15	रास्ता	15	0–2–0

योग 1234–7–0	22	17	रास्ता	15	2–3–0
				योग	3–12–0
कुल गाटे :– 22 कुल क्षेत्रफल :– 1334–16–0					

(2) <u>ग्राम शंकरपुर</u>– समिति द्वारा ग्राम– शंकरपुर के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम– शंकरपुर की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे है, जिनमें से 6 गाटे झाड़दार जंगल तथा 05 गाटे नदी के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 570 बीघा 04 बिस्वा, जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा बीघा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा बीघा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	1	झाड़दार जंगल	14	1–9–0	7	2	नदी	15	0–5–0
2	3	झाड़दार जंगल	14	23–13–0	8	4	नदी	15	40–2–0
3	5	झाड़दार जंगल	14	5–2–0	9	7	नदी	15	1–10–0
4	6	झाड़दार जंगल	14	37–15–0	10	9	नदी	15	26–1–0
5	8	झाड़दार जंगल	14	3–15–0	11	11	नदी	15	31–4–0
6	10	झाड़दार जंगल	14	396–8–0				योग	99–2–0
			योग	471–2–0					
कुल गाटे :– 11कुल क्षेत्रफल :– 570 बीघा 4 बिस्वा									

(3) <u>ग्राम मुर्तजाबाद</u>– समिति द्वारा ग्राम– मुर्तजाबाद के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम– मुर्तजाबाद की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे है, जिनमें से 5 गाटे जंगल तथा 06 गाटे नदी के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 859बीघा 10 बिस्वा है। जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	1	जंगल	14	517–18–0	6	2	नदी	15	1–19–0
2	3	जंगल	14	156–16–0	7	4	नदी	15	6–0–0
3	7	जंगल	14	5–2–0	8	5	नदी	15	4–3–0
4	9	जंगल	14	4–10–0	9	6	नदी	15	88–12–0
5	11	जंगल	14	25–5–0	10	8	नदी	15	35–9–0
		योग		709–11–0	11	10	नदी	15	13–16–0
कुल गाटे :– 11कुल क्षेत्रफल :– 859 बीघा 10 बिस्वा								योग	149–19–0

उपरोक्त तीनो राजस्व ग्रामों की 1359 फसली खतौनी पर जंगल झाडीदार के खाते पर खतौनी के विवरण कालम में अंकित है कि "<u>*बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत*</u>

दी।" हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी। उपरोक्त तीनो ग्रामों की 1360 फसली में खतौनी पर अमलदरामद अंकित है कि *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा फतेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"*

उपरोक्त अमलदरामद के आधार पर 1362 फसली की खतौनियों में उक्त तीनो ग्रामों की 1359 फसली वर्ष तक जगन–14 व 15 में दर्ज समस्त भूमि श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह के नाम अंकित कर दी गयी। इसप्रकार ग्राम तेलीपाडा की श्रेणी–5 व श्रेणी–6 की समस्त भूमि कुल रकबा 1234–7–0 बीघा, ग्राम शंकरपुर की श्रेणी–5 व श्रेणी–6 की समस्त भूमि 570–4–0 बीघा एंव ग्राम मुर्तजाबाद की श्रेणी–.5 व 6 की समस्त भूमि 859–10–0 बीघा. इसप्रकार उपरोक्त तीनो ग्रामों की समस्त श्रेणी–5 व 6 की समस्त भूमि 2664–01–0 बीघा श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह के नाम अंकित कर दी गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीनो ग्रामों में श्रेणी–5 व 6 की ग्राम सभा की भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं थी। उपरोक्त दोनो अमलदरामद के आधार पर तदुपरान्त समय–समय पर भूमि स्थानान्तरण व नामान्तरण के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्तियों के नाम उपरोक्त ग्रामों में भूमिधर के रूप में दर्ज हुए। समिति द्वारा गहन जांच व अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त विस्तृत विवेचना के आधार पर उपरोक्त दोनो अमलदरामदों को कूटरचित, अनियमित व विधि विरूद्ध पाया गया है।

इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–1 स्तर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1032/एक–1 लखनऊ, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के द्वारा आयुक्त एंव सचिव महोदय, मा0 राजस्व परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में मा0 राजस्व परिषद स्तर पर एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी, बिजनौर, संयुक्त संचालक चकबन्दी, चकबन्दी विभाग, उ0प्र0, लखनऊ व जिला वन अधिकारी, बिजनौर सदस्य है।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में तीन राजस्व ग्रामों की जांच पूर्ण कर ली गयी है (प्रति संलग्न है) तथा अन्य ग्रामों के सम्बन्ध में भी जांच की जा रही है, शीघ्र ही अन्य ग्रामों की जांच आख्या भी प्रेषित की जायेगी। वर्तमान प्रगति आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नक</u> :– यथोक्त

भवदीय,

15/10/20

(अवधेश कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बिजनौर।

जिलाधिकारी,
बिजनौर।
महोदय,

मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील– नगीना के ग्राम– तेलीपाडा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाडी, नदी–नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एंव एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि0 मौ0 कस्सावान, नगर व तहसील– बिजनौर का शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में जांच हेतु आदेश दिनांक–11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में पांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे। समिति में बन्दोबस्त अधिकारी (चकन्दी),उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम),उपजिलाधिकारी नगीना व तहसीलदार नगीना सदस्य है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण से आच्छादित राजस्व ग्रामों में गहन जांच की जा रही है।

समिति द्वारा ग्राम– तेलीपाडा के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम– तेलीपाडा की 1359 फसली की आधार वर्ष खतौनी में कुल 22 गाटे है, जिनमें से 10 गाटे जंगल झाडी के, 07 गाटे नदी तथा 05 गाटे रास्ता के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 1334–16–0 दर्ज है।समस्त खसरा नम्बर का पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा बीघा –बिस्वा –बिस्वांसी	क्र0 सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा बीघा –बिस्वां –बिस्वांसी
1.	2	जंगल–झाडीदार	14	23–12–0	11	3	नदी	15	6–9–0
2	4	जंगल–झाडीदार	14	23–10–0	12	6	नदी	15	10–19–0
3	8	जंगल–झाडीदार	14	7–12–0	13	9	नदी	15	7–3–0
4	10	जंगल–झाडीदार	14	8–12–0	14	11	नदी	15	35–15–0
5	12	जंगल–झाडीदार	14	0–6–0	15	13	नदी	15	1–14–0
6	14	जंगल–झाडीदार	14	175–13–0	16	19	नदी	15	32–4–0
7	16	जंगल–झाडीदार	14	0–15–0	17	21	नदी	15	2–13–0
							योग		96–17–0
8	18	जंगल–झाडीदार	14	520–13–0					
			14		18	1	रास्ता	15	0–4–0
9	20	जंगल–झाडीदार	14	15–14–0	19	5	रास्ता	15	0–9–0
10	22	जंगल–झाडीदार	14	458–0–0	20	7	रास्ता	15	0–14–0
		योग 1234–7–0			21	15	रास्ता	15	0–2–0
					22	17	रास्ता	15	2–3–0
								योग	3–12–0
कुल गाटे :– 22 कुल क्षेत्रफल :– 1334–16–0									

ग्राम– तेलीपाडा की 1359 फसली की खतौनी के जिमन–14 में अंकित जंगल झाडीदार के दस गाटो, जिनका क्षेत्रफल 1234 बीघा 07 बिस्वा पर अमलदरामद अंकित है कि ***"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर कास्त करने की इजाजत दी।"*** हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी। 1359 फसली के नदी के 07 गाटो और रास्ते के 05 गाटों

15/10/20

पर यह आदेश अंकित नहीं है। इसके उपरान्त आगामी खतौनी 1360 फसली का अवलोकन किया गया। 1360 फसली में खतौनी के जिमन– 5 व 6 के समस्त गाटाओं पर अमलदरामद अंकित है कि *"बहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– तेलीपाडा श्री कंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर को बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"* तथा उक्त अमलदरामद के नीचे 1 लगायत 22 उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान अंकित है, जो कि उपरोक्त तालिका के अनुसार जंगल झाडीदार, नदी व रास्ता के रूप में अभिलिखित थे, जिनका कुल क्षेत्रफल 1334 बीघा 16 बिस्वा अंकित है। इस खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1360 फसली के जिमन–14 और जिमन–15 की भूमियों को 1360 फसली में जिमन–5 और जिमन–6 में दर्ज किया गया, जिससे स्पष्ट है कि 1360 फसली में उ0प्र0 जमी0वि0 एंव भू0व्य0अधि0 का कियान्वयन उक्त ग्राम मे किया जा चुका था। इसके उपरान्त आगामी उपलब्ध खतौनी 1362 फसली में प्रश्नगत समस्त 22 गाटाओं के सापेक्ष समस्त भूमि जमन– 1 आसामियान जेरे काश्त भूमिधर के अन्तर्गत श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह सा0 हाल बिजनौर का नाम दर्ज है तथा इसी खतौनी पर कुंवर चन्द्रभान सिंह द्वारा अन्य व्यक्तियों को भूमि अन्तरण किये जाने सम्बन्धी नामान्तरण आदेश भी अभिलिखित हैं। इसके उपरान्त से ही यह भूमि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा समय–समय पर कय विकय के कारण उक्त गाटा अलग–अलग खातों में वर्तमान खतौनी के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है।

प्रकरण की जांच के दौरान दिवाकर सहकारी कृषि समिति लिमिटेड, ग्राम– तेलीपाडा, परगना– बढापुर तहसील– नगीना, द्वारा राजबाला शर्मा, अध्यक्ष द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि के अधिकांश क्षेत्रफल पर उक्त समिति का कब्जा है। समिति द्वारा प्रस्तुत पक्ष में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि ग्राम– तेलीपाडा की उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में कथित प्रविष्टि दिनांकित– 28.5.1952 व 29.9.1953 के सम्बन्ध में न्यायालय असिस्टेंन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, नगीना में वाद संख्या– 03/2004 अन्तर्गत धारा– 33/39 एल0आर0एक्ट सरकार बनाम कुंवर चन्द्रभान सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक– 25.7.2007 के अन्तर्गत उक्त प्रविष्टियां निरस्त कर दी गयी थी, जिसके विरूद्व दिवाकर सहकारी कृषि समिति लिमिटेड, द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त (न्यायिक) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के न्यायालय में निगरानी संख्या– 72/2006–07 अन्तर्गत धारा– 219 एल0आर0एक्ट दिवाकर सहकारी कृषि समिति लिमिटेड बनाम उ0प्र0 सरकार आदि योजित की गयी थी, जिसमें न्यायालय अपर आयुक्त (न्यायिक) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा आदेश दिनांक– 31.01.2008 के अन्तर्गत निगरानी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक– 25.7.2007 को खण्डित करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट है कि उक्त वाद में न्यायालय अपर आयुक्त (न्यायिक) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा दिनांक – 25.6.2007 में प्रश्नगत प्रविष्टियों को दीर्घकालीन मानते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक– 25.7.2007 निरस्त कर दिया गया था तथा एस0डी0जी0सी0 (आर0), नगीना, जिला– बिजनौर के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक– 25.6. 2007 को निरस्त कर पत्रावली पुनः बहस हेतु लगा दी थी तथा पुनः सुनवाई उपरान्त दिनांक– 31.01.2008 को अन्तिम निर्णय पारित किया गया कि *"उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानीकर्ता की प्रश्नगत निगरानी स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय का विचाराधीन निर्णय/आदेश दिनांकित– 25.7.2007 खण्डित किया जाता है एवं पूर्व पारित निर्णय/आदेश दिनांक– 25.6.2007 यथावत रखा जाता है। उक्त निर्णय/आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि सहित अवर न्यायालय का अभिलेख वापस किया जाये। निगरानी पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त अभिलेखागार में संचित की जाये।"*

सन् फसली– 1359 फसली पर अंकित आदेश *"बहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर को पत्र संख्या– 425/एफ0एस0ओ0–2020 दिनांक– 18 अगस्त, 2020 प्रेषित कर इस प्रकार का आदेश सम्बन्धी पत्रावली की आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, तत्कम में सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर, वनप्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 419/25–14 दिनांक– 18.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि *"उक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान शासनादेशों के अनुसार कोई भी वनाधिकारी वन भूमि के सम्बन्ध में इस तरह का आदेश निर्गत करने के लिये सक्षम नहीं है।"*

15/10/20

सन् फसली 1360 फसली की खतौनी पर अंकित आदेश *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– तेलीपाडा श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"* की प्रमाणिकता की जांच के लिये राजस्व अभिलेखागार तहसील– नगीना के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। कुंवर चन्द्रभान सिह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह को भूमिधर दर्ज किये जाने सम्बन्धी वाद का उल्लेख, न तो, प्रश्नगत 1359 फसली की खतौनी पर ही अंकित पाया गया तथा न ही इस प्रकार की कोई पत्रावली राजस्व अभिलेखागार, तहसील– नगीना में संचित पायी गयी है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि तत्समय उ0प्र0 जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम– तेलीपाडा की सन् फसली 1360 की खतौनी तैयार की गयी। जंगल झाडीदार, नदी, रास्ता आदि की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमि है, इन पर नियमानुसार भौमिक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि हाकिम परगना साहब नगीना द्वारा इस प्रकार का कोई प्रशासनिक आदेश पारित भी किया गया है, तो उसे विधिक नहीं माना जा सकता। यह आदेश प्रथम दृष्टया संदेहास्पद पाया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम– तेलीपाडा के प्रकरण में दो आदेश *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* तथा *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा–तेलीपाडा श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"* की विधिमान्यता का प्रश्न अन्तर्निहित है।

ग्राम तेलीपाडा की खतौनी सन फसली 1358 के अनुसार
माग अव्वल 1 नाम मालिकान श्री राजकुमार चन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर 1
जिमन (1) सीर मालिकान लगायत जिमन 13–नदारद
जिमन (14) आरजी काबिल जराअत 1–परती जदीद
2–परती कदीम
3–बंजर काबिल जिराअत आदि–नदारद है
इसी श्रेणी में जंगल नाम से कुल 10 खसरा दर्ज है।
जिमन (15)–गैर मुमकिन 1 आराजी जिसमे पानी है मे नदी है नाम से 7 (सात) खसरा कम में 96 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज है तथा आबादी सडक मकानात वगैरह के तहत रास्ते के कुल 5 खसरा कमांको में 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्ज है तथा खतौनी पर मीजान कुल देह 22 खसरा कमांको मे ग्राम की उक्त कम मे दर्ज कुल भूमि 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि अंकित है और मूलचन्द पटवारी अंकित है।

ग्राम तेलीपाडा की खतौनी सन फसली 1360 के अनुसार भाग अव्वल 1 नाम मालिकान श्री राजकुवर श्री चन्द्रभान सिह साहब खेवट नम्बर 01 अंकन सहित 1358 फसली में वर्णित जिमन 1 से 15 तक के अनुसार अंकन है। केवल जिमन 14 मे जंगल झाड़ीदार अंकित है इसमे भी 1358 फसली के अंकन के समान कुल 10 खसरा कमांको पर 1234 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज है केवल जिमन 14 की इसी भूमि में 10 खसरा कमांको की 1234 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर खतोनी के 9,10,11,विवरण विशेष के कॉलम में बाहुकम 28/5/52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्रभान सिह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी है ह0मूलचन्द पटवारी अन्य जिमन 15 की भूमि 1358 फसली की नदी एवं रास्ता के नाम दर्ज है। समस्त अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन फसली 1358 की ग्राम खतौनी में जिमन 14 मे जंगल के रूप मे दर्ज एवं जिमन 15 मे नदी एवं रास्ते के रूप में कुल 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि थी। ग्राम मे कोई भी जोत क्षेत्र नही था। ग्राम के उक्त 22 गाटो मे किसी भी काश्तकार ने कभी काश्तकारी नही की थी। लगान मुक्त ग्राम का किसी प्रकार का कोई भू धारक नही था। 1359फसली की खतौनी मे जिमन 14 के जंगल के नम्बरो पर एक जंगलात आफिसर के आदेश दिनांक 28.05.1952 को तत्कालीन पटवारी मूलचन्द ने दर्ज कर हस्ताक्षर मे अपना नाम लिखा है।

यहाँ निम्न बिन्दुओ पर समिति ने मुख्य रूप से विचार किया कि –

15/10/22

(1) क्या लेखपाल किसी जंगलात आफिसर का कथित आदेश 1359 फसली के विशेष विवरण के कॉलम मे प्रशासनिक आधार पर दर्ज कर सकता है ?

(2) जंगल झाडी भूमि पर क्या जगंलात आफिसर का अधिकार विधिक रूप से है कि वह जगल झाडी को हटवाकर किसी व्यक्ति को काश्त करने की इजाजत दे सकते है ?

(3) 1359 फसली वर्ष की खतौनी मे दर्ज आदेश की प्रकृति क्या है। समिति इस आदेश को क्या मानती है मानने का आधार क्या है। बिन्दु संख्या ?

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली तक के अभिलेखो से स्पष्ट है कि श्रेणी 14 की जंगल झाडी अंकित भूमि पर जगल झाडीदार ही अंकित है कि यानी इस समय तक किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि की जुताई बुआई काश्त करके नही की थी। । इसकी पुष्टि 1360 फसली की खतौनी पर उपलब्ध फार्म प–15 पर (लैण्ड रिकार्ड मैनुअल के परिच्छेद 66 के अनुसार) तत्कालीन पटवारी समद खॉ द्वारा तैयार कर रखा गया से होती है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा तैयार प–15 में ग्राम की जोत भूमिकर एवं लगान का ब्यौरा है। इससे स्पष्ट कि 1360 फसली मे ग्राम मे काश्त से सम्बंधित सभी एक से पैंतीस तक के कॉलम नदारद हैं। यानी 1359 फसली मे श्रेणी 14 की जंगल झाडी भूमि पर जंगल झाड़ी मौके पर थी। किसी भी काश्तकार का काश्त भूमि पर वैध या अवैध काश्तकारी नही थी। उ0प्र0 भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33(3) मे स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया जा चुका था कि वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) मे कोई भी अंकन परिवर्तन या संव्यवहार बिना कलेक्टर के आदेश के अभिलिखित नही किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध मे वन विभाग से आख्या दिनांक 18.08.2020 मंगायी गयी उससे भी स्पष्ट है कि जंगलात आफिसर को कोई ऐसे अधिकर प्राप्त नही है। उल्लेखनीय है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत भी जंगलात आफिसर को इस प्रकार के अधिकार प्रदत्त नही किये गये है। क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी विधि व्यवस्था मे उक्त प्रकार के प्रशासनिक आदेश को खतौनी (लोक अभिलेखो) मे अंकित करने का कोइ अधिकार नही है। जैसा कि उ0प्र0भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 27 स्पष्ट करती है कि खतौनी व लोक अभिलेख एवं राज्य सरकार की सम्पत्ति स्वरूप है। इस पर बगैर नियमो की व्यवस्था के लेखपाल का अंकित प्रशासनिक प्रकृति का अमलदरामद एवं जंगल विभाग के अधिकारी का आदेश अवैध एवं फर्जी प्रकृति का समिति जॉच मे पाती है। कोई भी अधिकार लेखपाल को बगैर सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश के सीधे अंकन उक्त तत्कालीन प्रचलित विधि व्यवस्था में नही दिया गया था। उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि लेखपाल अथवा वन विभाग के जंगलात आफिसर को ऐसा आदेश अंकन/पारित करने का अधिकार नही रहा है।

<u>बिन्दु संख्या 2–</u>

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली खतौनी में दर्ज जिमन 14 की जंगल झाड़ी के स्वत्व की भूमि पर जंगलात आफिसर को किसी न्यायालय या अधिकारी ने कोई अधिकार हक हित मालिकाना या अन्यथा के रूप मे नही दिया था जिससे वह जिमन–14 की जंगलझाडी भूमि को काश्त करने के लिये अनुमति प्रदान करे। किसी भी विधि व्यवस्था मे नही है कि अवैद्यानिक आदेश को लेखपाल राजस्व अभिलेख खतौनी मे काश्त करने के लिये ग्राम की समस्त हजारो बीघा भूमि पर दर्ज करे। उक्त के कारण समिति का मन्तव्य है कि 1359 फसली की उक्त भूमि पर अंकित आदेश कूटरचित, अवैद्यानिक, अनियमित एंव फर्जी प्रकृति का है। इस कूटरचित आदेश के बाद भी मौके पर काश्त किसी ने नही की जैसा कि 1360 फसली खतौनी में रक्षित प्रपत्र प –15 से स्पष्ट है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा अंकित इस आदेश का जिमन–14 की जंगलझाडी की भूमि की प्रकृति पर कोई प्रभाव नही पडा जैसा कि जोत विवरण प्रपत्र प्र 1360फ0 प–15 मे जोत नदारद अंकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक या सरकारी किसी भी प्रकार की भूमि पर जंगलात आफिसर को कोई अधिकार नही है कि वह काश्त करने के लिये व्यक्ति विशेष को दे सकें। समिति का मानना है कि यह एक कूट रचित अधिकार विहीन ,फर्जी प्रकृति का शून्य आदेश है।

<u>बिन्दु संख्या 3–</u>

15/10/22

परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि 1359 फसली की खतौनी मे जिमन 14 की जंगल झाडीदार नाम से दर्ज भूमि के विशेष विवरण में तत्कालीन लेखपाल द्वारा जंगलात आफिसर के काश्त करने से सम्बंधित व्यक्ति विशेष के नाम का आदेश कूटरचित एवं फर्जी निम्न कारणो से है –

(क) उ0प्र0 भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 4 (8) एवं 4 (9) मे दी गयी परिभाषा के कम मे जंगलात आफिसर न तो न्यायालय है और नही राजस्व अधिकारी जंगलात आफिसर का अगर कोई आदेश हो तो उससे खतौनी मे स्वत्व परिवर्तन के तौर पर अंकित नही किया जा सकता है।

(ख) उ0प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 32 के तहत निर्मित अधिकार अभिलेख खतौनी मे जिमन–14 से जंगल झाडी नाम से एंव जिमन–15 मे नदी एंव रास्ते के नाम से ही अधिकार अभिलेख बना है। इस ग्राम की भूमि पर ऐसा एक भी काश्तकार नही था जो खेती करता हो या अन्यथा भूमि पर काबिज हो। स्पष्ट है कि उक्त भूमि सदैव सार्वजनिक प्रकृति की रही है।

(ग) उ0प्र0 भू0रा0 अधिनियम 1901 की धारा 33 मे स्पष्ट लिखा है कि कलैक्टर अधिकार अभिलेख को अनुरक्षण परिवर्तन या अन्य संव्यवहार कर सकता है जंगलात के अधिकारी ऐसे को अधिकार नही दिये गये हैं। लेखपाल द्वारा अंकित काश्त करने के आदेश के बाद 1360 फ0 की खतौनी मे उपलबध प–15 से स्पष्ट है कि कोई काश्त नही हुयी। जैसा कि प–15 में जोत नदारद अंकित है।

(घ)–जंगल अधिकारी की हैसियत जिमन–14 जंगल झाडी की भूमि के लिये भू– धारक स्थायी या अस्थायी पट्टेदार ठकेदार या अन्य किसी भी प्रकार के तत्कालीन काश्तकारी अधिकार देने की नही थी।

(ङ) उ0प्र0 काश्तकारी अधिनियम 1939 मे दी गयी व्यवस्था के तहत इन्हे सार्वजनिक ,उपयोगिता की भूमि को किसी भी व्यक्ति विशेष को काश्त पर देने का अधिकार प्राप्त नही था। यह ग्राम की भूमि पर किसी भी प्रकार कोई अधिकार नही रखते थे।

() उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त अंकित आदेश कृत्रिम ,जाली, असत्य, अधिकार विहीन एवं कूट रचित है। समिति अपने विश्लेषण में पूर्णतः निसन्देह फर्जी पाकर शून्य मानती है। जैसा कि मा0सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा आदेशो मे भी अवधारित किया गया है कि खतौनी मे किये गये इन्द्राजो को विधि संगत होना चाहिये यदि इन्द्रराज लेखपाल द्वारा गलत नीयत से किया गया या जालसाजी की गयी है या आदेश विधि संगत नही है कि ऐसा इन्द्राज विश्वसनीय नही हो सकता है । तिलकधारी बनाम रामजी ने 1960 एंव ए0जे0 103 श्रीमति सोनवती बनाम श्री राम, ए0आई0आर0 1968 एस0सी0 100 ,विश्वविजय बनाम फखरूल हसन, ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 1485)

उक्त के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर उ0प्र0 जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत राजस्व अभिलेखो का निर्माण किस फसली वर्ष से प्रारम्भ हुआ एवं नियमानुसार कृषको और राज्य के बीच स्थित मध्यवर्तियो के अधिकार आगम और स्वत्व निर्धारित कर खतौनी मे निमार्ण के समय उनकी स्थिति क्या रही । यह जॉच रिपोर्ट मे उल्लिखित करना समीचीन है।

वर्ष 1358 एवं 1359 फसलीं की खतौनियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतोनिया उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के अध्याय 8 के नियम 121 में प–क– 11 के पैरा 124 के कम मे बनी है जो निम्न है–

क0सं0	किसान का नाम उसके पिता का नाम और उसका निवास स्थान	खेती करने की अवधि	खसरे की संख्या	क्षेत्रफल बन्दोबस्ती बीघो मे या एकड में	लगान		विशेष विवरण
					नकदी	जिन्सी लगान का नकद मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
	उन क्षेत्रो के लिये जिनमे 1950ई0का उ0प्र0 जमींदारी विनाष एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नही है						

तथा 1360,1361 एवं 1362 फसली वर्षो की खतोनियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतौनिया उ0प्र0 भू0लेख नियमावली अध्याय 8 के नियम 1क 121 मे प्रपत्र–11 के प्रारूप पर पैरा 124 के कम मे बनी है जो निम्न है–

15/10/20

खाता खतौनी सं0	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	मौरूसिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल बंदोबस्ती बीघो या एकड़ में	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञायें यदि कोई हो उनकी संख्या तथा दिनांक और आज्ञा देने वाले अधिकारी का नाम	आज्ञा का सारांश जो रजिस्ट्रार कानूनगो या पंचायती अदालत द्वारा साक्षीकृत है.	टिप्पणी

इस प्रपत्र पर खतौनी उन क्षेत्रो के लिये बननी थी जिनमे 1950 ई0 मे उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था अधिनियम लागू था। ग्राम मे 1359 फसली मे उ0प्र0जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नही था तथा खतौनिया उ0प्र0 भूलेख नियमावाली के पैरा 124 मे दी गयी खेवट खाते के अंन्तर्गत भूमियो के क्रम मे दी गयी व्यवस्था के तहत जिमन 1 से लेकर 15 तक बनी है खतौनी के भाग अव्वल 1 नाम मालिकान श्री राजकुंवर पुत्र चन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर (1) के साथ जिमन (1) सीर मलिकान लगायत जिमन 13 तक की जोत नदारद अंकित है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा खतौनी पर अंकित रक्षित प–15 पर भी जोत नदारद अंकित है तथा जिमन–14 आराजी काबिल जिरायत मे जगल झाडीदार और जिमन–15 मे नदी और रास्ता अंकित है।

जुलाई 1952 से जून 1953 तक यानी 1360फ0 खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका निर्माण उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के पैरा क–124 के तहत निर्मित है ग्राम की भूमि व्यवस्था को श्रेणीगत कर नियमानुसार ग्राम की भूमियो को जिमन 1 से 6 तक अंकित किया गया है ताकि खतौनी का प्रारूप नियम/पैरा क–121 मे परिभाषित पक–11 के तहत है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं अभिलेखो से स्पष्ट है कि ग्राम में उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू0व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हो चुका था। 1360 फसली (जुलाई 1952–जून 1953 तक) की खतौनी का निर्माण निहित होने के दिनांक 01 जुलाई 1952 से नये प्रारूप प–क –11 पर प–11 के स्थान पर हुआ था। समिति अपनी जॉच से यह पाती है एवं मानती है कि 1360 फसली के प्रारम्भ एक जुलाई 1952 से ही ग्राम में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हो चुका था। दिनांक 01 जुलाई 1952 से ही सभी आस्थान राज्य मे निहित हो गये थे। उपलब्ध ग्राम के राजस्व अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी मे जिमनवार अंकन निम्नवत है–

पहले पेज पर ग्राम क0–96 बही का नाम खतौनी ,महाल का नाम–ग्राम का नाम तेलीपाडा परगना बढापुर, लेखपाल का नाम अब्दुल समद खॉ सनफली–1360 तथा फार्म प–क–11 की पेशानी यानि उ0प्र0 ज0वि0 और भू0व्या0 अधि0लागू क्षेत्र हेतु निर्मित प्रथम खतोनी के तहत अंकन कर तैयार की गयी है। इस खतौनी में जिमन 1 लगायत नम्बर 4 नदारद अंकित है। स्पष्ट है कि ग्राम में किसी प्रकार का कोई काश्तकार खतौनी निर्माण के समय नही था तथा 1360 फसली के प्रारम्भ मे काश्त की कोई भूमि नही थी। फसली 1360 मे जिमन–5 के मद 6 के अन्तर्गत जंगलझाडीदार के नाम कुल 10 गाटो में 1234 बीघा 7 बिस्वा जमीन अंकित है तथा जिमन–6 मद 1 में नदी के नाम 7 गाटे क्षेत्रफल 96 बीघा 17 बिस्वा तथा मद 2 में रास्ते के नाम 5 गाटो में 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्ज है।यह भूमि ज़मींदारी विनाश के पूर्व 1359 फसली की खतोनी मे प–11 पर जिमन 14 व 15 में दर्ज थी। उ0प्र0ज0वि0भू0व्यवस्था अधिनियम की धारा 5 (5क) कि यह क्षेत्र धारा 1(2,3) से आच्छादित नही था यहॉ निहित उपरोक्त प्रपत्रो के अकन से अभिलेखीय प्रमाणक यह सिद्व करते है कि उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम क्षेत्र में समय से लागू हुआ । मध्यवर्तियो के स्वत्व का अर्जन नियमानुसार हुआ और ग्राम मे आबादी न होने के कारण काश्त किसी प्रकार की न होने कारण उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,के प्राविधान में ग्राम की भूमि पर लागू नही हुए तत्कालीन लेखपाल ने 1360 फसली की खतौनी नियत प्रारूप पर जो उ0प्र0ज0 व्यवस्था लागू शुद्वा क्षेत्रो के लिये बनाने पर था और जिमन–14 जंगलझाडीदार अंकन के कुल 10 गाटे क्षेत्रफल 1234 बीघा 07 बिस्वा को अधिनियम की धारा 117 के प्राविधान के तहत ग्राम के गैर आबाद क्षेत्र की यह भूमि जो किसी खातेदार के खाते मे दर्ज नही थी बल्कि जंगलझाडीदार के रूप मे दर्ज थी। खतौनी 1360फ0 मे जिमन–5 मे अंकन इसी प्रकार 1359 फसली की जिमन–15 मे दर्ज नदी तथा रास्ते के रूप मे जो क्रमशः 7 गाटे क्षेत्रफल 96 बीघा 17 बिस्वा तथा 3 बीघा 12 बिस्वा थी को 1360फसली को नियमानुसार जिमन–6 मे दर्ज किया गया। 01जुलाई 1952 से 30 जून 1953

15/10/22

तक की निर्मित उ0प्र0जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की पहली खतौनी में ग्राम तेलीपाडा की कुल 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम सभा सम्पत्ति के तौर पर श्रेणी 5 व 6 मे जंगलझाडीदार व नदी के रूप में दर्ज हुई। राजस्व अभिलेखो 1360फसली खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1360 फसली जून 1951 से 30 जून 1952 तक की परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओ के स्तम्भो मे किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि अंकित नही है। वर्तमान मे राजस्व अभिलेखागार मे रक्षित ग्राम के अभिलेखो मे 1361 फसली की खतौनी उपलब्ध नही है।

1360 फसली 1जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक मे एक प्रविष्टि 1361 फसली (1जुलाई 1953 से 30 जून 1954) की निम्न प्रकार पायी गयी। बाहुकमं श्री हाकिम परगना साहब नगीना तारीख 29.9.1953 आराजी नम्बरी जैल मौजा तेलीपाडा श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेराज सिह जाति राजपूत निवासी हाल बिजनौर का भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे। नम्बर 1 से 22 तक रकबा कुल 22 गाटा मे 1334 बीघा 16 बिस्वा अंकित है। इसी प्रविष्टि के नीचे 1361 फसली की दिनांक 3.5.1954 की एक अन्य प्रविष्टि यथा आदेशानुसार श्रीमानं सी ओ साहिब दिनांक 03.05.54 कुल देह पर लगान 41.111 दर्ज है। उपरोक्त प्रविष्टियो से स्पष्ट है कि उपरोक्त खतौनी 1360फसली एवं 1361फसली के लिये मान्य थी क्योकि उपरोक्त दोनो प्रविष्टियां 1361फ0 वर्ष की है और 1360फसली की खतौनी मे दर्ज है। 1361फसली की उपरोक्त प्रविष्टिंया 1360फसली की खतौनी मे की गयी इसकी पूर्ण सम्भावना है कि 1360फ0 की निर्मित खतौनी ही 1361 मे मान्य थी। वर्ष 1360 फसली मे अंकित दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टियों की जॉच समिति निम्न कारणो से फर्जी काल्पनिक जाली एवं असत्य पाती है।

1–दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टि खतौनी पर पटवारी ने कब अंकित की है यह अंकन न होना ।

2–जब से खतोनी का निर्माण हुआ तब से 1360 फसली यानी 30.6.1953 तक राजस्व अभिलेखो मे ग्राम की कुल 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि सदैव जंगल, रास्ता,नदी के रूप मे दर्ज रहना।

4–उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर 1360 फसली तक कभी भी जोत काश्त या किसी प्रकार के भी काश्तकारो का ना पाया जाना।

5–1359 फसली तक नाम मालिकान मे श्री राजकुंवर चन्द्रमान सिंह साहब खेवट नम्बर 01 जिमन 1सीर मालिकान लगायत जिमन 13 इलाके जोत नदारद अंकित है कि यानि किसी भी प्रकार की कोई जोत नही थी केवल जिमन 14 एवं 15 मे जंगल नदी एवं रास्ते के रूप में दर्ज 1334 बीघा 16 बिस्वा सार्वजनक उपयोग की भूमि थी। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रचलित चौदह प्रकार की जोतदारी व्यवस्था ग्राम मे नही थी जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के बाद चौदह प्रकार की जोतदारी व्यवस्था चार प्रकार की जोत व्यवस्था 1360फ0 की निर्मित पहली खतौनी मे नदारद अंकित है। 1360 फसली की खतौनी मे जिमन 5 मे जंगल झाडीदार एवं जिमन 6 मे नदी एवं रास्ते मे भूमि नियमानुसार दर्ज हुई। 1360 फसली 01जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की समाप्ति तक 1334 बीघा 16 बिस्वा उक्त भूमि श्रेणी 5 एवं 6 मे जंगल झाडी नदी एवं रास्ता के नाम दर्ज है। दिनांक 29.9.1953 यानी 1361 फसली वर्ष का कथित आदेश 1360 फसली के विशेष विवरण कॉलम मे दर्ज है। जिससे समस्त 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि एक व्यक्ति कुंवरचन्द्रभान सिंह पुत्र उदेराज सिंह जात राजपूत निवासी हाल बिजनोर के नाम अंकित कर दी गयी । जमींदार को बगैर काश्त की भूमि पर उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्थां अधिनियम की धारा 117 एवं 132 से आच्छादित भूमि पर भूमिधर के रूप मे अंकित करना अनियमित एवं अवैधानिक कृत्य है।

7–उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 6 (8) में जंगल की स्थिति स्पष्ट कर लिखा है कि वह विस्तृत भू भाग जो मुख्य रूप से वृक्षो एवं झाडियो से आच्छादित हो वह धारा 6(10) सभी जल प्रणालिया यानि नदी आदि तथा सार्वजनिक रास्तो की भूमि पहले राज्य सरकार मे निहित हुई एवं राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 117 के अधीन ग्राम सभा मे निहित कर दिया।

8–ग्राम की समस्त भूमि यानी जंगलझाडीदार नदी एवं रास्ते से सम्बंधित कुल 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता की भूमियो के रूप मे थीं उ0प्र0 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 से आच्छादित होने के कारण इन भूमियो पर भूमिधर अधिकार उत्पन्न नही होते है।

9–उ0प्र0ज0वि0 व्यवस्था अधिनियम की धारा 195 से 198 तक की दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त भूमि न काश्त के लिये उठायी जा सकती थी और न ही उसका आवंटन किया जा सकता था एवं उक्त भूमि उ0प्र0ज0वि0 भू0व्यवस्था अधिनियम की धारा 195(5) मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार रिक्त भूमि ही नही थी। सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि जो ग्राम समाज सतत दर्ज चली आ रही भूमि का आवंटन का अधिकार भी परगनाधिकारी को नही था।

15/10/20

10–धारा 196 मे दी गयी व्यवस्था के तहत भी यह मध्यवर्ती के सीरदार के रूप में उठायी भी नही जा सकती थी।

11–परगनाधिकारी को मध्यवर्ती ग्राम सभा का मालिकान हक को आवंटन की विधा मे ग्राम की समस्त भूमि 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर जंगल, नदी, रास्ता की सतत दर्ज चली आ रही भूमि पर ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम मे नही दिया गया है।

12–1360 फसली वर्ष तक सतत रूप से जंगल झाडीदार नदी के रूप में दर्ज भूमि जिस पर कभी भी कोई काश्तकार मालिकान या व्यक्ति किसी रूप मे काबिज नही रहा। मालिकाना अंकित होने के नाते जब कि मालिकान के सभी अधिकार आगम जमींदारी समाप्ति पर सरकार मे निहित हो गये।

13–ग्राम की सम्पूर्ण भूमि जिमन 14 जिमन 15 थी बाद मे 1360फ0 मे जिमन–5 एवं जिमन 6 मे परिवर्तित हुई ग्राम की भूमियो पर कोई लगान की देयता नही थी। जोत या काश्त के रूप में भूमि पर जमींदार का कभी वैध एवं अवैध कब्जा नही था। ग्राम की सम्पूर्ण भूमि पर जमीदार का कब्जा कभी न होने के कारण ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229 (ख) से भी आच्छादित आदेश नही है। इस अमलदरामद में वाद संख्या का भी उल्लेख नही है।

14–जमींदार श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेयराज सिंह को ही बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे। मूलतः 1360फसली की खतौनी मे जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने तथा नियत प्रपत्र पक–11 पर खतौनी निर्माण के एक वर्ष तीन माह बाद दिनांक 29.9.1953 को 1361 फसली वर्ष का आदेश 1360 फसली की खतोनी मे अंकित किया गया । इस प्रकार उक्त अंकन जमींदारी विनाश के बाद का है। उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 130 मे भूमिधर की वैद्यानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है–

(क)–ऐसे व्यक्ति जो आस्थानो के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा 18 के अधीन भूमिधर हुए।

(ख)–ऐसे व्यक्ति जो उ0प्र0जमीदारी विनाशभूमि व्यवस्था अधिनियम के निर्देषो के अधीन या अनुसार भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर ले। धारा 18 के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमिधर नही बना । स्वतः भूमिधर काश्तकारो एवं अन्य काश्तकारो की स्थिति जिमन 1 लगायत 4 नदारद 1360 फ0 मे स्पष्ट लिखी है।

अधिनियम की किसी भी धारा मे यह अंकन नही है कि जो भूमि जिमन 14 जंगल जिमन 15 नदी या रास्ते की जमींदारी विनाश के पूर्व सदैव दर्ज रही हो और उसको सही मानकर जमींदारी विनाश के बाद जिमन 5 जंगल एवं जिमन 6 नदी रास्ते बाद जिमन–5 जंगल एवं जिमन–6 नदी रास्ते की भूमि के रूप मे ग्राम सभा सम्पत्ति के रूप मे धारा 117 के तहत दर्ज हुई हो,उस पर कोई हाकिम परगना किसी व्यक्ति को भूमिधर अंकित कर सकते हो। भूमि पर कभी भी कोई काश्त नही हुई सदैव भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की रही, धारा 132 की भूमि पर किसी व्यक्ति को भूमिधर के अधिकार उत्पन्न नही होगें। स्पष्ट है कि धारा 130 से उक्त अंकन पूर्णतः बाधित है।.

15–जमींदारी उन्मूलन के पूर्व प्रत्येक ग्राम के लिये दो अधिकार अभिलेख खेवट और खतौनी हाते थे। खतौनी 1359 फसली खतौनी अवलोकन से परिलक्षित होता है कि श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर 1 इस ग्राम के जमींदार थें। 1360फसली के खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है खेवट महाल नम्बर 1 पर दर्ज जमींदार जो कि उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 32 यानी खेवट अधिकार अभिलेख से सम्बंधित है पर नियमानुसार प्रतिकर निर्धारित कर खेवट एंव जमीदारी समाप्त की गयी एवं उ0प्र0 लैण्ड रेवेंन्यू एक्ट 1901 की धारा 32 मे वर्णित अधिकार अभिलेख यानी खतौनी अवशेष बची जिसमे जिमन–5 मे जंगल एवं जिमन–6 मे नदी नियमानुसार दर्ज हुई।

16–1359 फसली वर्षकी खतौनी के अंकन से स्पष्ट कि खेवट मे मालिकाना हक यानी बतौर जमींदार कुंवर चन्द्रभान का नाम अंकित है। किन्तु 1359फ0 तक के ग्राम मे कभी भी जोत की भूमि नही थी सभी भूमिया जिमन–14 एवं 15 की थी। खेवट मध्यवर्ती जमींदार/मालिकान से सम्बंधित थी नियमानुसार जमींदारी विनाश के बाद प्रतिकर निर्धारित कर इसे समाप्त कर दिया गया और जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार के नाम का अकंन समाप्त हो गया तथा खतौनी जिसमे कौन जोतदार यानी काश्तकार किस हैसियत मे है जमींदारी विनाश के बाद यही अधिकार अभिलेख रखा जाता हैं का निर्माण 1360 फसली मे हुआ। ग्राम मे कभी भी कोई काश्तकार किसी भी प्रकार का न होने के कारण पूर्व की जिमन 14 जंगल की भूमि जिमन–5 जंगल मे दर्ज हुई एवं जिमन–15 नदी व रास्ते की भूमि जिमन–6 मे नदी व रास्ते के रूप में दर्ज हुई। जमींदारी विनाश के बाद ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के विधानो

15/10/20

के विरुद्व पुनः ग्राम की सार्वजनिक उपयोग की सम्पूर्ण भूमि पर उसी जमींदार का नाम अंकित कर दिया गया जो कि एक काल्पनिक, असत्य एवं अनियमित प्रविष्टि है।

17–यू0पी0लैण्ड रेवन्यू रिकार्ड एक्ट कीधारा 1901 द्वारा जमींदार को कोई सीरदारी से सम्बंधित अधिकार प्रदत्त नही थे।स्पष्ट है कि श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह को श्रेणी–14 एवं श्रेणी–15 की उक्त भूमि के सीरदार अधिकार कभी प्राप्त नही थे।जैसा कि उ0प्र0 काश्तकारी अधिनियम 1939 कीधारा 8 से भी स्पष्ट है।

18–अधिसूचना संख्या 365/1–क ग(ज)68 दिनांक 05.12.1968 उ0प्र0 गजट मे 14 दिसम्बर 1968 को प्रकाशित हुई जिस पर कलेक्टर परगनाधिकारी को कुछ कार्यो के करने के तहत कलेक्टर की शक्तियॉ प्राप्त है। ग्राम मे उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद उक्त अधिसूचना के पूर्व किसी आदेश का अंकन बगैर कलेक्टर के आदेश के नही हो सकता था। जैसा कि उ0प्र0ज0वि0अधि0से भी स्पष्ट किया गया है.उ0प्र0रा0अधिनियम 1901 की धारा 33 मे खतोनी (वार्षिक रजिस्टर) के अभिलेख के लिये उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1सन 1951 से स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वार्षिक रजिस्टर मे कोई भी परिवर्तन संव्यवहार कलेक्टर के आदेश के बिना अभिलिखित नही किया जा सकता था।

19–भूमिधरी अधिकार काश्तकारी अधिकार का उच्च प्रकार है और भूमिधर की परिस्थिति केवल काश्तकार के रूप में है ग्राम मे सार्वजनिक उपभोग जंगल ,नदी,एवं रास्ते पर कभी भी किसी प्रकार को काश्त एवं काश्ताकरो का वर्णन 1362 फसली की खतौनी के पूर्व के राजस्व अभिलेखो मे नही मिलता है। फसली 1360–61 फ0 की खतौनी पर रक्षित अभिलेख प–15 के अवलोकन से स्पष्ट है जिसमें सभी प्रकार काश्त जोत नदारद अंकित है । ऐसी स्थिति में 1361फसली वर्ष की खतौनी मे नदी, जंगल, रास्ते की भूमि को भूमिधरी अंकित करना एक कल्पना के आधार पर मिथ्या एवं फर्जी अंकन का कृत्य है।

20–ज0वि0अधि0 के पूर्व की भूमि विधि मे दी गयी चौदह किस्म की काश्तकारियो मे कोई भी काश्तकारी ग्राम की भूमि पर कभी नही रही और जमीमंदारी विनाश के बाद 1360फ0 मे मे भी निर्मित चार जोतदारो/काश्तकारो मे कोई भी ग्राम मे काश्तकार नही था। विशुद्व रूप से ग्राम की समस्त 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में जंगल एवं रास्ते के रूप मे दर्ज थी जिस पर भूमिधरी अधिकारी मिलने का कोई भी प्राविधान नही है। इस भौमिक सम्पत्ति का पर्यवेक्षण, प्रबंधन, संरक्षण, और नियंतत्रण का भार केवल ग्रामसभा को था। अंकित कथित आदेश में ग्राम सभा की कोई भूमिका परिलक्षित नही होती है।

21–खतौनी की परिभाषा उ0प्र0 भूमिलेख नियमावली के अध्याय 8 के पैरा क–121 के अभिलखित है इसमे लिखा है कि खतौनी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 32 (5)एवं 32 के अनुसार यह उन व्यक्तियो की एक पंजी है जो किसी महाल की या ग्राम सभा की भूमि पर खेती करते हो या अन्य प्रकार से काबिज या अध्यासीन हो। ग्राम मे 1360फसली तक समस्त 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर कोई व्यक्ति इस प्रकार काबिज काश्त नही था। प्रपत्र–15 1360फ0 से स्पष्ट है कि 15 मौरूसी काश्तकार जिनमे विशेष अधिकार प्राप्त मौरूसी काश्तकार गैर दखलीकार काश्तकार दूसरे काश्तकार व रियायती लगान वाले कांश्तकार तथा बागदार आदि सभी प्रकार के समस्त काश्तकार नदारद अंकित है भूमि जिमन–14, एवं 15 से जिमन 5 एवं 6में अंकित हुई है कोई काश्तकार नही कोई जोत क्षेत्र नही है कोई लगान नही है। इसके बावजूद लेखपाल ने समस्त 1334 बीघा 16 बिस्वा पर जमींदारी विनाश के बाद भी जमींदार का नाम मनगढंत एवं कूट रचित तरीके से सार्वजनिक उपयोग की धारा 132 की भूमि पर अंकित किया गया यह अंकन लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी का नही है स्वत्व की घोषणा की श्रेणी का भी नही है प्रशासनिक रूप से सक्षम अधिकारी घोषित नही है क्योकि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इसे अवलोकित नही किया गया तथा तत्समय खतौनी मे आदेश का अंकन व अवलोकन करने का अधिकार भी परगनाधिकारी को प्राप्त नही था। इस प्रकार का यह आदेश उ0प्र0कातश्तकारी अधिनियम 1939में अध्याय 3 की धारा 21 में परिभाषित समस्त आसामियान के कम का नही है और उ0प्र0 जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 21,187,187क और 210 ग के कम का भी अंकन नही है। अंकित आदेश उक्त के तहत मनगघड़न्त काल्पनिक एवं मिथ्या समिति जॉच मे पाती है। समिति जॉच में इसे काल्पनिक जाली अनियमित मिथ्या एंव फर्जी पाती है।

उक्त के अतिरिक्त 1362 फसली की उपलब्ध खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट यह खतौनी प्रपत्र प–क–11 पर बनी है। श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेयराज सिंह सा0हाल बिजनौर अंकित है और इसमे सभी जिमन–5 जंगल के 10 गाटे क्षेत्रफल 1234 बीघा 07 बिस्वा और रास्ते के 5 गाटा रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा तथा नदी के 7 गाटा रकबा 96 बीघा 17 बिस्वा इनके नाम दर्ज कर दिये गये। इस प्रकार 1362 फसली की खतौनी में सार्वजनिक उपयोग की समस्त धारा 132 की भूमि 22 गाटो की कुल 1334 बीघा 16

15/10/20

बिस्वा भूमि जमींदारी विनाश के बाद मध्यवर्ती उसी जमींदार के नाम अंकित कर दी गयी और खतौनी में अव्वल जिमन एक लिखकर उसकी विशेषता असामियान जेरे काश्त भूमिधर अंकित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिन क्षेत्रों में ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ वहाँ की खतौनिया प्रपत्र प-क-11 पर उ0प्र0 भूलेख नियमावली के पैरा क-124 में अंकित खातो (जोतो) की व्यवस्था के कम में रक्षित हुई। असामियान जेरे काश्त भूमिधर अंकन की व्यवस्था जिमन के तहत इसमे परिभाषित नही है। सम्पूर्ण भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम का अंकन उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले घोषणात्मक वाद में भूमि की प्रकिया में आदेश के तहत ही आ सकता है। किन्तु सार्वजनिक उपभोग धारा 132 की भूमि पर प्रशासनिक प्रकृति के आदेश के तहत 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर जमींदार के नाम का अंकन यू0पी0काश्तकारी अधिनियम 1939 अथवा ज0वि0एवं0 भूमि व्यवस्था अधिनियम या अन्य किसी भी व्यवस्थाओ में नही दिये गये है । अंकित आदेश उक्त के तहत मनगघड़न्त काल्पनिक एवं मिथ्या समिति जॉच मे पाती है।

22–मध्यवर्ती कुंवरचन्द्रभान सिंह को 1360फ0 का उक्त ग्राम की समस्त भूमि में से इनके कब्जे में न कोई सीर थी न कोई खुदकाश्त थी और न ही मध्यवर्ती के रूप में कोई भूमि नही थी।इसलिये जमींदारी विनाश के बाद इनका नाम 1360फ0 निर्मित खतौनी के मूल खातो में अंकित नियमानुसार नही हुआ। इनका नाम खेवट में दर्ज जमींदार के रूप में था जिसका निराकरण उ0प्र0ज0वि0व्य0 अधिनियम की धारा 32 के तहत कर खेवट समाप्त कर इनकी जमींदारी समाप्त कर दी गयी। पुनः जमींदार का नाम जमींदारी समाप्ति के बाद में राजस्व के लिये निर्मित खतौनी मे सार्वजनिक उपभोग की ग्राम सभा की भूमि पर प्रशासनिक रूप से लिखकर करना एक अनियमित एवं स्वेच्छाधारी कूट रचित कृत्य है।

उक्त के साथ 1362 फसली खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उपयोग की सम्पूर्ण भूमि असामियान रूपी प्रथम हैसियत मानकर जिमन 1 में कुंवर चन्द्रभान सिह जमीदार के नाम दर्ज हुए एवं नायब तहसीलदार के द्वारा ता0फैसला 16.11.1995 अंकित कर मु0नं0 32,34,27,29–,33,29,26,33,28,31,,30 अंकित कर कुंवरचन्द्रभान सिंह का नाम खारिज होकर दिल्ली निवासी कलकत्ता निवासी, मिर्जापुर निवासी एवं कोटद्वार निवासी व्यक्तियो के नाम लगभग 585 बीघा भूमि को अंकित किया गया है। यह सभी नामांतरण 5.0586 हे0 (12.50 एकड) से अधिक है। उत्तराधिकारी ,विक्रय विलेख, आदि का उल्लेख नही है। कथित प्रविष्टि मनमाने तरीके से एक व्यक्ति के नाम 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि अंकित होने के उपरान्त यह अंकन कूट रचित, प्रविष्टियो को बचाने एवं अपने परिचितो या फर्जी नामो का अनियमित रूप से अंकन के कम का है। जमींदार का नाम सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बतौर असामियान दर्ज हुआ तथा असामियान को उ0प्र0ज0वि0अधिनियम की धारा 153 उसके स्वत्व के अंतरण से प्रतिबंधित करती है धारा 153 एवं 154 का स्पष्ट उल्लंघन होने के बाद भी नायब तहसीलदार के कथित आदेश अंकित है।

वर्तमान में उपजिलाधिकारी नगीना की आख्या से स्पष्ट है कि तहसील स्तर पर ग्राम का आर–6 रजिस्टर तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही है। तत्कालीन नायब तहसीलदार के कथित उक्त वादो की पत्रावलियां भी रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय तहसील नगीना और अभिलेखागार बिजनौर में उपलब्ध नही है। उपरोक्त विश्लेषण से समिति का मानना है कि खतौनी में 1360 फसली में मूल रूप से निर्मित खतौनी में जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के बाद सबसे पहले बनी उसमे ग्राम तेलीपाडा की समस्त भूमि कुल 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के रूप मे जिमन–5 एवं 6 में कमशः जंगल झाडीदार एवं नदी, व रास्तें के रूप में दर्ज हुई। 1361 फसली में तत्कालीन लेखपाल द्वारा लिखित प्रविष्टि पर जमींदारी विनाश के बाद भी उसी जमींदार का नाम स्वयं की कल्पना के आधार पर मनघड़न्त,अनियमित, स्वेच्छाचारी, फर्जी कूट–रचित के रूप से अंकित किया गया। 1360 फसली वर्ष की खतौनी में 1361फसली वर्ष में अंकित फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि से ही आगे की खतौनिया बनी एवं अवैध रूप से लोगो के नाम का अंकन हैं। 1360फसली की नवीन खतौनी के निर्माण के समय ही ग्राम की समस्त 1334 बीघा 16 बिस्वा भूमि जो कि 1359 फसली तक जिमन–14 एवं जिमन–15 की थी पर किसी प्रकार का भी हक विवाद नहीं था। जैसा कि 1360फ0 के प्रपत्र–15 के अवलोकन से स्पष्ट है। किसी भी तत्कालीन प्रचलित नियमो अधिनियमो की विधिक व्यवस्था या न्यायिक प्रकिया के अनुरूप इस प्रविष्टि का अंकन नही किया गया है। लेखपाल द्वारा अंकित कूट रचित तरीके से इस प्रविष्टि को फर्जी होने के कारण इस पर आधारित बाद के वर्षो के सभी आदेश स्वतः विधि विरूद्ध एवं शून्य प्रकृति के हो जाते है।

15/10/20

प्रश्नगत प्रकरण में जॉचोपरान्त श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि का ब्यौरा निम्नवत है–

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा बीघा –बिस्वा –बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा बीघा –बिस्वां –बिस्वांसी
1	2	जंगल–झाडीदार	5	23–12–0	11	3	नदी	6	6–9–0
2	4	जंगल–झाडीदार	5	23–10–0	12	6	नदी	6	10–19–0
3	8	जंगल–झाडीदार	5	7–12–0	13	9	नदी	6	7–3–0
4	10	जंगल–झाडीदार	5	8–12–0	14	11	नदी	6	35–15–0
5	12	जंगल–झाडीदार	5	0–6–0	15	13	नदी	6	1–14–0
6	14	जंगल–झाडीदार	5	175–13–0	16	19	नदी	6	32–4–0
7	16	जंगल–झाडीदार	5	0–15–0	17	21	नदी	6	2–13–0
8	18	जंगल–झाडीदार	5	620–13–0			योग		96–17–0
					18	1	रास्ता	6	0–4–0
9	20	जंगल–झाडीदार	5	15–14–0	19	5	रास्ता	6	0–9–0
10	22	जंगल–झाडीदार	5	458–0–0	20	7	रास्ता	6	0–14–0
		योग 1234–7–0			21	15	रास्ता	6	0–2–0
					22	17	रास्ता	6	2–3–0
								योग	3–12–0

कुल गाटे :– 22 कुल क्षेत्रफल :– 1334–16–0

मा0उच्चतम न्यायालय मे सिविल अपील संख्या 1132(सी)/2011 विशेष अनुज्ञा याचिकासंख्या सी 3109/2011 परिवर्तित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सी)19869/2010 जगपाल सिह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं अपील (सी)4787/2011,हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 25.07.2001 एवं रिट याचिका संख्या 6472(एम/बी)/2012 ओमप्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओ के तालाब, पोखर,नदी, चारागाह आदि को उनके मूल रूप मे संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जनहित याचिका संख्या 1769/2019 दिनेशचन्द सचान बनाम उ0प्र0 राज्य व 5 अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.011.2019 के अन्तर्गत भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को मूल रूप में संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

समय समय पर उक्त श्रेणी 5 व 6 की भूमि के हस्तांतरण के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्तियो के नाम दर्ज हो गये हे किन्तु नियमतः श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि अहस्तांतरणीय है। अतः इस प्रकार श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को वर्तमान खतौनी के अनुसार दर्ज विभिन्न व्यक्तियो के नाम सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा निरस्त कर भूमि को उसकी मूल श्रेणी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

तहसीलदार, नगीना

आख्या सेवा में सादर प्रेषित।
बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)
बिजनौर

उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम)
बिजनौर

उपजिलाधिकारी,
नगीना

12/10/20
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बिजनौर।

जिलाधिकारी,

बिजनौर।

महोदय,

मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील– नगीना के ग्राम– तेलीपाडा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाडी, नदी–नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एंव एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि0 मौ0 कस्सावान, नगर व तहसील– बिजनौर का शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में जांच हेतु आदेश दिनांक–11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में पांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे।जॉच समिति मे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी),उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम),उपजिलाधिकारी नगीना व तहसीलदार नगीना सदस्य है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण से आच्छादित राजस्व ग्रामों में गहन जांच की जा रही है।

समिति द्वारा ग्राम– शंकरपुर के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम– शंकरपुर की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे है, जिनमें से 6 गाटे झाड़दार जंगल तथा 05 गाटे नदी के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 570 बीघा 04 बिस्वा, जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा बीघा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा बीघा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	1	झाड़दार जंगल	14	1–9–0	7	2	नदी	15	0–5–0
2	3	झाड़दार जंगल	14	26–13–0	8	4	नदी	15	40–2–0
3	5	झाड़दार जंगल	14	5–2–0	9	7	नदी	15	1–10–0
4	6	झाड़दार जंगल	14	37–15–0	10	9	नदी	15	26–1–0
5	8	झाड़दार जंगल	14	3–15–0	11	11	नदी	15	31–4–0
6	10	झाड़दार जंगल	14	396–8–0					
			योग	471–2–0				योग	99–2–0
कुल गाटे :– 11कुल क्षेत्रफल :– 570 बीघा 4 बिस्वा									

ग्राम– शंकरपुर की 1359 फसली की खतौनी में अंकित जंगल झाडीदार के 6 गाटो, जिनका क्षेत्रफल 471 बीघा 2 बिस्वा पर अमलदरामद अंकित है कि ***"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"*** हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी। 1359 फसली के नदी के 5 गाटो पर यह आदेश अंकित नही है। इसके उपरान्त आगामी खतौनी 1360 फसली का अवलोकन किया गया। 1360 फसली में खतौनी के जिमन– 5 व 6 के समस्त गाटाओं पर अमलदरामद अंकित है कि ***"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.3.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– शंकरपुर पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"*** तथा उक्त अमलदरामद के नीचे 1 लगायत 11 उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान अंकित है, जो कि उपरोक्त तालिका के अनुसार जंगल झाडीदार, व नदी के रूप में अभिलिखित थे, जिनका कुल क्षेत्रफल 570बीघा 04 बिस्वा अंकित है। इस खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1359 फसली के जिमन–14 और जिमन–15 की भूमियों को 1360 फसली में जिमन–5 और जिमन–6 में दर्ज किया गया, जिससे स्पष्ट है कि 1360 फसली में उ0प्र0 जमी0वि0 एंव भू0व्य0अधि0 का कियान्वयन उक्त ग्राम मे किया जा चुका था। इसके उपरान्त आगामी उपलब्ध खतौनी 1362 फसली में प्रश्नगत समस्त 11 गाटाओं के सापेक्ष समस्त भूमि जिमन– 1 क भूमिदार जो हस्ब दफा 137 करार दिये गये हो के अन्तर्गत कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह सा0 बिजनौर का नाम दर्ज है। इसके

15/10/20

उपरान्त से ही यह भूमि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा समय-समय पर क्रय विक्रय के कारण उक्त गाटा अलग-अलग खातों में वर्तमान खतौनी के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है।

सन् फसली- 1359 फसली पर अंकित आदेश *"बाहुक्म 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर को पत्र संख्या-425/एफ0एस0ओ0-2020 दिनांक- 18 अगस्त, 2020 प्रेषित कर इस प्रकार का आदेश सम्बन्धी पत्रावली की आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, तत्क्रम में सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर, वनप्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-419/25-14 दिनांक- 18.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि *"उक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान शासनादेशों के अनुसार कोई भी वनाधिकारी वन भूमि के सम्बन्ध में इस तरह का आदेश निर्गत करने के लिये सक्षम नहीं है।"*

सन् फसली 1360 फसली की खतौनी पर अंकित आदेश *"बाहुक्म श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा- शंकरपुर पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा रुदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे"* की प्रमाणिकता की जांच के लिये राजस्व अभिलेखागार तहसील- नगीना के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। कुंवर चन्द्रभान सिह पुत्र राजा रुदेराज सिंह को भूमिधर दर्ज किये जाने सम्बन्धी वाद का उल्लेख, न तो, प्रश्नगत 1360 फसली की खतौनी पर ही अंकित पाया गया तथा न ही इस प्रकार की कोई पत्रावली राजस्व अभिलेखागार, तहसील-नगीना में संचित पायी गयी है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि तत्समय उ0प्र0 जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम- शंकरपुर की सन् फसली 1360 की खतौनी तैयार की गयी। जंगल झाडीदार, नदी, की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमि है, इन पर नियमानुसार भौमिक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि हाकिम परगना साहब नगीना द्वारा इस प्रकार का कोई प्रशासनिक आदेश पारित भी किया गया है, तो उसे विधिक नहीं माना जा सकता। यह आदेश प्रथम दृष्टया संदेहास्पद पाया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम- शंकरपुर के प्रकरण में दो आदेश *"बाहुक्म 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* तथा *"बाहुक्म श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा- शंकरपुर पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा रुदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे"* की विधिमान्यता का प्रश्न अन्तर्निहित है।

ग्राम शंकरपुर की खतौनी सन फसली 1358 के अनुसार
भाग 1
नाम मालिकान
कुंवर चन्दर भान सिंह साहब खेवट नम्बर 1
जमन 1 सीर मालीकान लगायत जमन 13-नदारद
जमन 14 आरजी काबिल जराअत
1-परती जदीद, नदारद
2-परती कदीम नदारद
जंगल हस्बा कानून जंगलात
इमारती लकडी जंगल
दिगर दरख्तान झाडी वगैरह
के अन्तर्गत गाटा संख्या 1,3,5,6,8,10 कुल 6 गाटा रकबा 471 बीघा 2 बिस्वा खाता संख्या 1 के अन्तर्गत झाड़दार जंगल दर्ज अभिलेख है।

1358फसली की खतौनी ग्राम शंकरपुर मे जमन 15 के अन्तर्गत 1-आराजी जिस पर पानी है नदी गाटा संख्या 2,4,7,9,11कुल मीजान 5 कुल रकबा 99 बीघा 2 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा खतौनी मे मीजान कुल 11 कुल रकबा 570 बीघा 4 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है।

ग्राम शंकरपुर की खतौनी सन फसली 1359 के अनुसार भाग अव्वल 1 नाम मालिकान श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01 अंकन सहित 1358 फसली में वर्णित जिमन 1 से 15 तक के अनुसार अंकन है। पूर्व की भॉति जिमन 14 के अन्तर्गत जंगलझाडी के 6 गाटे तथा जिमन 15 के अन्तर्गत नदी के 5 गाटे दर्ज है। जंगलझाडीदार के खाता संख्या 1 के सम्मुख विवरण कॉलम संख्या

9,10,11 मे आदेश अंकित है कि *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर कास्त करने की इजाजत दी।"* हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है तथा नदी के खाता संख्या 2 के सापेक्ष कोई आदेश अभिलिखित नही है। आगामी खतौनी 1360 फसली में जिमन 5 के अन्तर्गत जंगलझाडीदार के 6 गाटा रकबा 471 बीघा 2 बिस्वा दर्ज है तथा आदेश अंकित है कि *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– शंकरपुर पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"*

इसी 1360फसली की खतौनी के अन्तर्गत जिमन–6 मद 1 के अन्तर्गत खाता संख्या 1 नदी अंकित है जिसमे गाटा संख्या 2,4,7,9,11 कुल गाटा 5 तथा कुल रकबा 99 बीघा 2 बिस्वा दर्ज अभिलेख है।

यहाँ निम्न बिन्दुओ पर समिति ने मुख्य रूप से विचार किया कि –

(1) क्या लेखपाल किसी जंगलात आफिसर का कथित आदेश 1359 फसली के विशेष विवरण के कॉलम मे प्रशासनिक आधार पर दर्ज कर सकता है ?

(2)जंगल झाडी भूमि पर क्या जगंलात आफिसर को कोई अधिकार विधिक रूप से है कि वह जगल झाडी को हटवाकर किसी व्यक्ति को काश्त करने की इजाजत दे सकते है ?

(3)1359फसली वर्ष की खतौनी मे दर्ज आदेश की प्रकृति क्या है। समिति इस आदेष को क्या मानती है मानने का आधार क्या है ?

बिन्दु संख्या 1–

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359फ0 तक के अभिलेखो से स्पष्ट है कि श्रेणी 14 की जंगल झाडी अंकित भूमि पर जगल झाडीदार ही अकित है कि यानी इस समय तक किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि की जुताई बुआई काश्त करके नही की थी। । इसकी पुश्टि 1360 फ0 की खतैनी पर उपलब्ध फार्म प–15 पर (लैण्ड् रिकार्ड मैनुअल के परिच्छेद 66 के अनुसार) तत्कालीन पटवारी समद खॉ द्वारा तैयार कर रखा गया से होती है। उसके द्वारा तैयार प–15 में ग्राम की जोत भूमिकर एवं लगान का ब्यौरा है। इससे स्पष्ट कि 1360फ0 मे ग्राम मे काश्त से सम्बंधित सभी एक से पैंतीस तक के कॉलम नदारद है। यानी 1359फ0 मे श्रेणी 14 की जंगल झाडी भूमि पर जंगल झाडी मौके पर थी। किसी भी काश्तकार का काश्त भूमि पर वैद्य या अवैद्य काश्तकारी नही थी। उ0प्र0 भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33(3) मे स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया जा चुका था कि वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) मे कोई भी अंकन परिवर्तन या संव्यवहार बिना कलेक्टर के आदेश के अभिलिखित नही किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध मे वन विभाग से आख्या दिनांक 18.08.2020 मंगायी गयी उससे भी स्पष्ट है कि जंगलात आफिसर को कोई ऐसे अधिकर प्राप्त नही है। क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी विधि व्यवस्था मे उक्त प्रकार के प्रशासनिक आदेश को खतौनी (लोक अभिलेखो) मे अंकित करने का कोइ अधिकार नही है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत भी जंगलात आफिसर को इस प्रकार के अधिकार प्रदत्त नही किये गये है। जैसा कि उ0प्र0भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 27 स्पष्ट करती है कि खतौनी एक लोक अभिलेख है एवं राज्य सरकार की सम्पत्ति स्वरूप है। इस पर बगैर नियमो की व्यवस्था के लेखपाल का अंकित प्रशासनिक प्रकृति का अमलदरामद एवं जंगल विभाग के अधिकारी का आदेश अवैध एवं फर्जी प्रकृति का समिति जॉच मे पाती हैं। कोई भी अधिकारी/लेखपाल को बगैर सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश के सीधे अंकन का उक्त तत्कालीन प्रचलित विधि व्यवस्था में नही दिया गया था। उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि लेखपाल अथवा वन विभाग के जंगलात आफिसर को ऐसा आदेश अंकन/पारित करने का अधिकार नही रहा है।

बिन्दु संख्या 2–

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली खतौनी मे दर्ज जिमन 14 की जगंल झाडी के स्वत्व की भूमि पर जंगलात आफिसर को किसी न्यायालय या अधिकारी ने कोई अधिकार हक हित मालिकाना या अन्यथा के रूप मे नही दिया था जिससे वह जिमन–14 की जंगलझाडी भूमि को काश्त करने के लिये अनुमति प्रदान कर सके। किसी भी विधि व्यवस्था मे नही है कि अवैद्यानिक आदेश को लेखपाल राजस्व अभिलेख खतौनी मे ग्राम की समस्त भूमि को काश्त करने के लिये दर्ज करे। उक्त के कारण समिति का मन्तव्य है कि 1359फसली की उक्त भूमि पर अंकित आदेश कूटरचित, अवैद्यानिक, अनियमित एंव फर्जी प्रकृति का है। इस कूटरचित आदेष के बाद भी मौके पर काश्त किसी ने नही की जैसा कि 1360 फसली खतैनी मे रक्षित प्रपत्र प –15 से स्पष्ट है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा अंकित इस आदेश का जिमन–14 की जंगलझाडी की भूमि की प्रकृति पर कोई प्रभाव नही पडा जैसा कि जोत विवरण प्रपत्र पर 1360फ0 प–15 मे जोत नदारद अंकन से स्पष्ट है। सार्वजनिक या सरकारी किसी भी प्रकार की भूमि पर जंगलात आफिसर को कोई अधिकार नही है कि वह काश्त करने के लिये व्यक्ति विशेष को दे सकें। समिति का मानना है कि यह एक कूट रचित अधिकार विहीन ,फर्जी प्रकृति का शून्य आदेश है।

बिन्दु संख्या 3--

परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि 1359 फसली की खतौनी मे जिमन 14 की जंगलझाडीदार नाम से दर्ज भूमि के विपेश विवरण में तत्कालीन लेखपाल द्वारा जंगलात आफिसर के काश्तकरने से सम्बंधित व्यक्ति विशेष के नाम का आदेश कूटरचित एवं फर्जी निम्न कारणो से है --

(क)-- उ0प्र0 भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 4 (8) एवं 4 (9) मे दी गयी परिभाषा के कम मे जंगलात आफिसर न तो न्यायालय है और नही राजस्व अधिकारी है। जंगलात आफिसर का अगर कोई आदेश हो तो उससे खतौनी मे स्वत्व परिवर्तन के तौर पर अंकित नही किया जा सकता है।

(ख)-- उ0प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम 1901 कीधारा 32 के तहत निर्मित अधिकार अभिलेख खतौनी मे जिमन--14 से जंगलझाडीदार के नाम से एंव जिमन--15 मे नदी के नाम से ही अधिकार अभिलेख बना है। इस ग्राम की भूमि पर ऐसा एक भी काश्तकार नहीं था जो खेती करता हो या अन्यथा भूमि पर काबिज हो स्पष्ट है कि उक्त भूमि सदैव सार्वजनिक प्रकृति की रही है।

(ग)-- उ0प्र0 भू0रा0. अधिनियम 1901 की धारा 33 मे स्पष्ट लिखा है कि कलैक्टर अधिकार अभिलेख को अनुरक्षण परिवर्तन या अन्य संव्यवहार कर सकता है जंगलात के अधिकारी ऐसे को अधिकार नही दिये गये हैं। लेखपाल द्वारा अंकित काश्तकरने के आदेश के बाद 1360 फ0 की खतौनी मे उपलबध प--15 से स्पष्ट है कि कोई काश्त नही हुयी जैसा कि प 15 मे काश्त नदारद अंकित है।

(घ)-- जंगलात अधिकारी की हैसियत जिमन--14 जंगलझाडीदार की भूमि का भू स्वामी स्थायी या अस्थायी पटटेदार ठकेदार या अन्य किसी भी प्रकार के तत्कालीन काश्तकारी अधिकार देने की नही थी।

(ड)-- उ0प्र0 काश्तकारी अधिनियम 1939 मे दी गयी व्यवस्था के तहत इन्हे सार्वजनिक ,उपयोगिता की भूमि को किसी भी व्यक्ति विशेष को काश्त पर देने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। यह ग्राम की भूमि पर किसी भी प्रकार कोई अधिकार नही रखते थे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त अंकित आदेश कृत्रिम ,जाली, असत्य, अधिकार विहीन एवं कूट रचित है। समिति अपने विश्लेषण में पूर्णतः निसन्देह फ़र्जी पाकर शून्य मानती है। जैसा कि मा0सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर पारित विधि व्यवस्थाओ में अवधारित किया गया है कि खतौनी मे किये गये इन्दराजो को विधि संगत होना चाहिये यदि इन्द्रराज लेखपाल द्वारा गलत किया गया या जालसाजी की गयी है या आदेश विधि संगत नही है कि ऐसा इन्द्राज विश्वसनीय नही हो सकता है । तिलकधारी बनाम रामजी ने 1960 एंव ए0जे0 103 श्रीमति सोनवती बनाम श्री राम,ए0आई0आर0 1968 एस0सी0 100 ,विश्वविजय बनाम फखरूल हसंन ,ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 1485)

उक्त के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर उ0प्र0 जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत राजस्व अभिलेखो का निर्माण किस फसली वर्ष से प्रारम्भ हुआ एवं नियमानुसार कृषको और राज्य के बीच स्थित मध्यवर्तियो के अधिकार आगम और स्वत्व निर्धारित कर खतौनी मे निर्माण के समय उनकी स्थिति क्या रही इसका उल्लेख जॉच रिपोर्ट मे करना समीचीन है। वर्ष 1358 एवं 1359 फसली की खतोनियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतोनिया उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के अध्याय 8 नियम 121 के प्रपत्र प--11 के पैरा 124 के कम मे बनी है जो कि निम्न प्रारूप पर है--

क0सं0	किसान का नाम उसके पिता का नाम और उसका निवास स्थान	खेती करने की अवधि	खसरे की संख्या	क्षेत्रफल बन्दोस्वस्ती बीघो मे या एकड में	लगान		विशेष विवरण
					नकदी	जिन्सी लगान का नकद मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
	उन क्षेत्रो के लिये जिनमे 1950ई0का उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नही है						

तथा 1360,1361 एवं 1362 फसली वर्षो की खतोनियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतौनिया उ0प्र0 भू0लेख नियमावली अध्याय 8 के नियम क 121 मे प--11 के प्रारूप पर पैरा 124 के कम मे बनी है जो निम्न है--

खाता खतौनी सं0	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल बंदोबस्ती बीघो या एकड में	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिर्वतन सम्बन्धी आज्ञाये यदि कोई हो उनकी संख्या तथा	आज्ञा का सारांश जो रजिस्ट्रार कानूनगो या पंचायती अदालत	टिप्पणी

15/10/20

							दिनांक और आज्ञा देने वाले अधिकारी का नाम	द्वारा साक्षीकृत है	

इस प्रपत्र पर खतौनी उन क्षेत्रो के लिये बननी थी जिनमे 1950 ई0 मे0उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था अधिनियम लागू था। ग्राम मे 1359फ0 मे उ0प्र0जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नही तथा खतौनिया उ0प्र0 भूलेख नियमावाली के पैरा 124 मे दी गयी खेवट खातो के अन्तर्गत भूमियो के कम मे दी गयी व्यवस्था के तहत जिमन 1 से लेकर 15 तक बनी है खतौनी के भाग अव्वल 1 नाम मालिकान श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर (1) अंकन के साथ जिमन (1)सीर मालिकान लगायत जिमन 13 तक की जोत नदारद अंकित है । लेखपाल तत्कालीन द्वारा खतौनी पर अंकित रक्षित प्रपत्र प–15 पर भी जोत नदारद अंकित है तथा जिमन–14 आराजी काबिल जिरायत मे जगल झाडीदार और जिमन–15 मे नदी अंकित है।

जुलाई 1952 से जून 1953 तक यानी 1360फ0 खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका निर्माण उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के पैरा क–124 के तहत निर्मित है ग्राम की भूमि व्यवस्था को श्रेणीगत कर नियमानुसार ग्राम की भूमियो को जिमन 1 से 6तक अंकित किया गया है ताकि खतौनी का प्रारूप नियम/पैरा क–121 मे परिभाषित पक–11 के तहत है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं अभिलेखो से स्पष्ट है कि ग्राम में उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भू0व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हो चुका था। 1360फ0 (जुलाई 1952–जून 1953 तक) की खतौनी का निर्माण निहित होने के दिनांक 01 जुलाई 1952 से नये प्रारूप प्रपत्र पक –11 पर प–11 के स्थान पर हुआ था। समिति अपनी जॉच में यह पाती है एवं मानती है कि 1360फ0 के प्रारम्भ एक जुलाई 1952 से ही ग्राम में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हो चुका था। दिनांक 01 जुलाई 1952 से ही सभी आस्थान राज्य मे निहित हो गये थे। उपलब्ध ग्राम के राजस्व अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी मे जिमनवार अंकन निम्नवत है–

1360 फसली खतौनी के पहले पेज पर ग्राम का नाम शंकरपुर परगना बढापुर तहसील नगीनाजिला बिजनौर फार्म 1 साल 1360फसली के लिये लिया गया हस्ताक्षर अ0 समद लेखपाल अंकित है। फार्म प–क11 की पेशानी यानि उ0प्र0 ज0वि0 और भू0व्यं0 अधि0लागू क्षेत्र हेतु निर्मित प्रथम खतोनी के तहत अंकन कर तैयार की गयी है। इस खतौनी मे जिमन लगायत नम्बर 4 नदारद अंकित है। स्पष्ट है कि ग्राम मे किसी प्रकार का कोई काश्तकार खतौनी निर्माण के समय नही था तथा 1360फसली के प्रारम्भ मे काश्त की कोई भूमि नही थी।फसली 1360 मे जिमन–5 के अन्तर्गत झाड़ियो का जंगल काबिल जरात जंगलझाडीदार के नाम कुल 6 गाटो में रकबा 471 बीघा 4 बिस्वा भूमि अंकित है तथा जिमन–6 मद 1 में नदी के नाम 5 गाटे क्षेत्रफल 99 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज है। यह भूमि जमींदारी विनाश के पूर्व 1359फ0 की खतोनी मे प–11 पर जिमन–14 व 15 में दर्ज थी। उ0प्र0ज0वि0भू0व्यवस्था अधिनियम की धारा 5 (5क) कि यह क्षेत्र धारा 1(2,3) से आच्छादित नही था। यहॉं निहित उपरोक्त प्रपत्रो के अकन से अभिलेखीय प्रमाणक यह सिद्व करते है कि उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं0भूमि व्यवस्था अधिनियम क्षेत्र में समय से लागू हुआ । मध्यवर्तियो के स्वत्व का अर्जन नियमानुसार हुआ और ग्राम मे आबादी न होने के कारण काश्त किसी प्रकार की न होने कारण उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,के प्राविधान ग्राम की भूमि पर लागू नही हुए तत्कालीन लेखपाल ने 1360फसली की खतौनी नियत प्रारूप पर जो उ0प्र0ज0 व्यवस्था लागू शुदा क्षेत्रो के लिये बनाने पर था तथा उस पर ही बनायी गयी ओर जिमन 14 जंगलझाडीदार अंकन के कुल 6 गाटे क्षेत्रफल 471 बीघा 02 बिस्वा को अधिनियम की धारा 117 के प्राविधान के तहत ग्राम के गैर आबाद क्षेत्र की यह भूमि जो किसी खातेदार के खाते मे दर्ज नही थी बल्कि जंगलझाडीदार के रूप मे दर्ज थी। खतौनी 1360फ0 मे जिमन–5 मे अंकन है। इसी प्रकार 1359फसली की जिमन–15 मे दर्ज नदी के रूप मे 5 गाटे क्षेत्रफल 99 बीघा 02 बिस्वा थी को 1360फ0 को नियमानुसार जिमन–6 मे दर्ज किया गया । 01जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की निर्मित उ0प्र0जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की पहली खतौनी में ग्राम शंकरपुर की कुल 471 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम सभा सम्पत्ति के तौर पर श्रेणी 5,6 मे जंगलझाडीदार व नदी के रूप में दर्ज हुई। राजस्व अभिलेखो 1360फ0 खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1360फसली जून 1951 से 1952 तक की परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओ के स्तम्भो मे किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नही है वर्तमान मे राजस्व अभिलेखागार मे रक्षित ग्राम के अभिलेखो मे 1361 फसली की खतोनी उपलब्ध नही है। 1360फसली 1 जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक मे एक प्रविष्टि 1361फसली (1जुलाई से जून 1954) की निम्न प्रकार पायी गयी। बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना तारीख 29.9.1953 आराजी नम्बरी जैल मौजा शंकरपुर पर श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेराज सिह जात राजपूत निवासी हाल बिजनोर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे। नम्बर 1 से 11 तक रक्बा 570 बीघा 04 बिस्वा इसी के नीचे 1361फसली की दिनांक 3.5.1954 की एक अन्य प्रविष्टि अंकित है कि आदेशानुसार सी ओ साहिब दिनांक 03.05.54 कुल आराजी पर लगान 1)III) दर्ज है। उपरोक्त प्रविष्टियो मे से स्पष्ट है कि उपरोक्त खतौनी 1360फसली एवं 1361फसली

16/10/20

के लि[illegible] मान्य थी क्योकि उपरोक्त दोनो प्रविष्टियां 1361फ0 वर्ष की है और 1360फसली की खतौनी मे दर्ज है। 1361फसली की उपरोक्त प्रविष्टिया 1360फसली की खतौनी मे की गयी इसकी पूर्ण सम्भावना है कि 1360फसली की निर्मित खतौनी ही 1361 फसली मे मान्य थी। वर्ष 1360 फसली मे अंकित दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टियो की जॉच समिति निम्न कारणो से फर्जी काल्पनिक जाली एवं असत्य पाती है।

1–दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टि खतौनी पर पटवारी ने कब अंकित की है यह अंकन न होना ।

2–जब से खतोनी का निर्माण हुआ तब से 1360फ0 यानी 30.6.1953 तक राजस्व अभिलेखो मे ग्राम की कुल 570 बीघा 04 बिस्वा भूमि सदैव जंगल नदी के रूप मे दर्ज रहना।

4–उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर 1360फसली तक कभी भी जोत काश्त या किसी प्रकार के भी काश्तकारो का ना पाया जाना।

5–1359 फसली तक नाम मालिकान मे कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01 जिमन 1सीर मालिकान लगायत जिमन 13 इलाके जोत नदारद अंकित है कि यानि किसी भी प्रकार की कोई जोत नही थी केवल जिमन 14 एवं 15 मे जंगल एवं नदी के रूप में दर्ज 570 बीघा 04 बिस्वा सार्वजनक उपभोग की भूमि थी। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रचलित चौदह प्रकार की जोत व्यवस्था ग्राम मे नही थी जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के बाद चौदह प्रकार की जोतदारी व्यवस्था चार प्रकार की जोत व्यवस्था 1360फ0 की निर्मित पहली खतौनी मे नदारद अंकित है। 1360 फसली की खतौनी मे जिमन 5 मे जंगल झाडीदार एवं जिमन 6 मे नदी के रूप मे भूमि नियमानुसार दर्ज हुई। 1360फ0 एक जुलाई 1952 से 30जून 1953 तक की समाप्ति तक 570 बीघा 4 बिस्वा उक्त भूमि श्रेणी 5 एवं 6 मे जंगल झाडी व नदी के नाम दर्ज हैं दिनांक 29.9.1953 यानी 1361फसली वर्ष का कथित आदेश 1360फ0 के विशेष विवरण मे दर्ज है जिससे समस्त 570 बीघा 04बिस्वा भूमि एक व्यक्ति कुंवरचन्द्रभान सिंह पुत्र पुत्र उदेराज सिंह जात राजपूत निवासी हाल बिजनोर के नाम अंकित कर दी गयी । जमींदार को बगैर काश्त की भूमि पर उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 एवं 132 से आच्छादित भूमि पर भूमिधर के रूप मे अंकित अनियमित एवं अवैधानिक रूप से किया गया ।

7–उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 6 (8) में जंगल की स्थिति स्पष्ट कर लिखा है कि वह विस्तृत भू भाग जो मुख्य रूप से वृक्षो एवं झाडियो से आच्छादित हो वह एवं धारा 6(10) सभी जल प्रणालिया यानि नदी आदि तथा सार्वजनिक रास्तो की भूमिया पहले राज्य सरकार मे निहित हुई एवं राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 117 के अधीन ग्राम सभा मे निहित कर दिया।

8–ग्राम की समस्त भूमि यानी जंगलझाडीदार एवं नदी से सम्बंधित कुल 570 बीघा 4 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता की भूमियो के रूप मे थीं उ0प्र0 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 से आच्छादित होने के कारण इन भूमिया पर भूमिधर अधिकार उत्पन्न नही होते है।

9–धारा 195 से 198 तक की दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त भूमि न काश्त के लिये उठायी जा सकती थी एवं उक्त भूमि उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्यवस्था अधिनियम की धारा 195 (5) में दी गयी व्यवस्था अनुसार रिक्त भूमि नही थी और न ही उसका आवंटन किया जा सकता था। सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि जो ग्राम समाज सतत दर्ज चली आ रही भूमि का आवंटन का अधिकार भी परगनाधिकारी को नही था।

10–धारा 196 मे दी गयी व्यवस्था के तहत भी यह मध्यवर्ती के सीरदार के रूप में उठायी भी नही जा सकती थी।

11–परगनाधिकारी को मध्यवर्ती ग्राम सभा का मालिकान हक को आवंटन की विधा मे एक साथ एक ही व्यक्ति को ग्राम की समस्त भूमि 570 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर जंगल, नदी सतत दर्ज चली आ रही भूमि पर ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम मे नही दिया गया है।

12–1360फ0 वर्ष तक सतत रूप से जंगल झाडीदार नदी के रूप में दर्ज भूमि जिस पर कभी भी कोई काश्तकार मालिकान या व्यक्ति किसी रूप मे काबिज नही रहा कभी भी मालिकाना अंकित होने के नाते जब कि मालिकान के सभी अधिकार आगम,स्वत्व जमींदारी समाप्ति पर सरकार मे निहित हो गये।

13–ग्राम की सम्पूर्ण भूमि जिमन 14 जिमन 15 थी बाद मे 1360फ0 मे जिमन–5 एवं जिमन 6 मे परिवर्तित हुई ग्राम की भूमियो पर कोई लगान की देयता नही थी। जोत या काश्त के रूप में भूमि पर जमींदार का कभी वैध एवं अवैध कब्जा नही था। ग्राम की सम्पूर्ण भूमि पर जमीदार का कब्जा कभी न होने के कारण ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229 (ख) से भी आच्छादित आदेश नही है। इस अमलदरामद में वाद संख्या का भी उल्लेख नही है।

14–मूलतः1360फसली की खतौनी मे जमींदारी विनाश एंवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने तथा नियत प्रपत्र पक–11 पर खतौनी निर्माण के एक वर्ष तीन माह बाद दिनांक 29.9.1953 को 1361फसली वर्ष का आदेश 1360फसली की खतौनी मे अंकित किया गया। इस प्रकार उक्त अंकन जमींदारी विनाश के बाद का है। उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 130 मे भूमिधर की वैद्यानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है–

क–ऐसे व्यक्ति जो आस्थानो के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा 18 के अधीन भूमिधर हुए।

15/10/20

ख–ऐसे व्यक्ति जो उ0प्र0जमीदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के निर्देशो के अधीन या अनुसार भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर ले।

धारा 18 के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमिधर नही बना । स्वतः भूमिधर काश्तकारो एवं अन्य काश्तकारो की स्थिति जिमन 1 लगायत 4 नदारद 1360फ0 मे स्पष्ट लिखी है। अधिनियम की किसी भी धारा मे यह अंकन नही है कि जो भूमि जिमन 14 जंगल जिमन 15 नदी की जमींदारी विनाश के पूर्व सदैव दर्ज रही हो और उसको सही मानकर जमींदारी विनाश के बाद जिमन 5 जंगल एवं जिमन 6 नदी की भूमि के रूप मे ग्राम सभा सम्पत्ति के रूप मे धारा 117 के तहत दर्ज हुई हो,उस पर कोई हाकिम परगना किसी व्यक्ति को भूमिधर अंकित कर सकते हो। भूमि पर कभी भी कोई काश्त नही हुई सदैव भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की रही, धारा 132 की भूमि पर किसी व्यक्ति को भूमिधर के अधिकार उत्पन्न नही होगें। स्पष्ट है कि धारा 130 से उक्त अंकन पूर्णतः बाधित है ।

15–जमींदारी उन्मूलन के पूर्व प्रत्येक ग्राम के लिये दो अधिकार अभिलेख खेवट और खतौनी हाते थे। खतौनी 1359 फसली खतौनी अवलोकन से परिलक्षित होता है कि श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर 1 इस ग्राम के जमींदार थे। 1360फसली के खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है खेवट महाल नम्बर 1 पर दर्ज जमींदार जो कि उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 32 यानी खेवट अधिकार अभिलेख से सम्बंधित है पर नियमानुसार प्रतिकर निर्धारित कर खेवट एंव जमीदारी समाप्त की गयी एवं उ0प्र0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1901 की धारा 32 मे वर्णित अधिकार अभिलेख यानी खतौनी अवशेष बची जिसमे जिमन–5 मे जंगल एवं जिमन–6 मे नदी नियमानुसार दर्ज हुई।

16–1359फ0 वर्ष की खतौनी के अंकन से स्पष्ट कि खेवट मे मालिकाना हक यानी बतौर जमींदार कुंवर चन्द्रभान का नाम अंकित है। किन्तु 1359फ0 तक के ग्राम मे कभी भी जोत की भूमि नही थी सभी भूमिया जिमन–14 एवं 15 की थी। खेवट मध्यवर्ती जमींदार/मालिकान से सम्बंधित थी नियमानुसार जमींदारी विनाश के बाद प्रतिकर निर्धारित कर इसे समाप्त कर दिया गया और जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार के नाम का अकंन समाप्त हो गया तथा खतौनी जिसमे कौन जोतदार यानी काश्तकार किस हैसियत मे है जमींदारी विनाश के वाद यही अधिकर अभिलेख रखा जाता है का निर्माण 1360फ0 मे हुआ। ग्राम मे कभी भी काई काश्तकार किसी भी प्रकार का न होने के कारण पूर्व की जिमन 14 जंगल की भूमि जिमन–5 जंगल मे दर्ज हुई एवं जिमन–15 नदी की भूमि जिमन–6 नदी मे दर्ज हुई। जमींदारी विनाश के बाद ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के विधानो के विरूद्ध पुनः ग्राम की सार्वजनिक उपभोग की सम्पूर्ण भूमि पर उसी जमींदार का नाम अकित कर दिया गया जो कि एक काल्पनिक ,असत्य एवं अनियमित प्रविष्टि है।

17–यू0पी0लैण्ड रेवन्यू रिकार्ड एक्ट की धारा 1901 द्वारा जमींदार को कोई सीरदारी से सम्बंधित अधिकार प्रदत्त नही थे।स्पष्ट है कि श्री कुंवरचन्द्रमान सिंह को श्रेणी–14 एवं श्रेणी–15 की उक्त भूमि के सीरदार अधिकार कभी प्राप्त नही थे।जैसा कि उ0प्र0 काश्कारी अधिनियम 1939 कीधारा 8 से भी स्पष्ट है।

18–अधिसूचना संख्या 365/1–क ग(ज)68 दिनांक 05.12.1968 उ0प्र0 गजट मे 14 दिसम्बर 1968 को प्रकाशित हुई जिस पर कलेक्टर परगनाधिकारी को कुछ कार्यो के करने के तहत कलेक्टर की शक्तियाा प्राप्त है। ग्राम मे उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद उक्त अधिसूचना के पूर्व किसी आदेश का अंकन बगैर कलेक्टर के आदेश के नही हो सकता था। जैसा कि उ0प्र0ज0वि0अधि0से भी स्पष्ट किया गया है उ0प्र0रा0अधिनियम 1901 की धारा 33 मे खतोनी (वार्षिक रजिस्टर) के अभिलेख के लिये उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1सन 1951 से स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वार्षिक रजिस्टर मे कोई भी परिवर्तन संव्यवहार कलेक्टर के आदेश के बिना अभिलिखित नही किया जा सकता था।

19–भूमिधरी अधिकार काश्तकारी अधिकार का उच्च प्रकार है और भूमिधर की प्रास्थिति केवल काष्तकार के रूप में है ग्राम मे सार्वजनिक उपयोग जंगल ,नदी पर कभी भी किसी प्रकार को काश्त एवं काश्तकारो का वर्णन 1362फ0 की खतौनी के पूर्व के राजस्व अभिलेखो मे नही मिलता है। फसली 1360–61 फ0 की खतौनी पर रक्षित अभिलेख प–15 के अवलोकन से स्पष्ट है जिससे सभी प्रकार काश्तजोत नदारद अंकित है । ऐसी स्थिति में 1361फ0 वर्श की खतौनी मे नदी जंगल की भूमि को भूमिधरी अंकित करना एक कल्पना के आधार पर मिथ्या एवं फर्जी अंकन का कृत्य है।

20–ज0वि0अधि0 के पूर्व की भूमि विधि मे दी गयी चौदह किस्म की काष्तकारियो मे कोई भी काष्तकारी ग्राम की भूमि पर कभी नही रही और जमीमंदारी विनाश के बाद 1360फ0 मे मे भी निर्मित चार जोतदारो/काश्तकारो मे कोई भी ग्राम मे काश्तकार नही था। विशुद्व रूप से ग्राम की समस्त 570 बीघा 4बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में जंगल एवं नदी के रूप मे दर्ज थी जिस पर भूमिधरी अधिकारी मिलने का कोई भी प्राविधान नही है। इस भौमिक सम्पत्ति का पर्यवेक्षण प्रबंध संरक्षण और नियंतत्रण का भार केवल ग्रामसभा को था। अंकित कथित आदेश में ग्राम सभा की कोई भूमिका परिलक्षित नही होती है।

21–खतौनी की परिभाषा उ0प्र0 भूमिलेख नियमावली के अध्याय 8 के पैरा क–121 के अभिलखित है इसमे लिखा है कि खतौनी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 32 (5)एवं 32 के अनुसार यह उन व्यक्तियो की एक पंजी है जो किसी महाल की या ग्राम सभा की भूमि पर खेती करते हो या अन्य प्रकार से काश्तकार काबिज या अध्यासीन हो। ग्राम मे 1360फसली तक समस्त 570 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर

15/10/20

कोई व्यक्ति इस प्रकार नही था। प्रपत्र –15 1360फ0 से स्पष्ट है कि 15 मौरूसी काश्तकार जिनमे विशेष अधिकार प्राप्त मौरूसी काश्तकार गैर दखलीकार काश्तकार दूसरे काश्तकार व रियायती लगान वाले काश्तकार तथा बागदार आदि सभी प्रकार के समस्त काश्तकार नदारद अंकित है भूमि जिमन–14, एवं 15 से जिमन 5 एवं 6में अंकित हुई है कोई काश्तकार नही कोई जोत क्षेत्र नही है कोई लगान नही है। इसके बावजूद लेखपाल ने समस्त 570 बीघा 4 बिस्वा पर जमींदारी विनाश के बाद भी जमींदार का नाम मनगढंत एवं कूट रचित तरीके से सार्वजनिक उपयोग की धारा 132 की भूमि पर अंकित किया गया यह अंकन लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी का नही है स्वत्व की घोषणा की श्रेणी का नही है प्रशासनिक रूप से सक्षम अधिकारी घोषित नही है क्यो कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इसे अवलोकित नही किया गया तथा तत्समय खतौनी मे इस प्रकार के आदेश का अवलोकन का अधिकार भी परगनाधिकारी को नही था। समिति जॉच में इसे काल्पनिक जाली, अनियमित, मिथ्या, एंव फर्जी पाती है। श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेयराज सिंह सा0हाल बिजनौर अंकित है और इसमे सभी जिमन–5 जंगल के 6 गाटे क्षेत्रफल 471 बीघा 2 बिस्वा और नदी के 5 गाटा रकबा 99 बीघा 2 बिस्वा इनके नाम दर्ज कर दिये गये। इस प्रकार 1362फसली की खतोनी में सार्वजनिक उपयोग की समस्त धारा 132 की भूमि 11 गाटो की कुल 570 बीघा 4 बिस्वा भूमि जमींदारी विनाश के बाद मध्यवर्ती उसी जमींदार के नाम अंकित कर दी गयी और खतौनी में अव्वल जिमन एक लिखकर उसकी विशेषता असामियान जेरे काश्तभूमिधर अंकित है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जिन क्षेत्रो में ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ वहॉ की खतौनिया प्रपत्र पक 11 पर उ0प्र0 भूलेख नियमावली के पैरा क–124 में अंकित खातो (जोतो) की व्यवस्था के कम में रक्षित हुई। असामियान जेरे काश्तभूमिधर अंकन की व्यवस्था जिमन के तहत इसमे परिभाषित नही है। सम्पूर्ण भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम का अंकन उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले घोषणात्मक वाद में भूमि की प्रकिया में आदेश के तहत ही आ सकता है। किन्तु सार्वजनिक उपभोग धारा 132 की भूमि पर प्रशासनिक प्रकृति के आदेश के तहत 570 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर जमींदार के नाम अंकन उ0प्र0काश्तकारी अधिनियम 1939 में किसी अधिकारी को,ज0वि0एवं0 भूमि व्यवस्था अधिनियम या अन्य किसी भी व्यवस्थाओ में नही दिये गये है । इस प्रकार का यह आदेश उ0प्र0कातश्तकारी अधिनियम 1939में अध्याय 3 की धारा 21 में परिभाषित समस्त आसामियान के कम का नही है और उ0प्र0 जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 21,187,187क और 210 ग के कम का भी अंकन नही है। अंकित आदेश उक्त के तहत मनगघड़न्त काल्पनिक एवं मिथ्या समिति जॉच मे पाती है। अंकित आदेश उक्त के तहत मनगघड़न्त, काल्पनिक, एवं मिथ्या समिति जॉच मे पाती है।

22–मध्यवर्ती कुंवरचन्द्रभान सिंह को 1360फ0 का उक्त ग्राम की समस्त भूमि में से इनके कब्जे में न कोई सीर थी न कोई खुदकाश्त थी और न ही मध्यवर्ती के रूप में कोई भूमि नही थी।इसलिये जमींदारी विनाश के बाद इनका नाम 1360फ0 निर्मित खतौनी के मूल खातो में अंकित नियमानुसार नही हुआ। इनका नाम खेवट में दर्ज जमींदार के रूप में था जिसका निराकरण उ0प्र0ज0वि0व्य0 अधिनियम की धारा 32 के तहत कर खेवट समाप्त कर इनकी जमींदारी समाप्त कर दी गयी। पुनः जमींदार का नाम जमींदारी समाप्ति के बाद में राजस्व के लिये निर्मित खतौनी मे सार्वजनिक उपभोग की ग्राम सभा की भूमि पर प्रशासनिक रूप से लिखकर करना एक अनियमित एवं स्वेच्छाधारी कूट रचित कृत्य है।

उक्त के साथ 1362फ0 खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उपयोग की सम्पूर्ण भूमि जमन 1 कजो हस्ब दफा 137 करार दिये गये रूपी प्रथम हैसियत मानकर जिमन 1 में कुंवर चन्द्रभान सिह जमीदार का नाम दर्ज हुआ। जमींदार का नाम सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बतौर असामियान दर्ज हुआ इस प्रकार की श्रेणी में दर्ज करना उचित नही था क्यो कि ग्राम मे काश्त की कोई भूमि नही थी। असामियान को उ0प्र0ज0वि0अधिनियम की धारा 153व 154 उसके स्वत्व के अंतरण से प्रतिबंधित करती है जब कि उसके उपरन्त यह भूमि विभिन्न प्रकार से विभिन्न व्यक्तियो को अंतरित हुयी है।

वर्तमान में उपजिलाधिकारी नगीना की आख्या से स्पष्ट है कि तहसील स्तर पर ग्राम का आर–6 रजिस्टर तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही है। उपरोक्त विशलेषण से समिति का मानना है कि खतौनी में 1360फ0 में मूल रूप से निर्मित खतौनी में जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के बाद सबसे पहले बनी उसमे ग्राम शंकरपुर की समस्त भूमि कुल 570 बीघा 4 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के रूप मे जिमन–5 एवं 6 में क्रमशः जंगल झाडीदार एवं नदी के रूप में दर्ज हुई। 1361फ0 में लेखपाल द्वारा लिखित प्रविष्टि पर जमींदारी विनाश के बाद भी उसी जमींदार का नाम स्वयं की कल्पना के आधार पर मनघड़न्त,अनियमित, स्वेच्छाचारी, फर्जी कूट–रचित बिना किसी न्यायालय के आदेश के रूप में अंकित किया गया। 1360फसली वर्ष की खतौनी में 1361फसली वर्ष में अंकित फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि से ही आगे की खतौनिया बनी एवं अवैध रूप से लोगो के नाम का हस्तांतरण व अंकन हुआ हैं। 1360फ0 की नवीन खतौनी के निर्माण के समय ही ग्राम की समस्त 570 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो कि 1359 फसली तक जिमन–14 एवं जिमन–15 की थी पर किसी प्रकार का भी हक विवाद नही था। किसी भी तत्कालीन प्रचलित नियमो अधिनियमो की विधिक व्यवस्था या न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप इस प्रविष्टि का अंकन होना नही पाया गया है। लेखपाल द्वारा अंकित कूटरचित तरीके से इस प्रविष्टि को फर्जी होने के कारण इस पर आधारित बाद के वर्षो के सभी आदेश स्वतः विधि विरूद्ध एवं शून्य प्रकृति के हो जाते है।

15/10/20

प्रश्नगत प्रकरण में जाँचोपरान्त श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि का ब्यौरा निम्नवत है

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा बीघा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा बीघा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	1	झाड़दार जंगल	5	1–9–0	7	2	नदी	6	0–5–0
2	3	झाड़दार जंगल	5	26–13–0	8	4	नदी	6	40–2–0
3	5	झाड़दार जंगल	5	5–2–0	9	7	नदी	6	1–10–0
4	6	झाड़दार जंगल	5	37–15–0	10	9	नदी	6	26–1–0
5	8	झाड़दार जंगल	5	3–15–0	11	11	नदी	6	31–4–0
6	10	झाड़दार जंगल		396–8–0					
			योग	471–2–0				योग	99–2–0
कुल गाटे :– 11कुल क्षेत्रफल :– 570 बीघा 4 बिस्वा									

मा0उच्चतम न्यायालय मे सिविल अपील संख्या 1132(सी)/2011 विशेष अनुज्ञा याचिकासंख्या सी 3109/2011 परिवर्तित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सी)19869/2010 जगपाल सिह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं अपील (सी)4787/2011,हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 25.07.2001 एवं रिट याचिका संख्या 6472(एम/बी)/2012 ओमप्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओ के तालाब, पोखर,नदी, चारागाह आदि को उनके मूल रूप मे संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जनहित याचिका संख्या 1769/2019 दिनेशचन्द सचान बनाम उ0प्र0 राज्य व 5 अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.011.2019 के अन्तर्गत भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को मूल रूप में संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

समय समय पर उक्त श्रेणी 5 व 6 की भूमि के हस्तांतरण के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्तियो के नाम दर्ज हो गये हे किन्तु नियमतः श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि अहस्तांतरणीय है। अतः इस प्रकार श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को वर्तमान खतौनी के अनुसार दर्ज विभिन्न व्यक्तियो के नाम सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा निरस्त कर भूमि को उसकी मूल श्रेणी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

आख्या सेवा मे सादर प्रेषित है।

तहसीलदार, नगीना

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) बिजनौर

उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/ अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम) बिजनौर

उपजिलाधिकारी, नगीना

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बिजनौर।

जिलाधिकारी,
बिजनौर।
महोदय,

मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील– नगीना के ग्राम– तेलीपाडा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाडी, नदी–नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एंव एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि0 मौ0 कस्सावान, नगर व तहसील– बिजनौर का शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में जांच हेतु आदेश दिनांक–11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में पांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे।जॉच समिति मे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी),उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम),उपजिलाधिकारी नगीना व तहसीलदार नगीना सदस्य है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण से आच्छादित राजस्व ग्रामों में गहन जांच की जा रही है।

समिति द्वारा ग्राम– मुर्तजाबाद के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम– मुर्तजाबाद की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे है, जिनमें से 5 गाटे जंगल तथा 06 गाटे नदी के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 859बीघा 10 बिस्वा है। जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	1	जंगल	14	517–18–0	6	2	नदी	15	1–19–0
2	3	जंगल	14	156–16–0	7	4	नदी	15	6–0–0
3	7	जंगल	14	5–2–0	8	5	नदी	15	4–3–0
4	9	जंगल	14	4–10–0	9	6	नदी	15	88–12–0
5	11	जंगल	14	25–5–0	10	8	नदी	15	35–9–0
		योग		709–11–0	11	10	नदी	15	13–16–0
कुल गाटे :– 11कुल क्षेत्रफल :– 859 बीघा 10 बिस्वा								योग	149–19–0

ग्राम– मुर्तजाबाद की 1359 फसली की खतौनी में अंकित जंगल के 5 गाटो, जिनका क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा पर अमलदरामद अंकित है कि "*बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।*" हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी। 1359 फसली के नदी के 6 गाटो पर यह आदेश अंकित नही है। इसके उपरान्त आगामी खतौनी 1360 फसली का अवलोकन किया गया। 1360 फसली में खतौनी के जिमन–5 व 6 के समस्त गाटाओं पर अमलदरामद अंकित है कि "*बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें*" तथा उक्त अमलदरामद के नीचे 1 लगायत 11 उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान अंकित है, जो कि उपरोक्त तालिका के अनुसार जंगल, व नदी के रूप में अभिलिखित थे, जिनका कुल क्षेत्रफल 859 बीघा 10 बिस्वा अंकित है। इस खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1359 फसली के जिमन–14 और जिमन–15 की भूमियों को 1360 फसली में जिमन–5 और जिमन–6 में दर्ज किया गया, जिससे स्पष्ट है कि 1360 फसली में उ0प्र0 जमी0वि0 एंव भू0व्य0अधि0 का क्रियान्वयन उक्त ग्राम मे किया जा चुका था। इसके उपरान्त आगामी उपलब्ध खतौनी 1362 फसली में प्रश्नगत समस्त 11 गाटाओं के सापेक्ष समस्त भूमि जमन–1 क आसामियान जेरे काश्त भूमिदार मद 1 जिन्होने दस मुनाह जमा कर दिया हो के अन्तर्गत श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह सा0 हाल बिजनौर का नाम दर्ज है। इसके उपरान्त से ही यह भूमि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा समय–समय पर क्रय विक्रय के कारण उक्त गाटा अलग–अलग खातों में वर्तमान खतौनी के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है।

सन् फसली– 1359 फसली पर अंकित आदेश "*बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।*"के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर को पत्र संख्या– 425/एफ0एस0ओ0–2020 दिनांक– 18 अगस्त, 2020 प्रेषित कर इस प्रकार का आदेश सम्बन्धी पत्रावली की आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, तत्क्रम में सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर, वनप्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 419/25–14 दिनांक– 18.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "*उक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रभागीय*

15/10/20

कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान शासनादेशों के अनुसार कोई भी वनाधिकारी वन भूमि के सम्बन्ध में इस तरह का आदेश निर्गत करने के लिये सक्षम नहीं है।"

सन् फसली 1360 फसली की खतौनी पर अंकित आदेश *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"* की प्रमाणिकता की जांच के लिये राजस्व अभिलेखागार तहसील– नगीना के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। कुंवर चन्द्रभान सिह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह को भूमिधर दर्ज किये जाने सम्बन्धी वाद का उल्लेख, न तो, प्रश्नगत 1360 फसली की खतौनी पर ही अंकित पाया गया तथा न ही इस प्रकार की कोई पत्रावली राजस्व अभिलेखागार, तहसील–नगीना में संचित पायी गयी है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि तत्समय उ0प्र0 जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम–मुर्तजाबाद की सन् फसली 1360 की खतौनी तैयार की गयी। जंगल ,नदी, की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमि है, इन पर नियमानुसार भौमिक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि हाकिम परगना साहब नगीना द्वारा इस प्रकार का कोई प्रशासनिक आदेश पारित भी किया गया है, तो उसे विधिक नहीं माना जा सकता। यह आदेश प्रथम दृष्टया संदेहास्पद पाया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम– मुर्तजाबाद के प्रकरण में दो आदेश *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* तथा *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधार दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"* की विधिमान्यता का प्रश्न अन्तर्निहित है।

ग्राम मुर्तजाबाद की खतौनी सन फसली 1358 के अनुसार

भाग अव्वल

नाम मालिकान

कुंवर चन्दर भान सिंह साहब खेवट नम्बर 1

जमन 1 सीर मालीकान लगायत जमन 13–इलाके, जाती–नदारद

जमन 14 आरजी काबिल जराअत

1–प्रती जदीद– नदारद

2–प्रती कदीम– नदारद

अ–जंगल हस्वा कानून जंगलात

ब–इमारती लकडी जंगल नदारद

व–दिगर दरख्तान झाडी वगैरह– नीचे दर्ज है।

ज–दिगर बंजर काबिल जरायत– नदारद।

के अन्तर्गत गाटा संख्या 1,3,7,9,11,कुल 5 गाटा रकबा 709 बीघा 11 बिस्वा खाता संख्या 1 के अन्तर्गत जंगल दर्ज अभिलेख है।

1358 फसली की खतौनी ग्राम मुर्तजाबाद मे जमन 15 के अन्तर्गत 1–आराजी जिस पर पानी है नदी गाटा संख्या 2,4,5,6,8,10 कुल मीजान 6 कुल रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा खतौनी मे कुल मीजान कुल देह 11 कुल रकबा 859 बीघा 10 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है।

ग्राम मुर्तजाबाद की खतौनी सन फसली 1359 के अनुसार भाग अव्वल 1 नाम मालिकान कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01 अंकन सहित 1358 फसली में वर्णित जिमन 1 से 15 तक के अनुसार अंकन है। पूर्व की भॉतिं जिमन 14 के अन्तर्गत जंगल के 5 गाटे तथा जिमन 15 के अन्तर्गत नदी के 6 गाटे दर्ज है। जंगलझाडीदार के खाता संख्या 1 के सम्मुख विवरण कॉलम संख्या 9,10,11 मे आदेश अंकित है कि *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है तथा नदी के खाता संख्या 2 के सापेक्ष कोई आदेश अभिलिखित नही है। आगामी खतौनी 1360 फसली में जिमन 5 के अन्तर्गत जंगलझाडीदार के 5 गाटा रकबा 709 बीघा 11 बिस्वा दर्ज है तथा आदेश अंकित है कि *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधार दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"*

इसी 1360 फसली की खतौनी के अन्तर्गत जिमन–6 मद 1 के अन्तर्गत नदी अंकित है जिसमे गाटा संख्या 2,4,5,6,8,10 कुल गाटा 6 तथा कुल रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा दर्ज अभिलेख है।

15/10/20

यहाँ निम्न बिन्दुओ पर समिति ने मुख्य रूप से विचार किया कि --

(1) क्या लेखपाल किसी जंगलात आफिसर का कथित आदेश 1359 फसली के विशेष विवरण के कॉलम मे प्रशासनिक आधार पर दर्ज कर सकता है ?

(2) जगल झाडी भूमि पर क्या जगंलात आफिसर का अधिकार विधिक रूप से हे कि वह जगल झाडी हटवाकर किसी व्यक्ति को काश्त करने की इजाजत दे सकते है ?

(3)1359 फसली वर्ष की खतौनी मे दर्ज आदेश की प्रकृति क्या है। समिति इस आदेश को क्या मानती है मानने का क्या आधार है ?

बिन्दु संख्या 1–

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली तक के अभिलेखो से स्पष्ट है कि श्रेणी 14 की जंगल झाडी अंकित भूमि पर जगल झाडीदार ही अंकित है कि यानी इस समय तक किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि की जुताई बुआई काश्त करके नही की थी। । इसकी पुष्टि 1360फसली की खतैनी पर उपलब्ध फार्म प–15 पर (लैण्ड रिकार्ड मैनुअल के परिच्छेद 66 के अनुसार) तत्कालीन पटवारी समद खॅा द्वारा तैयार कर रखा गया से होती है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा तैयार प–15 में ग्राम की जोत भूमिकर एवं लगान का ब्यौरा है। इससे स्पष्ट कि 1360फसली मे ग्राम मे काश्त से सम्बंधित सभी एक से पैंतीस तक के कॉलम नदारद है। यानी 1359फ0 मे श्रेणी 14 की जंगल झाडी भूमि पर जंगल झाडी मौके पर थी। किसी भी काश्तकार का काश्त भूमि पर वैध या अवैध काश्तकारी नही थी। उ0प्र0 भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33(3) मे स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया जा चुका था कि वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) मे कोई भी अंकन परिवर्तन या संव्यवहार बिना कलेक्टर के आदेश के अभिलिखित नहीं किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध मे वन विभाग से आख्या दिनांक 18.08.2020 मंगायी गयी उससे भी स्पष्ट है कि जंगलात आफिसर को कोई ऐसे अधिकर प्राप्त नही है। क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी विधि व्यवस्था मे उक्त प्रकार के प्रशासनिक आदेश को खतौनी (लोक अभिलेखो) मे अंकित करने का कोइ अधिकार नही है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत भी जंगलात आफिसर को इस प्रकार अधिकार प्रदान नही किये गये है। उ0प्र0भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 27 स्पष्ट करती है कि खतौनी व लोक अभिलेख एवं राज्य सरकार की सम्पत्ति स्वरूप है। इस पर बगैर नियमो की व्यवस्था के लेखपाल का अंकित प्रशासनिक प्रकृति का अमलदरामद एवं जंगल विभाग के अधिकारी का आदेश अवैध एवं फर्जी प्रकृति का समिति जॉच मे पाती है। कोई भी अधिकार लेखपाल को बगैर सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश का सीधे अंकन तत्कालीन प्रचलित विधि व्यवस्था में नही दिया गया था। उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि लेखपाल अथवा वन विभाग के जंगलात आफिसर को ऐसा आदेश अंकन/पारित करने का अधिकार नही रहा है।

बिन्दु संख्या 2–

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली खतौनी मे दर्ज जिमन 14 की जंगल झाडी के स्वत्व की भूमि पर जंगलात आफिसर को किसी न्यायालय या अधिकारी ने कोई अधिकार हक हित मालिकाना या अन्यथा के रूप मे नही दिया था जिससे वह जिमन–14 की जंगलझाडी भूमि को काश्त करने के लिये अनुमति प्रदान करे। किसी भी विधि व्यवस्था मे नही है कि अवैद्यानिक आदेश को लेखपाल राजस्व अभिलेख खतौनी मे काश्त करने के लिये ग्राम की समस्त हजारो बीघा भूमि पर दर्ज करे। उक्त के कारण समिति का मन्तव्य है कि 1359 फसली की उक्त भूमि पर अंकित आदेश कूटरचित, अवैद्यानिक, अनियमित एंव फर्जी प्रकृतिं का है। इस कूटरचित आदेश के बाद भी मौके पर काश्त किसी ने नही की जैसा कि 1360 फसली खतौनी में रक्षित प्रपत्र प –15 से स्पष्ट है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा अंकित इस आदेश का जिमन–14 की जंगलझाडी की भूमि की प्रकृति पर कोई प्रभाव नही पड़ा जैसा कि जोत विवरण प्रपत्र पर 1360फ0 प–15 मे जोत नदारद अंकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक या सरकारी किसी भी प्रकार की भूमि पर जंगलात आफिसर को कोई अधिकार नही है कि वह काश्त करने के लिये व्यक्ति विशेष को दे सकें। समिति का मानना है कि यह एक कूट रचित अधिकार विहीन ,फर्जी प्रकृति का शून्यआदेश है।

बिन्दु संख्या 3–

परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि 1359 फसली की खतौनी मे जिमन 14 की जंगलझाडीदार नाम से दर्ज भूमि के विशेश विवरण में तत्कालीन लेखपाल द्वारा जंगलात आफिसर के काश्तकरने से सम्बंधित व्यक्ति विशेष के नाम का आदेश कूटरचित एवं फर्जी निम्न कारणो से है :–

(क)– उ0प्र0 भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 4 (8) एवं 4 (9) मे दी गयी परिभाषा के क्रम मे जंगलात आफिसर न तो न्यायालय है और नही राजस्व अधिकारी है। जंगलात आफिसर का अगर कोई आदेश हों तो उससे खतौनी मे स्वत्व परिवर्तन के तौर पर अंकित नही किया जा सकता है।

15/10/20

(ख)– उ0प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम 1901 कीधारा 32 के तहत निर्मित अधिकार अभिलेख खतौनी मे जिमन–14 से जंगलझाडीदार के नाम से एंव जिमन–15 मे नदी के नाम से ही अधिकार अभिलेख बना है। इस ग्राम की भूमि पर ऐसा एक भी काश्तकार नही था जो खेती करता हो या अन्यथा भूमि पर काबिज हो स्पष्ट है कि उक्त भूमि सदैव सार्वजनिक प्रकृति की रही है।

(ग)– उ0प्र0 भू0रा0 अधिनियम 1901 की धारा 33 मे स्पष्ट लिखा है कि कलैक्टर अधिकार अभिलेख को अनुरक्षण परिवर्तन या अन्य संव्यवहार कर सकता है जंगलात के अधिकारी ऐसे को अधिकार नही दिये गये हैं। लेखपाल द्वारा अंकित काश्तकरने के आदेश के बाद 1360 फ0 की खतौनी मे उपलब्ध प–15 से स्पष्ट है कि कोई काश्त नही हुयी जैसा कि प 15 मे काश्त नदारद अंकित है।

(घ)– जंगलात अधिकारी की हैसियत जिमन–14 जंगलझाडीदार की भूमि का भू स्वामी स्थायी या अस्थायी पटटेदार ठकेदार या अन्य किसी भी प्रकार के तत्कालीन काश्तकारी अधिकार देने की नही थी।

(ड)– उ0प्र0 काश्तकारी अधिनियम 1939 मे दी गयी व्यवस्था के तहत इन्हे सार्वजननिक ,उपयोगिता की भूमि को किसी भी व्यक्ति विशेष को काश्त पर देने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। यह ग्राम की भूमि पर किसी भी प्रकार कोई अधिकार नही रखते थे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त अंकित आदेश कृत्रिम ,जाली, असत्य, अधिकार विहीन एवं कूट रचित है। समिति अपने विशलेषण में पूर्णतः निसन्देह फर्जी पाकर शून्य मानती है। जैसा कि मा0सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर पारित विधि व्यवस्थाओ में अवधारित किया गया है कि खतौनी मे किये गये इन्दराजो को विधि संगत होना चाहिये यदि इन्द्रराज लेखपाल द्वारा गलत किया गया या जालसाजी की गयी है या आदेश विधि संगत नही है कि ऐसा इन्द्राज विश्वसनीय नही हो सकता है । तिलकधारी बनाम रामजी ने 1960 एंव ए0जे0 103 श्रीमति सोनवती बनाम श्री राम,ए0आई0आर0 1968 एस0सी0 100 ,विश्वविजय बनाम फखरूल हसन ,ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 1485)

उक्त के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर उ0प्र0 जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत राजस्व अभिलेखो का निर्माण किस फसली वर्ष से प्रारम्भ हुआ एवं नियमानुसार कृषको और राज्य के बीच स्थित मध्यवर्तियो के अधिकार आगम और स्वत्व निर्धारित कर खतौनी मे निर्माण के समय उनकी स्थिति क्या रही इसका उल्लेख जॉच रिपोर्ट मे करना समीचीन है।

वर्ष 1358 एवं 1359 फसली की खतोनियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतोनिया उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के अध्याय 8 नियम 121 के प्रपत्र प–11 के पैरा 124 के कम मे बनी है जो कि निम्न प्रारूप पर है–

क0सं0	किसान का नाम उसके पिता का नाम और उसका निवास स्थान	खेती करने की अवधि	खसरे की संख्या	क्षेत्रफल बन्दोस्बस्ती बीघो मे या एकड में	लगान		विशेष विवरण
					नकदी	जिन्सी लगान का नकद मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
	उन क्षेत्रो के लिये जिनमे 1950ई0का उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नही है						

तथा 1360,1361 एवं 1362 फसली वर्षो की खतौनियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतौनिया उ0प्र0 भू0लेख नियमावली अध्याय 8 के नियम क 121 मे प–11 के प्रारूप पर पैरा 124 के कम मे बनी है जो निम्न है–

खाता खतौनी सं0	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल बंदोबस्ती बीघो या एकड में	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाये यदि कोई हो उनकी संख्या तथा दिनांक और आज्ञा देने वाले अधिकारी का नाम	आज्ञा का सारांश जो रजिस्ट्रार कानूनगो या पंचायती अदालत द्वारा साक्षीकृत है	टिप्पणी

इस प्रपत्र पर खतौनी उन क्षेत्रो के लिये बननी थी जिनमे 1950 ई0 मे0उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था अधिनियम लागू था। ग्राम मे 1359फ0 मे उ0प्र0जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नही तथा खतौनिया उ0प्र0 भूलेख नियमावली

15/10/20

के पैरा 124 मे दी गयी खेवट खातो के अंतर्गत भूमियो के क्रम मे दी गयी व्यवस्था के तहत जिमन 1 से लेकर 15 तक नी है खतौनी के भाग अव्वल 1 नाम मालिकान श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर (1) अंकन के साथ जिमन (1)सीर मालिकान लगायत जिमन 13 तक की जोत नदारद अंकित है । लेखपाल तत्कालीन द्वारा खतौनी पर अंकित रक्षित प्रपत्र प–15 पर भी जोत नदारद अंकित है तथा जिमन–14 आराजी काबिल जिरायत मे जगल झाडीदार और जिमन–15 मे नदी अंकित है।

जुलाई 1952 से जून 1953 तक यानी 1360फ0 खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका निर्माण उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के पैरा क–124 के तहत निर्मित है ग्राम की भूमि व्यवस्था को श्रेणीगत कर नियमानुसार ग्राम की भूमियो को जिमन 1 से 6तक अंकित किया गया है ताकि खतौनी का प्रारूप नियम/पैरा क–121 मे परिभाषित पक–11 के तहत है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं अभिलेखो से स्पष्ट है कि ग्राम में उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भू0व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हो चुका था। 1360फ0 (जुलाई 1952–जून 1953 तक) की खतौनी का निर्माण निहित होने के दिनांक 01 जुलाई 1952 से नये प्रारूप प्रपत्र पक –11 पर प–11 के स्थान पर हुआ था। समिति अपनी जॉच में यह पाती है एवं मानती है कि 1360फ0 के प्रारम्भ एक जुलाई 1952 से ही ग्राम में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हो चुका था। दिनांक 01 जुलाई 1952 से ही सभी आस्थान राज्य मे निहित हो गये थे। उपलब्ध ग्राम के राजस्व अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी मे जिमनवार अंकन निम्नवत है–

1360 फसली खतौनी के पहले पेज पर ग्राम का नाम मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर फार्म 1 साल 1360 फसली के लिये लिया गया हस्ताक्षर अ0 समद लेखपाल अंकित है। फार्म प–क 11 की पेशानी यानि उ0प्र0 ज0वि0 और भू0व्य0 अधि0लागू क्षेत्र हेतु निर्मित प्रथम खतौनी के तहत अंकन कर तैयार की गयी है। इस खतौनी मे जिमन 1 लगायत नम्बर 4 नदारद अंकित है। स्पष्ट है कि ग्राम मे किसी प्रकार का कोई काश्तकार खतौनी निर्माण के समय नही था तथा 1360 फसली के प्रारम्भ मे काश्त की कोई भूमि नही थी।फसली 1360 मे जिमन–5 मे झाड़ियो का जंगल काबिल जरात जंगलझाडीदार के नाम कुल 5 गाटो में रकबा 709 बीघा 11 बिस्वा भूमि अंकित है तथा जिमन–6 में नदी के नाम 6 गाटे क्षेत्रफल 149 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज है। यह भूमिया जमींदारी विनाश के पूर्व 1359 फसली की खतोनी मे प–11 पर जिमन–14 व 15 में दर्ज थी। उ0प्र0ज0वि0भू0व्यवस्था अधिनियम की धारा 5 (5क) कि यह क्षेत्र धारा 1(2,3) से आच्छादित नही था। यहॉ निहित उपरोक्त प्रपत्रो के अकन से अभिलेखीय प्रमाणक यह सिद्व करते है कि उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं0भूमि व्यवस्था अधिनियम क्षेत्र में समय से लागू हुआ। मध्यवर्तियो के स्वत्व का अर्जन नियमानुसार हुआ और ग्राम मे आबादी न होने के कारण व काश्त किसी प्रकार की न होने कारण उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,के प्राविधान ग्राम की भूमि पर लागू नही हुए तत्कालीन लेखपाल ने 1360फसली की खतौनी नियत प्रारूप पर जो उ0प्र0ज0 व्यवस्था लागू शुदा क्षेत्रो के लिये बनाने पर था और जमन–14 जंगलझाडीदार अंकन के कुल 5 गाटे क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा को अधिनियम की धारा 117 के प्राविधान के तहत ग्राम के गैर आबाद क्षेत्र की यह भूमि जो किसी खातेदार के खाते मे दर्ज नही थी बल्कि जंगलझाडीदार के रूप मे दर्ज थी। खतौनी 1360फसली मे जिमन–5 मे अंकन इसी प्रकार 1359 फसली की जिमन–15 मे दर्ज नदी के रूप मे 6 गाटे क्षेत्रफल 149 बीघा 19 बिस्वा थी को 1360फसली को नियमानुसार जिमन–6 मे दर्ज किया गया। 01जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की निर्मित उ0प्र0जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की पहली खतौनी में ग्राम मुर्तजाबाद की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा सम्पत्ति के तौर पर श्रेणी 5,6 मे जंगलझाडीदार व नदी के रूप में दर्ज हुई। राजस्व अभिलेखो 1360 फसली खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1360 फसली जून 1951 से 1952 तक की परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओ के स्तम्भो मे किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नही है वर्तमान मे राजस्व अभिलेखागार मे रक्षित ग्राम के अभिलेखो मे 1361 फसली की खतोनी उपलब्ध नही है। 1360 फसली 1 जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक मे एक प्रविष्टि 1361 फसली (1जुलाई 1953 से 30 जून 1954) की निम्न प्रकार पायी गयी।

बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना तारीख 29.9.1953 आराजी नम्बरी जैल मौजा मुर्तजाबाद पर श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेराज सिह जात राजपूत निवासी हाल बिजनोर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे। इस अमलदरादमद के नीचे गाटा संख्या 1 लेकर 11 तक के सभी नम्बरान अंकित है तथा कुल रकबा 859 बीघा 10 बिस्वा अभिलिखित है।

उपरोक्त प्रविष्टियो मे से स्पष्ट है कि उपरोक्त खतौनी 1360 फसली एवं 1361 फसली के लिये मान्य थी क्योकि उपरोक्त दोनो प्रविष्टियां 1361 फसली वर्ष की है और 1360 फसली की खतौनी मे दर्ज है। 1361 फसली की उपरोक्त प्रविष्टिया 1360 फसली की खतौनी मे की गयी इसकी पूर्ण सम्भावना है कि 1360 फसली की निर्मित खतौनी ही 1361 फसली मे मान्य थी। वर्ष 1360 फसली मे अंकित दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टियो की जॉच समिति निम्न कारणो से फर्जी काल्पनिक जाली एवं असत्य पाती है।

1–दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टि खतौनी पर पटवारी ने कब अंकित की है यह अंकन न होना ।

2–जब से खतोनी का निर्माण हुआ तब से 1360फ0 यानी 30.6.1953 तक राजस्व अभिलेखो मे ग्राम की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि सदैव जंगल,नदी के रूप मे दर्ज रहना।

4–उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर 1360 फसली तक कभी भी जोत काश्त या किसी प्रकार के भी काश्तकारो का ना पाया जाना।

15/11/20

5–1359 फसली तक नाम मालिकान मे कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01 जिमन 1सीर मालिकान लगायत जिमन 13 इलाके जोत नदारद अंकित है कि यानि किसी भी प्रकार की कोई जोत नही थी केवल जिमन 14 एवं 15 मे जंगल एव नदी के रूप में दर्ज 859 बीघा 10 बिस्वा सार्वजनक उपभोग की भूमि थी। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रचलित चौदह प्रकार की जोतदारी व्यवस्था ग्राम मे नही थी जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के बाद चौदह प्रकार की जोत व्यवस्था चार प्रकार की जोत व्यवस्था 1360फ0 की निर्मित पहली खतौनी मे नदारद अंकित है। 1360 फसली की खतौनी मे जिमन 5 मे जंगल झाडीदार एवं जिमन 6 में नदी के रूप मे भूमि नियमानुसार दर्ज हुई। 1360 फसली एक जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की समाप्ति तक 859 बीघा 10 बिस्वा उक्त भूमि श्रेणी 5 एवं 6 मे जंगल झाडी व नदी के नाम दर्ज है। दिनांक 29.9.1953 यानी 1361 फसली वर्ष का कथित आदेश 1360 फसली के विशेष विवरण मे दर्ज है जिससे समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा बीघा भूमि एक व्यक्ति कुंवरचन्द्रभान सिंह पुत्र उदेराज सिंह जात राजपूत निवासी हाल बिजनोर के नाम अंकित कर दी गयी। जमींदार को बगैर काश्त की भूमि पर उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 एवं 132 से आच्छादित भूमि पर भूमिधर के रूप मे अंकित अनियमित एवं अवैधानिक रूप से किया गया।

7–उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 6 (8) में जंगल की स्थिति स्पष्ट कर लिखा है कि वह विस्तृत भू भाग जो मुख्य रूप से वृक्षो एवं झाडियो से आच्छादित हो वह एवं धारा 6(10) सभी जल प्रणालिया यानि नदी आदि तथा सार्वजनिक रास्तो की भूमिया पहले राज्य सरकार मे निहित हुई एवं राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 117 के अधीन ग्राम सभा मे निहित कर दिया।

8–ग्राम की समस्त भूमि यानी जंगलझाडीदार एवं नदी से सम्बंधित कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता की भूमियो के रूप मे थीं उ0प्र0 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 से आच्छादित होने के कारण इन भूमियों पर भूमिधर अधिकार उत्पन्न नही होते है।

9–धारा 195 से 198 तक की दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त भूमि न काश्त के लिये उठायी जा सकती थी और न ही उसका आवंटन किया जा सकता था एवं उक्त भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 195(5)मे दी गयी विधिक व्यवस्थानुसार रिक्त भूमि नही थी। सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि जो ग्राम समाज सतत दर्ज चली आ रही भूमि का आवंटन का अधिकार भी परगनाधिकारी को नही था।

10–धारा 196 मे दी गयी व्यवस्था के तहत भी यह मध्यवर्ती के सीरदार के रूप में उठायी भी नही जा सकती थी।

11–परगनाधिकारी को मध्यवर्ती ग्राम सभा का मालिकान हक को आवंटन की विधा मे एक साथ एक ही व्यक्ति को ग्राम की समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर जंगल नदी की सतत दर्ज चली आ रही भूमि पर ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम मे नही दिया गया है।

12–1360 फसली वर्ष तक सतत रूप से जंगल झाडीदार नदी के रूप में दर्ज भूमि जिस पर कभी भी कोई काश्तकार मालिकान या व्यक्ति किसी रूप मे काबिज नही रहा कभी भी मालिकाना अंकित होने के नाते जब कि मालिकान के सभी अधिकार आगम,स्वत्व जमींदारी समाप्ति पर सरकार मे निहित हो गये।

13–ग्राम की सम्पूर्ण भूमि जिमन 14 जिमन 15 थी बाद मे 1360फ0 मे जिमन–5 एवं जिमन 6 मे परिवर्तित हुई ग्राम की भूमियो पर कोई लगान की देयता नही थी। जोत या काश्त के रूप में भूमि पर जमींदार का कभी वैध एवं अवैध कब्जा नही था। ग्राम की सम्पूर्ण भूमि पर जमीदार का कब्जा कभी न होने के कारण ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229 (ख) से भी आच्छादित आदेश नही है। इस अमलदरामद में वाद संख्या का भी उल्लेख नही है।

14–मूलतः 1360 फसली की खतौनी मे जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने तथा नियत प्रपत्र पक–11 पर खतौनी निर्माण के एक वर्ष तीन माह बाद दिनांक 29.9.1953 को 1361 फसली वर्ष का आदेश 1360 फसली की खतौनी मे अंकित किया गया। इस प्रकार उक्त अंकन जमींदारी विनाश के बाद का है। उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 130 मे भूमिधर थी वैद्यानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है–

क–ऐसे व्यक्ति जो आस्थानो के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा 18 के अधीन भूमिधर हुए।

ख–ऐसे व्यक्ति जो उ0प्र0जमीदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के निर्देशो के अधीन या अनुसार भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर ले।

धारा 18 के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमिधर नही बना। स्वतः भूमिधर काश्तकारो एवं अन्य काश्तकारो की स्थिति जिमन 1 लगायत 4 नदारद 1360फ0 मे स्पष्ट लिखी है। अधिनियम की किसी भी धारा मे यह अंकन नही है कि जो भूमि जिमन 14 जंगल जिमन 15 नदी की जमींदारी विनाश के पूर्व सदैव दर्ज रही हो और उसको सही मानकर जमींदारी विनाश के बाद जिमन 5 जंगल एवं जिमन 6 नदी की भूमि के रूप मे ग्राम सभा सम्पत्ति के रूप मे धारा 117 के तहत दर्ज हुई हो,उस पर कोई हाकिम परगना किसी व्यक्ति को भूमिधर अंकित कर सकते हो। भूमि पर कभी भी कोई काश्त नही हुई सदैव भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की रही, धारा 132 की भूमि पर किसी व्यक्ति को भूमिधर के अधिकार उत्पन्न नही होगें। स्पष्ट है कि धारा 130 से उक्त अंकन पूर्णतः बाधित है।

15–जमींदारी उन्मूलन के पूर्व प्रत्येक ग्राम के लिये दो अधिकार अभिलेख खेवट और खतौनी होते थे। खतौनी 1359 फसली खतौनी अवलोकन से परिलक्षित होता है कि श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर 1 इस ग्राम के जमींदार थे। 1360फसली के खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है खेवट महाल नम्बर 1 पर दर्ज जमींदार जो कि उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 32 यानी खेवट अधिकार अभिलेख से सम्बंधित है पर नियमानुसार प्रतिकर निर्धारित कर खेवट एंव जमीदारी समाप्त की गयी एवं उ0प्र0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1901 की धारा 32 मे वर्णित अधिकार अभिलेख यानी खतौनी अवशेष बची जिसमे जिमन–5 मे जंगल एवं जिमन–6 मे नदी नियमानुसार दर्ज हुई।

16–1359फ0 वर्ष की खतौनी के अंकन से स्पष्ट कि खेवट मे मलिकाना हक यानी बतौर जमींदार कुंवर चन्द्रभान का नाम अंकित है। किन्तु 1359फ0 तक के ग्राम मे कभी भी जोत की भूमि नही थी सभी भूमिया जिमन–14 एवं 15 की थी। खेवट मध्यवर्ती जमींदार/मालिकान से सम्बंधित थी नियमानुसार जमींदारी विनाश के बाद प्रतिकर निर्धारित कर इसे समाप्त कर दिया गया और जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार के नाम का अकंन समाप्त हो गया तथा खतौनी जिसमे कौन जोतदार यानी काश्तकार किस हैसियत मे है जमींदारी विनाश के बाद यही अधिकर अभिलेख रखा जाता हैं का निर्माण 1360फ0 मे हुआ। ग्राम मे कभी भी कोई काश्तकार किसी भी प्रकार का न होने के कारण पूर्व की जिमन 14 जंगल की भूमि जिमन–5 जंगल मे दर्ज हुई एवं जिमन–15 नदी की भूमि जिमन–6 नदी मे दर्ज हुई। जमींदारी विनाश के बाद ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के विधानो के विरूद्व पुनः ग्राम की सार्वजनिक उपभोग की सम्पूर्ण भूमि पर उसी जमींदार का नाम अकित कर दिया गया जो कि एक काल्पनिक ,असत्य एवं अनियमित प्रविष्टि है।

17–यू0पी0लैण्ड रेवन्यू रिकार्ड एक्ट की धारा 1901 द्वारा जमींदार को कोई सीरदारी से सम्बंधित अधिकार प्रदत्त नही थे।स्पष्ट है कि श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह को श्रेणी–14 एवं श्रेणी–15 की उक्त भूमि के सीरदार अधिकार कभी प्राप्त नही थे।जैसा कि उ0प्र0 काश्कारी अधिनियम 1939 कीधारा 8 से भी स्पष्ट है।

18–अधिसूचना संख्या 365/1–क ग(ज)68 दिनांक 05.12.1968 उ0प्र0 गजट मे 14 दिसम्बर 1968 को प्रकाशित हुई जिस पर कलेक्टर परगनाधिकारी को कुछ कार्यो के करने के तहत कलेक्टर की शक्तियाा प्राप्त है। ग्राम मे उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद उक्त अधिसूचना के पूर्व किसी आदेश का अंकन बगैर कलेक्टर के आदेश के नही हो सकता था। जैसा कि उ0प्र0ज0वि0अधि0से भी स्पष्ट किया गया है उ0प्र0रा0अधिनियम 1901 की धारा 33 मे खतोनी (वार्षिक रजिस्टर) के अभिलेख के लिये उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1सन 1951 से स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वार्षिक रजिस्टर मे कोई भी परिवर्तन संव्यवहार कलेक्टर के आदेश के बिना अभिलिखित नही किया जा सकता था।

19–भूमिधरी अधिकार काश्तकारी अधिकार का उच्च प्रकार है और भूमिधर की प्रास्थिति केवल काश्तकार के रूप में है ग्राम मे सार्वजनिक उपयोग जंगल ,नदी पर कभी भी किसी प्रकार को काश्त एवं काश्तकारो का वर्णन 1362फ0 की खतौनी के पूर्व के राजस्व अभिलेखो मे नही मिलता है। फसली 1360–61 फ0 की खतौनी पर रक्षित अभिलेख प–15 के अवलोकन से स्पष्ट है जिससे सभी प्रकार काश्तजोत नदारद अंकित है । ऐसी स्थिति में 1361फ0 वर्श की खतौनी मे नदी जंगल की भूमि को भूमिधरी अंकित करना एक कल्पना के आधार पर मिथ्या एवं फर्जी अंकन का कृत्य है।

20–ज0वि0अधि0 के पूर्व की भूमि विधि मे दी गयी चौदह किस्म की काश्तकारियो मे कोई भी काश्तकारी ग्राम की भूमि पर कभी नही रही और जमीमंदारी विनाश के बाद 1360 फ0 मे मे भी निर्मित चार जोतदारो/काश्तकारो मे कोई भी ग्राम मे काश्तकार नही था। विशुद्व रूप से ग्राम की समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में जंगल एवं नदी के रूप मे दर्ज थी जिस पर भूमिधरी अधिकारी मिलने का कोई भी प्राविधान नही है। इस भौमिक सम्पत्ति का पर्यवेक्षण, प्रबंधन, संरक्षण, और नियंतत्रण का भार केवल ग्रामसभा को था। अंकित कथित आदेश में ग्राम सभा की कोई भूमिका परिलक्षित नही होती है।

21–खतौनी की परिभाषा उ0प्र0 भूमिलेख नियमावली के अध्याय 8 के पैरा क–121 के अभिलखित है इसमे लिखा है कि खतौनी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 32 (5)एवं 32 के अनुसार यह उन व्यक्तियो की एक पंजी है जो किसी महाल की या ग्राम सभा की भूमि पर खेती करते हो या अन्य प्रकार से काबिज या अध्यासीन हो। ग्राम मे 1360 फसली तक समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कोई व्यक्ति इस प्रकार नही था। प्रपत्र–15 1360 फसली से स्पष्ट है कि 15 मौरूसी काश्तकार जिनमे विशेष अधिकार प्राप्त मौरूसी काश्तकार गैर दखलीकार काश्तकार दूसरे काश्तकार व रियायती लगान वाले काश्तकार तथा बागदार आदि सभी प्रकार के समस्त काश्तकार नदारद अंकित है भूमि जिमन–14, एवं 15 से जिमन 5 एवं 6 में अंकित हुई है कोई काश्तकार नही कोई जोत क्षेत्र नही है कोई लगान नही है। इसके बावजूद लेखपाल ने समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा पर जमींदारी विनाश के बाद भी जमींदार का नाम मनघड़न्त एवं कूट रचित तरीके से सार्वजनिक उपयोग की धारा 132 की भूमि पर अंकित किया गया यह अंकन लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी का नही है स्वत्व की घोषणा की श्रेणी का नही है प्रशासनिक रूप से सक्षम अधिकारी घोषित नही है क्यो कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इसे अवलोकित नही किया गया तथा तत्समय खतौनी मे आदेश का अंकन व अवलोकन का अधिकार भी परगनाधिकारी को नही

था। समिति जॉच में इसे काल्पनिक जाली अनियमित मिथ्या एंव फर्जी पाती है। श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेयराज सिंह सा0 हाल बिजनौर अंकित है और इसमे सभी जिमन–5 जंगल के 5 गाटे क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा और नदी के 6 गाटा रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा इनके नाम दर्ज कर दिये गये। इस प्रकार 1362 फसली की खतोनी में सार्वजनिक उपयोग की समस्त धारा 132 की भूमि 11 गाटो की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि जमींदारी विनाश के बाद मध्यवर्ती उसी जमींदार के नाम अंकित कर दी गयी और खतौनी में अव्वल जिमन एक लिखकर उसकी विशेषता असामियान जेरे काश्तभूमिधर अंकित है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जिन क्षेत्रो में ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ वहॉ की खतौनिया प्रपत्र प–क–11 पर उ0प्र0 भूलेख नियमावली के पैरा क–124 में अंकित खातो (जोतो) की व्यवस्था के कम में रक्षित हुई। असामियान जेरे काश्तभूमिधर अंकन की व्यवस्था जिमन के तहत इसमे परिभाषित नही है। सम्पूर्ण भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम का अंकन उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले घोषणात्मक वाद में भूमि की प्रकिया में आदेश के तहत ही आ सकता है। किन्तु सार्वजनिक उपयोग धारा 132 की भूमि पर प्रशासनिक प्रकृति के आदेश के तहत 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर करने के अधिकार किसी अधिकारी को ज0वि0एवं0 भूमि व्यवस्था अधिनियम या अन्य किसी भी व्यवस्थाओ में नही दिये गये है। इस प्रकार का यह आदेश उ0प्र0काश्तकारी अधिनियम 1939में अध्याय 3 की धारा 21 में परिभाषित समस्त आसामियान के कम का नही है और उ0प्र0 जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 21,187,187क और 210 ग के कम का भी अंकन नही है। अंकित आदेश उक्त के तहत मनगढ़न्त काल्पनिक एवं मिथ्या समिति जॉच मे पाती है।

22–मध्यवर्ती कुंवरचन्द्रभान सिंह को 1360फ0 का उक्त ग्राम की समस्त भूमि में से इनके कब्जे में न कोई सीर थी न कोई खुदकाश्त थी और न ही मध्यवर्ती के रूप में कोई भूमि नही थी। इसलिये जमींदारी विनाश के बाद इनका नाम 1360 फ0 निर्मित खतौनी के मूल खातो में अंकित नियमानुसार नही हुआ। इनका नाम खेवट में दर्ज जमींदार के रूप में था जिसका निराकरण उ0प्र0ज0वि0व्य0 अधिनियम की धारा 32 के तहत कर खेवट समाप्त कर इनकी जमींदारी समाप्त कर दी गयी। पुनः जमींदार का नाम जमींदारी समाप्ति के बाद में राजस्व के लिये निर्मित खतौनी मे सार्वजनिक उपभोग की ग्राम सभा की भूमि पर प्रशासनिक रूप से लिखकर करना एक अनियमित एवं स्वेच्छाधारी कूट रचित कृत्य है।

उक्त के साथ 1362 फ0 खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उपयोग की सम्पूर्ण भूमि असामियान रूपी प्रथम हैसियत मानकर जिमन 1 में कुंवर चन्द्रभान सिह जमीदार का नाम दर्ज हुआ। जमींदार का नाम सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बतौर असामियान दर्ज हुआं। असामियान को उ0प्र0ज0वि0अधिनियम की धारा 153 व 154 उसके स्वत्व के अंतरण से प्रतिबंधित करती है जब कि उसके उपरन्त यह भूमि विभिन्न प्रकार से विभिन्न व्यक्तियो को अंतरित हुयी है।

वर्तमान में उपजिलाधिकारी नगीना की आख्या से स्पष्ट है कि तहसील स्तर पर ग्राम का आर–6 रजिस्टर तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही है। उपरोक्त विशलेषण से समिति का मानना है कि खतौनी में 1360फ0 में मूल रूप से निर्मित खतौनी में जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के बाद सबसे पहले बनी उसमे ग्राम मुर्तजाबाद की समस्त भूमि कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के रूप मे जिमन–5 एवं 6 में क्रमशः जंगल झाड़ीदार एवं नदी के रूप में दर्ज हुई। 1361फ0 में लेखपाल द्वारा लिखित प्रविष्टि पर जमींदारी विनाश के बाद भी उसी जमींदार का नाम स्वयं की कल्पना के आधार पर मनघड़न्त,अनियमित, स्वेच्छाचारी, फर्जी कूट–रचित बिना किसी न्यायालय के आदेश रूप में अंकित किया गया। 1360फसली वर्ष की खतौनी में 1361फसली वर्ष में अंकित फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि से ही आगे की खतौनिया बनी एवं अवैध रूप से लोगो के नाम का हस्तांतरण व अंकन हुआ हैं। 1360फ0 की नवीन खतौनी के निर्माण के समय ही ग्राम की समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो कि 1359 फसली तक जिमन–14 एवं जिमन–15 की थी पर किसी प्रकार का भी हक विवाद नही था। किसी भी तत्कालीन प्रचलित नियमो अधिनियमो की विधिक व्यवस्था या न्यायिक प्रकिया के अनुरूप इस प्रविष्टि का अंकन होना नही पाया गया है। लेखपाल द्वारा अंकित कूटरचित तरीके से इस प्रविष्टि को फर्जी होने के कारण इस पर आधारित बाद के वर्षो के सभी आदेश स्वतः विधि विरूद्ध एवं शून्य प्रकृति के हो जाते है।

प्रश्नगत प्रकरण में जॉचोपरान्त श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि का ब्यौरा निम्नवत है

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा–बिस्वा –बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा–बिस्वा –बिस्वांसी
1	1	जंगल	5	517–18–0	6	2	नदी	6	1–19–0
2	3	जंगल	5	156–16–0	7	4	नदी	6	6–0–0
3	7	जंगल	5	5–2–0	8	5	नदी	6	4–3–0
4	9	जंगल	5	4–10–0	9	6	नदी	6	88–12–0
5	11	जंगल	5	25–5–0	10	8	नदी	6	35–9–0
		योग		709–11–0	11	10	नदी	15	13–16–0
कुल गाटे :– 11कुल क्षेत्रफल :– 859 बीघा 10 बिस्वा								योग	149–19–0

मा0उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 1132(सी)/2011 विशेष अनुज्ञा याचिकासंख्या सी 3109/2011 परिवर्तित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सी)19869/2010 जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं अपील (सी)4787/2011,हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 25.07.2001 एवं रिट याचिका संख्या 6472(एम/बी)/2012 ओमप्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओ के तालाब, पोखर नदी, चारागाह आदि को उनके मूल रूप मे संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जनहित याचिका संख्या 1769/2019 दिनेशचन्द सचान बनाम उ0प्र0 राज्य व 5 अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.011.2019 के अन्तर्गत भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को मूल रूप में संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

समय समय पर उक्त श्रेणी 5 व 6 की भूमि के हस्तांतरण के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्तियो के नाम दर्ज हो गये है किन्तु नियमतः श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि अहस्तांतरणीय है। अतः इस प्रकार श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को वर्तमान खतौनी के अनुसार दर्ज विभिन्न व्यक्तियो के नाम सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा निरस्त कर भूमि को उसकी मूल श्रेणी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

आख्या सेवा मे सादर प्रेषित है।

तहसीलदार, नगीना

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) बिजनौर

उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/ अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम) बिजनौर

उपजिलाधिकारी, नगीना

15/10/20

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बिजनौर।

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)बिजनौर

पत्रांक 335/आ0लि0–20 दिनांक: 22.10.2020

विषयः मा0सांसद श्री गिरीश चन्द्र लोक सभा नगीना द्वारा मा0मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र एवं भूमाफिया पोर्टल पर, तहसील नगीना के ग्राम तेलीपाड़ा,राजपुरकोट आदि दर्जन भर ग्रामीण क्षेत्रो के जंगलझाडी,नदी,नाले, तालाब व रास्तो आदि की करीब 60000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओ से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी,
बिजनौर।
महोदय,

मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील–नगीना के ग्राम– तेलीपाडा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाडी, नदी–नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एंव एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि0 मौ0 कस्सावान, नगर व तहसील– बिजनौर का शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में जांच हेतु आदेश दिनांक–11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में पांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे।जॉच समिति मे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी),उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम),उपजिलाधिकारी नगीना व तहसीलदार नगीना सदस्य है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण से आच्छादित राजस्व ग्रामों में गहन जांच की जा रही है। पूर्व मे इस कार्यालय के पत्र संख्या **300/आशु–2020 दिनांक 15.10.2020 के साथ संलग्न कर ग्राम तेलीपाड़ा, शंकरपुर, व मुर्तजाबाद की आख्या प्रेषित की जा चुकी है।**

समिति द्वारा दिनांक 17.10.2020 को ग्राम–हल्लोवाली के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम– हल्लोवाली की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे है, जिनमें से 6 गाटे जंगलझाडीदार तथा 03 गाटे नदी व 2 गाटे रास्ता के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 897बीघा 16 बिस्वा है। जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	1	जंगलझाडीदार	14	177–02–0	7	2	नदी	15	31–04–0
2	3	जंगलझाडीदार	14	01–13–0	8	5	नदी	15	03–17–0
3	4	जंगलझाडीदार	14	0–16–0	9	7	नदी	15	04–03–0
4	6	जंगलझाडीदार	14	01–14–0	योग 39–4–0				
5	8	जंगलझाडीदार	14	675–16–0	10	9	रास्ता	15	0–04–0
6	10	जंगलझाडीदार	14	0–10–0	11	11	रास्ता	15	0–17–0
योग			857–11–0		योग 01–01–0				
कुल गाटे :– 11कुल क्षेत्रफल :– 897– बीघा 16बिस्वा									

दिनांक 17.10.2020 को ग्राम हल्लावाली की 1360 फसली की खतौनी राजस्व अभिलेखागार मे उपलब्ध नही पायी गयी किन्तु प्रकरण में राजाबाला शर्मा द्वारा की गयी शिकायत कि ग्राम तेलीपाड़ा के साथ–साथ अन्य ग्रामो की भी जॉच कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न उद्वरण खतौनी 1360फसली ग्राम हल्लोवाली का अवलोकन किया गया यह उद्वरण खतौनी दिनांक 17.04. 1998 को राजस्व अभिलेखागार से जारी होना अंकित है। ग्राम–हल्लोवाली की 1359 फसली की खतौनी में अंकित जंगलझाडीदार के 6 गाटो, जिनका क्षेत्रफल 857 बीघा 11 बिस्वा पर अमलदरामद अंकित है कि *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी। 1359 फसली के नदी के 3 गाटो पर यह आदेश अंकित नही है। इसके उपरान्त आगामी खतौनी 1360 फसली का अवलोकन किया गया। 1360 फसली में खतौनी के जिमन–5 व 6 के समस्त गाटाओं पर अमलदरामद अंकित है कि *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी*

नम्बरी जैल, मौजा– हल्लोवाली पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा रुद्देराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें" ।

उपरोक्त अमलदरामद के आधार पर ग्राम हल्लावाली की समस्त भूमि 897 बीघा 16बिस्वा जो कि पूर्व से जंगलझाडीदार, नदी व रास्ता के रुप में दर्ज थी को एक ही व्यक्ति श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह के नाम अंकित कर दी गयी।उल्लेखनीय है कि ग्राम तेलीपाड़ा,शंकरपुर,मुर्तजाबाद की भॉति ग्राम हल्लोवाली में भी श्रेणी 5 व 6 की ग्राम सभा की भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नही थी। उपरोक्त अमलदरामद के आधार पर ग्राम सभा की समस्त भूमि को एक ही व्यक्ति के नाम दर्ज किये जाने के प्रकरण में समिति द्वारा गहन जॉच व अभिलेखो के परीक्षण उपरान्त विस्तृत विवेचना के आधार पर उपरोक्त दोनो अमलदरामदो को कूटरचित,अनियमित व विधि विरुद्व पाया गया है (समिति की विस्तृत जॉच आख्या दिनांक 22.10.2020 संलग्न है)।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0शासन राजस्व अनुभाग–1 कार्यालय ज्ञाप संख्या 1032/एक–1–2020–रा0–1 लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर 2020 के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन स्तर से आयुक्त एवं सचिव महोदय मा0राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन भी किया गया है जिसमें जिलाधिकारी महोदय बिजनौर, संयुक्त संचालक चकबन्दी, चकबन्दी विभाग उ0प्र0लखनऊ ,जिला वन अधिकारी बिजनौर सदस्य है।

उपरोक्त विषयक प्रकरण मे गठित जॉच समिति द्वारा ग्राम तेलीपाड़ा,शंकरपुर,मुर्तजाबाद व हल्लोवाली परगना बढापुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर की जॉच पूर्ण कर ली गयी है तथा अन्य ग्रामो के सम्बन्ध में भी जॉच की जा रही है। अन्य ग्रामो की जॉच उपरान्त जॉच आख्या शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय
23/10/20
(अवधेश कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद, बिजनौर

जिलाधिकारी,
बिजनौर।
महोदय,

मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील– नगीना के ग्राम– तेलीपाडा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाडी, नदी–नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एंव एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि0 मौ0 कस्सावान, नगर व तहसील– बिजनौर का शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में जांच हेतु आदेश दिनांक–11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में पांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे।जॉच समिति मे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी),उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम),उपजिलाधिकारी नगीना व तहसीलदार नगीना सदस्य है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण से आच्छादित राजस्व ग्रामों में गहन जांच की जा रही है।

समिति द्वारा दिनांक 17.10.2020 को ग्राम–हल्लोवाली के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम– हल्लोवाली की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे है, जिनमें से 6 गाटे जंगलझाडीदार तथा 03 गाटे नदी व 2 गाटे रास्ता के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 897बीघा 16 बिस्वा है। जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	1	जंगलझाडीदार	14	177–02–0	7	2	नदी	15	31–04–0
2	3	जंगलझाडीदार	14	01–13–0	8	6	नदी	15	03–17–0
3	4	जंगलझाडीदार	14	0–15–00	9	7	नदी	15	04–03–0
4	6	जंगलझाडीदार	14	01–14–0	योग				39–4–0
5	8	जंगलझाडीदार	14	675–16–0	10	9	रास्ता	15	0–04–0
6	10	जंगलझाडीदार	14	0–10–0	11	11	रास्ता	15	0–17–0
योग				857–11–0	योग				01–01–0
कुल गाटे :– 11कुल क्षेत्रफल :– 897– बीघा 16बिस्वा									

दिनांक 17.10.2020 को ग्राम हल्लावाली की 1360 फसली की खतौनी राजस्व अभिलेखागार मे उपलब्ध नही पायी गयी किन्तु प्रकरण में राजाबाला शर्मा द्वारा की गयी शिकायत कि ग्राम तेलीपाड़ा के साथ–साथ अन्य ग्रामो की भी जॉच कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न उद्वरण खतौनी 1360फसली ग्राम हल्लोवाली का अवलोकन किया गया यह उद्वरण खतौनी दिनांक 17.04. 1998 को राजस्व अभिलेखागार से जारी होना अंकित है। ग्राम–हल्लोवाली की 1359 फसली की खतौनी में अंकित जंगलझाडीदार के 6 गाटो, जिनका क्षेत्रफल 857 बीघा 11 बिस्वा पर अमलदरामद अंकित है कि *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी। 1359 फसली के नदी के 3 गाटो पर यह आदेश अंकित नही है। इसके उपरान्त आगामी खतौनी 1360 फसली का अवलोकन किया गया। 1360 फसली में खतौनी के जिमन–5 व 6 के समस्त गाटाओं पर अमलदरामद अंकित है कि *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– हल्लोवाली पर नाम श्री कुंवर चन्द्रमान सिंह पुत्र राजा रूदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"* तथा उक्त अमलदरामद के नीचे 1 लगायत 11 उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान अंकित है, जो कि उपरोक्त तालिका के अनुसार जंगल, व नदी व रास्ता के रूप मे अभिलिखित थे, जिनका कुल क्षेत्रफल 897 बीघा 16 बिस्वा अंकित है। इस खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1359 फसली के जिमन–14 और जिमन–15 की भूमियों को 1360 फसली में जिमन–5 और जिमन–6 में दर्ज किया गया, जिससे स्पष्ट है कि 1360 फसली में उ0प्र0 जमी0वि0 एंव भू0व्य0अधि0 का क्रियान्वयन उक्त ग्राम मे किया जा चुका था। इसके उपरान्त आगामी उपलब्ध खतौनी 1362 फसली मे प्रश्नगत समस्त 11 गाटाओं के सापेक्ष समस्त भूमि जमन–1 क आसामियान जेरे काश्त भूमिदार मद 1 जिन्होने दस गुनाह जमा कर दिया हो के अन्तर्गत श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह सा0 हाल बिजनौर का नाम दर्ज है। इसके उपरान्त से ही यह भूमि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा समय–समय पर क्रय विक्रय के कारण उक्त गाटा अलग–अलग खातों में वर्तमान खतौनी के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है।

22/10/20

सन् फसली– 1359 फसली पर अंकित आदेश "*बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर कास्त करने की इजाजत दी।*" के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर को पत्र संख्या– 425/एफ०एस०ओ०–2020 दिनांक– 18 अगस्त, 2020 प्रेषित कर इस प्रकार का आदेश सम्बन्धी पत्रावली की आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, तत्क्रम में सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर, वनप्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 419/25–14 दिनांक– 18.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "*उक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान शासनादेशों के अनुसार कोई भी वनाधिकारी वन भूमि के सम्बन्ध में इस तरह का आदेश निर्गत करने के लिये सक्षम नहीं है।*"

सन् फसली 1360 फसली की खतौनी पर अंकित आदेश "*बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– हल्लोवाली पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावें*" की प्रमाणिकता की जांच के लिये राजस्व अभिलेखागार तहसील– नगीना के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह को भूमिधर दर्ज किये जाने सम्बन्धी वाद का उल्लेख, न तो, प्रश्नगत 1360 फसली की खतौनी पर ही अंकित पाया गया तथा न ही इस प्रकार की कोई पत्रावली राजस्व अभिलेखागार, तहसील–नगीना में संचित पायी गयी है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि तत्समय उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम–हल्लोवाली की सन् फसली 1360 की खतौनी तैयार की गयी। जंगल ,नदी, व रास्ता की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमि है, इन पर नियमानुसार भौमिक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि हाकिम परगना साहब नगीना द्वारा इस प्रकार का कोई प्रशासनिक आदेश पारित भी किया गया है, तो उसे विधिक नहीं माना जा सकता। यह आदेश प्रथम दृष्टया संदेहास्पद पाया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम– हल्लोवाली के प्रकरण में दो आदेश "*बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर कास्त करने की इजाजत दी।*" तथा "*बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– हल्लोवाली पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधार दर्ज कागजात पटवारी किया जावें*" की विधिमान्यता का प्रश्न अन्तर्निहित है।

ग्राम हल्लोवाली की खतौनी सन फसली 1358 के अनुसार

भाग अव्वल

नाम मालिकान

राजा हरीश चंदर राज सींग खेवट–1

जमन 1 सीर मालीकान लगायत जमन 13–इलाका, जाती–नदारद

जमन 14 आरजी काबिल जरायत

1–परती जदीद– नदारद

2–परती कदीम– नदारद

3–ईमारती लकड़ी का जंगल

दिगर दरख्तान झाडी वगैरह

के अन्तर्गत गाटा संख्या 1,3,4,7,6,8,10,कुल 6 गाटा रकबा 857 बीघा 11 बिस्वा खाता संख्या 1 के अन्तर्गत जंगलझाडीदार दर्ज अभिलेख है।

1358 फसली की खतौनी ग्राम हल्लोवाली मे जमन 15 के अन्तर्गत 1–आराजी जिस पर पानी है नदी गाटा संख्या 2,5,7 कुल मीजान 3 कुल रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा खतौनी मे कुल मीजान कुल देह 11 कुल रकबा 897 बीघा 16 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है।

ग्राम हल्लोवाली की खतौनी सन फसली 1359 के अनुसार भाग अव्वल 1 नाम मालिकान कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01 अंकन सहित 1358 फसली में वर्णित जिमन 1 से 15 तक के अनुसार अंकन है। पूर्व की भॉति जिमन 14 के अन्तर्गत जंगलझाडीदार के 6 गाटे तथा जिमन 15 के अन्तर्गत नदी के 3 गाटे व रास्ता के 2 गाटा दर्ज है। जंगलझाडीदार के खाता संख्या 1 के सम्मुख विवरण कॉलम संख्या 9,10,11 मे आदेश अंकित है कि "*बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर कास्त करने की इजाजत दी।*" हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है तथा नदी व रास्ता के खाता के सापेक्ष कोई आदेश अभिलिखित नहीं है। आगामी खतौनी 1360 फसली में जिमन 5 के अन्तर्गत जंगलझाडीदार के 6 गाटा रकबा 857 बीघा 11 बिस्वा दर्ज है तथा आदेश अंकित है कि "*बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल*

24/01/22

मौजा– हल्दोवाली पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा रुदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधार दर्ज कागजात पटवारी किया जावें"

इसी 1360 फसली की खतौनी के अन्तर्गत जिमन–6 मद 1 के अन्तर्गत नदी अंकित है जिसमे गाटा संख्या 2,5,7 कुल गाटा 3 तथा कुल रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा दर्ज अभिलेख है।

यहाँ निम्न बिन्दुओ पर समिति ने मुख्य रूप से विचार किया कि –

(1) क्या लेखपाल किसी जंगलात आफिसर का कथित आदेश 1359 फसली के विशेष विवरण के कॉलम मे प्रशासनिक आधार पर दर्ज कर सकता है ?

(2) जंगल झाडी भूमि पर क्या जगंलात आफिसर का अधिकार विधिक रुप से है कि वह जगल झाडी हटवाकर किसी व्यक्ति को काश्त करने की इजाजत दे सकते है ?

(3)1359 फसली वर्ष की खतौनी मे दर्ज आदेश की प्रकृति क्या है। समिति इस आदेश को क्या मानती है मानने का क्या आधार है ?

बिन्दु संख्या 1–

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली तक के अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्रेणी 14 की जंगल झाडी अंकित भूमि पर जगल झाडीदार ही अंकित है कि यानी इस समय तक किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि की जुताई बुआई काश्त करके नही की थी। । इसकी पुष्टि 1360फसली की खतौनी पर उपलब्ध फार्म प–15 पर (लैण्ड रिकार्ड मैनुअल के परिच्छेद 66 के अनुसार) तत्कालीन पटवारी समद खॉ द्वारा तैयार कर रखा गया से होती है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा तैयार प–15 मे ग्राम की जोत भूमिकर एवं लगान का ब्यौरा है। इससे स्पष्ट कि 1360फसली मे ग्राम मे काश्त से सम्बंधित सभी एक से पैंतीस तक के कॉलम नदारद है। यानी 1359फ0 मे श्रेणी 14 की जंगल झाडी भूमि पर जंगल झाडी मौके पर थी। किसी भी काश्तकार का काश्त भूमि पर वैद्य या अवैद्य काश्तकारी नही थी। उ0प्र0 भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33(3) मे स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया जा चुका था कि वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) मे कोई भी अंकन परिवर्तन या संव्यवहार बिना कलेक्टर के आदेश के अभिलिखित नही किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध मे वन विभाग से आख्या दिनांक 18.08.2020 मंगायी गयी उससे भी स्पष्ट है कि जंगलात आफिसर को कोई ऐसे अधिकर प्राप्त नही है। क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी विधि व्यवस्था मे उक्त प्रकार के प्रशासनिक आदेश को खतौनी (लोक अभिलेखो) मे अंकित करने का कोइ अधिकार नही है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत भी जंगलात आफिसर को इस प्रकार अधिकार प्रदान नही किये गये है। उ0प्र0भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 27 स्पष्ट करती है कि खतौनी व लोक अभिलेख एवं राज्य सरकार की सम्पत्ति स्वरूप हैं। इस पर बगैर नियमो की व्यवस्था के लेखपाल का अंकित प्रशासनिक प्रकृति का अमलदरामद एवं जंगल विभाग के अधिकारी का आदेश अवैध एवं फर्जी प्रकृति का समिति जॉच मे पाती है। कोई भी अधिकार लेखपाल को बगैर सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश का सीधे अंकन तत्कालीन प्रचलित विधि व्यवस्था में नही दिया गया था। उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि लेखपाल अथवा वन विभाग के जंगलात आफिसर को ऐसा आदेश अंकन/पारित करने का अधिकार नही रहा है।

बिन्दु संख्या 2–

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली खतौनी मे दर्ज जिमन 14 की जंगलझाडी के स्वत्व की भूमि पर जंगलात आफिसर को किसी न्यायालय या अधिकारी ने कोई अधिकार हक हित मालिकाना या अन्यथा के रूप मे नही दिया था जिससे वह जिमन–14 की जंगलझाडी भूमि को काश्त करने के लिये अनुमति प्रदान करे। किसी भी विधि व्यवस्था मे नही है कि अवैधानिक आदेश को लेखपाल राजस्व अभिलेख खतौनी मे काश्त करने के लिये ग्राम की समस्त भूमि पर दर्ज करे। उक्त के कारण समिति का मन्तव्य है कि 1359 फसली की उक्त भूमि पर अंकित आदेश कूटरचित, अवैधानिक, अनियमित एवं फर्जी प्रकृति का है। इस कूटरचित आदेश के बाद भी मौके पर काश्त किसी ने नही की जैसा कि 1360 फसली खतौनी में रक्षित प्रपत्र प –15 से स्पष्ट है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा अंकित इस आदेश का जिमन–14 की जंगलझाडी की भूमि की प्रकृति पर कोई प्रभाव नही पडा जैसा कि जोत विवरण प्रपत्र पर 1360फ0 प–15 मे जोत नदारद अंकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक या सरकारी किसी भी प्रकार की भूमि पर जंगलात आफिसर को कोई अधिकार नही है कि वह काश्त करने के लिये व्यक्ति विशेष को दे सकें। समिति का मानना है कि यह एक कूट रचित अधिकार विहीन ,फर्जी प्रकृति का शून्यआदेश है।

बिन्दु संख्या 3–

परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि 1359 फसली की खतौनी मे जिमन 14 की जंगलझाडीदार नाम से दर्ज भूमि के विशेश विवरण में तत्कालीन लेखपाल द्वारा जंगलात आफिसर के काश्तकरने से सम्बंधित व्यक्ति विशेष के नाम का आदेश कूटरचित एवं फर्जी निम्न कारणो से है –

(क)– ,उ0प्र0 भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 4 (8) एव 4 (9) मे दी गयी परिभाषा के क्रम मे जंगलात आफिसर न तो न्यायालय है और नही राजस्व अधिकारी है। जंगलात आफिसर का अगर कोई आदेश हो तो उससे खतौनी मे स्वत्व परिवर्तन के तौर पर अंकित नही किया जा सकता है।

(ख)– उ0प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम 1901 कीधारा 32 के तहत निर्मित अधिकार अभिलेख खतौनी मे जिमन–14 से जंगलझाडीदार के नाम से एंव जिमन–15 मे नदी व रास्ता के नाम से ही अधिकार अभिलेख बना है। इस ग्राम की भूमि पर ऐसा एक भी काश्तकार नही था जो खेती करता हो या अन्यथा भूमि पर काबिज हो स्पष्ट है कि उक्त भूमि सदैव सार्वजनिक प्रकृति की रही है।

(ग)– उ0प्र0 भू0रा0 अधिनियम 1901 की धारा 33 मे स्पष्ट लिखा है कि कलैक्टर अधिकार अभिलेख को अनुरक्षण परिवर्तन या अन्य संव्यवहार कर सकता है जंगलात के अधिकारी ऐसे को अधिकार नही दिये गये है। लेखपाल द्वारा अंकित काश्तकरने के आदेश के बाद 1360 फ0 की खतौनी मे उपलब्ध प–15 से स्पष्ट है कि कोई काश्त नही हुयी जैसा कि 15 मे काश्त नदारद अंकित है।

(घ)– जंगलात अधिकारी की हैसियत जिमन–14 जंगलझाडीदार की भूमि का भू स्वामी स्थायी या अस्थायी पटटेदार ठकेदार या अन्य किसी भी प्रकार के तत्कालीन काश्तकारी अधिकार देने की नही थी।

(ड)– उ0प्र0 काश्तकारी अधिनियम 1939 मे दी गयी व्यवस्था के तहत इन्हे सार्वजनिक ,उपयोगिता की भूमि को किसी भी व्यक्ति विशेष को काश्त पर देने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। यह ग्राम की भूमि पर किसी भी प्रकार कोई अधिकार नही रखते थे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एवत अंकित आदेश कृत्रिम ,जाली, असत्य, अधिकार विहीन एवं कूट रचित है। समिति अपने विशलेषण में पूर्णतः निसन्देह फर्जी पाकर शून्य मानती है। जैसा कि मा0सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर पारित विधि व्यवस्थाओ में अवधारित किया गया है कि खतौनी मे किये गये इन्दराजो को विधि संगत होना चाहिये यदि इन्द्रराज लेखपाल द्वारा गलत किया गया या जालसाजी की गयी है या आदेश विधि संगत नही है कि ऐसा इन्द्राज विश्वसनीय नही हो सकता है । तिलकधारी बनाम रामजी ने 1960 एंव ए0जे0 103 श्रीमति सोनवती बनाम श्री राम,ए0आई0आर0 1968 एस0सी0 100 ,विश्वविजय बनाम फखरूल हसन ,ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 1485)

उक्त के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर उ0प्र0 जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत राजस्व अभिलेखो का निर्माण किस फसली वर्ष से प्रारम्भ हुआ एवं नियमानुसार कृषको और राज्य के बीच स्थित मध्यवर्तियो के अधिकार आगम और स्वत्व निर्धारित कर खतौनी मे निर्माण के समय उनकी स्थिति क्या रही इसका उल्लेख जॉच रिपोर्ट मे करना समीचीन है।

वर्ष 1358 एवं 1359 फसली की खतोनियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतोनिया उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के अध्याय 8के नियम 121 के प्रपत्र प–11 के पैरा 124 के क्रम मे बनी है जो कि निम्न प्रारूप पर है–

क0सं0	किसान का नाम उसके पिता का नाम और उसका निवास स्थान	खेती करने की अवधि	खसरे की संख्या	क्षेत्रफल बन्दोस्बस्ती बीघो मे या एकड में	लगान		विशेष विवरण
					नकदी	जिन्सी लगान का नकद मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
	उन क्षेत्रो के लिये जिनमे 1950ई0का उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नही है						

तथा 1360,1361 एवं 1362 फसली वर्षो की खतोनियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतौनिया उ0प्र0 भू0लेख नियमावली अध्याय 8 के नियम क 121 मे प–11 के प्रारूप पर पैरा 124 के क्रम मे बनी है जो निम्न है–

खाता खतौनी सं0	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल बंदोबस्ती बीघो या एकड में	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाये यदि कोई हो उनकी संख्या तथा दिनांक और आज्ञा देने वाले अधिकारी का नाम	आज्ञा का सारांश जो रजिस्ट्रार कानूनगो या पंचायती अदालत द्वारा साक्षीकृत है	टिप्पणी

इस प्रपत्र पर खतौनी उन क्षेत्रो के लिये बनती थी जिनमे 1950 ई0 मे0उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था अधिनियम लागू था। ग्राम मे 1359फ0 मे उ0प्र0जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नही तथा खतौनिया उ0प्र0 भूलेख नियमावाली के पैरा 124 मे दी गयी खेवट खातो के अन्तर्गत भूमियो के क्रम मे दी गयी व्यवस्था के तहत जिमन 1 से लेकर 15 तक बनी है

खतौनी के भाग अव्वल 1 नाम मालिकान श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर (1) अंकन के साथ जिमन (1)सीर मालिकान लगायत जिमन 13 तक की जोत नदारद अंकित है । लेखपाल तत्कालीन द्वारा खतौनी पर अंकित रक्षित प्रपत्र प–15 पर भी जोत नदारद अंकित है तथा जिमन–14 आराजी काबिल जिरायत मे जगल झाडीदार और जिमन–15 मे नदी व रास्ता अंकित है।

जुलाई 1952 से जून 1953 तक यानी 1360फ0 खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका निर्माण उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के पैरा क–124 के तहत निर्मित है ग्राम की भूमि व्यवस्था को श्रेणीगत कर नियमानुसार ग्राम की भूमियो को जिमन 1 से 6 तक अंकित किया गया है ताकि खतौनी का प्रारूप नियम/पैरा क–121 मे परिभाषित पक–11 के तहत है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं अभिलेखो से स्पष्ट है कि ग्राम में उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भू0व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हो चुका था। 1360फ0 (जुलाई 1952–जून 1953 तक) की खतौनी का निर्माण निहित होने के दिनांक 01 जुलाई 1952 से नये प्रारूप प्रपत्र पक –11 पर प–11 के स्थान पर हुआ था। समिति अपनी जॉच में यह पाती है एवं मानती है कि 1360फ0 के प्रारम्भ एक जुलाई 1952 से ही ग्राम में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हो चुका था। दिनांक 01 जुलाई 1952 से ही सभी आस्थान राज्य मे निहित हो गये थे। उपलब्ध ग्राम के राजस्व अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी मे जिमनवार अंकन निम्नवत है–

1360 फसली खतौनी के पहले पेज पर ग्राम का नाम हल्लोवाली परगना बढापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर फार्म 1 साल 1360 फसली के लिये लिया गया हस्ताक्षर अ0 समद लेखपाल अंकित है। फार्म प–क 11 की पेशानी यानि उ0प्र0 ज0वि0 और भू0व्य0 अधि0लागू क्षेत्र हेतु निर्मित प्रथम खतौनी के तहत अंकन कर तैयार की गयी है। इस खतौनी मे जिमन 1 लगायत नम्बर 4 नदारद अंकित है। स्पष्ट है कि ग्राम मे किसी प्रकार का कोई काश्तकार खतौनी निर्माण के समय नही था तथा 1360 फसली के प्रारम्भ मे काश्त की कोई भूमि नही थी।फसली 1360 मे जिमन–5 मे झाड़ियों का जंगल काबिल जरात जंगलझाडीदार के नाम कुल 6 गाटो में रकबा 857 बीघा 11 बिस्वा भूमि अंकित है तथा जिमन–6 में नदी के नाम 3 गाटे क्षेत्रफल 39 बीघा 04 बिस्वा व रास्ता के 2 गाटा रकबा 1–1–0भूमि दर्ज है। यह भूमिया जमींदारी विनाश के पूर्व 1359 फसली की खतोनी मे प–11 पर जिमन–14 व 15 में दर्ज थी। उ0प्र0ज0वि0भू0व्यवस्था अधिनियम की धारा 5 (5क) कि यह क्षेत्र धारा 1(2,3) से आच्छादित नही था। यहॉ निहित उपरोक्त प्रपत्रो के अकन से अभिलेखीय प्रमाणक यह सिद्व करते है कि उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं0भूमि व्यवस्था अधिनियम क्षेत्र में समय से लागू हुआ। मध्यवर्तियो के स्वत्व का अर्जन नियमानुसार हुआ और ग्राम मे आबादी न होने के कारण व काश्त किसी प्रकार की न होने कारण उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,के प्राविधान ग्राम की भूमि पर लागू नही हुए तत्कालीन लेखपाल ने 1360फसली की खतौनी नियत प्रारूप पर जो उ0प्र0ज0 व्यवस्था लागू शुदा क्षेत्रो के लिये बनाने पर था और जमन–14 जंगलझाडीदार अंकन के कुल 6 गाटे क्षेत्रफल 857 बीघा 11 बिस्वा को अधिनियम की धारा 117 के प्राविधान के तहत ग्राम के गैर आबाद क्षेत्र की यह भूमि जो किसी खातेदार के खाते मे दर्ज नही थी बल्कि जंगलझाडीदार के रूप मे दर्ज थी। खतौनी 1360फसली मे जिमन–5 मे अंकन इसी प्रकार 1359 फसली की जिमन–15 मे दर्ज नदी के रूप मे 3 गाटे क्षेत्रफल 39 बीघा 14 बिस्वा एवं रास्ता के 2 गाटा रकबा 1बीघा 1 बिस्वा थी को 1360फसली को नियमानुसार जिमन–6 में दर्ज किया गया। 01जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की निर्मित उ0प्र0जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की पहली खतौनी में ग्राम हल्लोवाली की कुल 897 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम सभा सम्पत्ति के तौर पर श्रेणी 5,6 मे जंगलझाडीदार व नदी व रास्ते के रूप में दर्ज हुई। राजस्व अभिलेखो 1360 फसली खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1360 फसली जून 1951 से 1952 तक की परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओ के स्तम्भो मे किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नही है वर्तमान मे राजस्व अभिलेखागार मे रक्षित ग्राम के अभिलेखो मे 1361 फसली की खतोनी उपलब्ध नही है। 1360 फसली 1 जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक मे एक प्रविष्टि 1361 फसली (1जुलाई 1953 से 30 जून 1954) की निम्न प्रकार पायी गयी।

बाहुक्म श्री हाकिम परगना साहब नगीना तारीख 29.9.1953 आराजी नम्बरी जैल मौजा हल्लोवाली पर श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेराज सिह जात राजपूत निवासी हाल बिजनोर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे। इस अमलदरादमद के नीचे गाटा संख्या 1 लेकर 11 तक के सभी नम्बरान अंकित है तथा कुल रकबा 897 बीघा 16 बिस्वा अभिलिखित है।

उपरोक्त प्रविष्टियो मे से स्पष्ट है कि उपरोक्त खतौनी 1360 फसली एवं 1361 फसली के लिये मान्य थी क्योकि उपरोक्त दोनो प्रविष्टियां 1361 फसली वर्ष की है और 1360 फसली की खतौनी मे दर्ज है। 1361 फसली की उपरोक्त प्रविष्टिया 1360 फसली की खतौनी मे की गयी इसकी पूर्ण सम्भावना है कि 1360 फसली की निर्मित खतौनी ही 1361 फसली मे मान्य थी। वर्ष 1360 फसली मे अंकित दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टियो की जॉच समिति निम्न कारणो से फर्जी काल्पनिक जाली एवं असत्य पाती है।

1–दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टि खतौनी पर पटवारी ने कब अंकित की है यह अंकन न होना ।

2–जब से खतोनी का निर्माण हुआ तब से 1360फ0 यानी 30.6.1953 तक राजस्व अभिलेखो मे ग्राम की कुल 897 बीघा 16 बिस्वा भूमि सदैव जंगलझाडीदार,नदी व रास्ते के रूप मे दर्ज रहना।

4–उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर 1360 फसली तक कभी भी जोत काश्त या किसी प्रकार के भी काश्तकारो का ना पाया जाना।

6–1359 फसली तक नाम मालिकान मे कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01 जिमन 1सीर मालिकान लगायत जिमन 13 इलाके जोत नदारद अंकित है कि यानि किसी भी प्रकार की कोई जोत नही थी केवल जिमन 14 एवं 15 मे जंगझाडीदार ,नदी व रास्ते के रूप में दर्ज 897 बीघा 16 बिस्वा सार्वजनक उपभोग की भूमि थी। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रचलित चौदह प्रकार की जोतदारी व्यवस्था ग्राम मे नही थी जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के बाद चौदह प्रकार की जोत व्यवस्था चार प्रकार की जोत व्यवस्था 1360फ0 की निर्मित पहली खतौनी मे नदारद अंकित है। 1360 फसली की खतौनी मे जिमन 5 मे जंगलझाडीदार एवं जिमन 6 मे नदी व रास्ता के रूप मे भूमि नियमानुसार दर्ज हुई। 1360 फसली एक जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की समाप्ति तक 897 बीघा 16 बिस्वा उक्त भूमि श्रेणी 5 एवं 6 मे जंगलझाडीदार,नदी व रास्ता के नाम दर्ज है। दिनांक 29.9.1953 यानी 1361 फसली वर्ष का कथित आदेश 1360 फसली के विशेष विवरण मे दर्ज है जिससे समस्त 897 बीघा 16 बिस्वा बीघा भूमि एक व्यक्ति कुंवरचन्द्रभान सिंह पुत्र उदेराज सिंह जात राजपूत निवासी हाल बिजनौर के नाम अंकित कर दी गयी । जमींदार को बगैर काश्त की भूमि पर उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 एवं 132 से आच्छादित भूमि पर भूमिधर के रूप मे अंकित अनियमित एवं अवैधानिक रूप से किया गया ।

7–उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 6 (8) में जंगल की स्थिति स्पष्ट कर लिखा है कि वह विस्तृत भू भाग जो मुख्य रूप से वृक्षो एवं झाडियो से आच्छादित हो वह एवं धारा 6(10) सभी जल प्रणालिया यानि नदी आदि तथा सार्वजनिक रास्तो की भूमिया पहले राज्य सरकार मे निहित हुई एवं राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 117 के अधीन ग्राम सभा मे निहित कर दिया।

8–ग्राम की समस्त भूमि यानी जंगलझाडीदार, नदी व रास्ता से सम्बंधित कुल 897 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता की भूमियो के रूप मे थीं उ0प्र0 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 से आच्छादित होने के कारण इन भूमियों पर भूमिधर अधिकार उत्पन्न नही होते है।

9–धारा 195 से 198 तक की दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त भूमि न काश्त के लिये उठायी जा सकती थी और न ही उसका आवंटन किया जा सकता था एवं उक्त भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 195(5)मे दी गयी विधिक व्यवस्थानुसार रिक्त भूमि नही थी। सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि जो ग्राम समाज सतत दर्ज चली आ रही भूमि का आवंटन का अधिकार भी परगनाधिकारी को नही था।

10–धारा 196 मे दी गयी व्यवस्था के तहत भी यह मध्यवर्ती के सीरदार के रूप में उठायी भी नही जा सकती थी।

11–परगनाधिकारी को मध्यवर्ती ग्राम सभा का मालिकान हक को आवंटन की विधा मे एक साथ एक ही व्यक्ति को ग्राम की समस्त 897 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर जंगलझाडीदार, नदी व रास्ता की सतत दर्ज चली आ रही भूमि पर ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम मे नही दिया गया है।

12–1360 फसली वर्ष तक सतत रूप से जंगलझाडीदार, नदी व रास्ता के रूप में दर्ज भूमि जिस पर कभी भी कोई काश्तकार मालिकान या व्यक्ति किसी रूप मे काबिज नही रहा कभी भी मालिकाना अंकित होने के नाते जब कि मालिकान के सभी अधिकार आगम,स्वत्व जमींदारी समाप्ति पर सरकार मे निहित हो गये।

13–ग्राम की सम्पूर्ण भूमि जिमन 14 जिमन 15 थी बाद मे 1360फ0 मे जिमन–5 एवं जिमन 6 मे परिवर्तित हुई ग्राम की भूमियो पर कोई लगान की देयता नही थी। जोत या काश्त के रूप में भूमि पर जमींदार का कभी वैद्य एवं अवैध कब्जा नही था। ग्राम की सम्पूर्ण भूमि पर जमीदार का कब्जा कभी न होने के कारण ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229 (ख) से भी आच्छादित आदेश नही है। इस अमलदरामद में वाद संख्या का भी उल्लेख नही है।

14–मूलतः 1360 फसली की खतौनी मे जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने तथा नियत प्रपत्र पक–11 पर खतौनी निर्माण के एक वर्ष तीन माह बाद दिनांक 29.9.1953 को 1361 फसली वर्ष का आदेश 1360 फसली की खतोनी मे अंकित किया गया। इस प्रकार उक्त अंकन जमींदारी विनाश के बाद का है। उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 130 मे भूमिधर थी वैद्यानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है–

क–ऐसे व्यक्ति जो आस्थानो के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा 18 के अधीन भूमिधर हुए।

ख–ऐसे व्यक्ति जो उ0प्र0जमीदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के निर्देशो के अधीन या अनुसार भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर ले।

धारा 18 के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमिधर नही बना । स्वतः भूमिधर काश्तकारो एवं अन्य काश्तकारों की स्थिति जिमन 1 लगायत 4 नदारद 1360फ0 मे स्पष्ट लिखी है। अधिनियम की किसी भी धारा मे यह अंकन नही है कि जो भूमि जिमन 14 जंगलझाडीदार जिमन 15 नदी व रास्ता जमींदारी विनाश के पूर्व सदैव दर्ज रही हो और उसको सही मानकर जमींदारी विनाश के बाद जिमन 5 जंगलझाडीदार एवं जिमन 6 नदी व सस्ता की भूमि के रूप मे ग्राम सभा सम्पत्ति के रुप मे धारा 117 के तहत दर्ज हुई हो,उस पर कोई हाकिम परगना किसी व्यक्ति को भूमिधर अंकित कर सकते हो। भूमि पर कभी भी कोई काश्त नही हुई सदैव भूमि

सार्वजनिक उपयोगिता की रही, धारा 132 की भूमि पर किसी व्यक्ति को भूमिधर के अधिकार उत्पन्न नही होगें। स्पष्ट है कि धारा 130 से उक्त अंकन पूर्णतः बाधित है।

15–जमींदारी उन्मूलन के पूर्व प्रत्येक ग्राम के लिये दो अधिकार अभिलेख खेवट और खतौनी हाते थे। खतौनी 1359 फसली खतौनी अवलोकन से परिलक्षित होता है कि श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर 1 इस ग्राम के जमींदार थे। 1360फसली के खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है खेवट महाल नम्बर 1 पर दर्ज जमींदार जो कि उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 32 यानी खेवट अधिकार अभिलेख से सम्बंधित्त है पर नियमानुसार प्रतिकर निर्धारित कर खेवट एंव जमीदारी समाप्त की गयी एवं उ0प्र0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1901 की धारा 32 मे वर्णित अधिकार अभिलेख यानी खतौनी अवशेष बची जिसमे जिमन–5 मे जंगलझाडीदार एवं जिमन–6 मे नदी व रास्ता नियमानुसार दर्ज हुई।

16–1359फ0 वर्ष की खतौनी के अंकन से स्पष्ट कि खेवट मे मलिकाना हक यानी बतौर जमींदार कुंवर चन्द्रभान का नाम अंकित है। किन्तु 1359फ0 तक के ग्राम मे कभी भी जोत की भूमि नही थी सभी भूमिया जिमन–14 एवं 15 की थी। खेवट मध्यवर्ती जमींदार/मालिकान से सम्बंधित थी नियमानुसार जमींदारी विनाश के बाद प्रतिकर निर्धारित कर इसे समाप्त कर दिया गया और जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार के नाम का अकंन समाप्त हो गया तथा खतौनी जिसमे कौन जोतदार यानी काश्तकार किस हैसियत मे है जमींदारी विनाश के बाद यही अधिकर अभिलेख रखा जाता हैं का निर्माण 1360 फसली मे हुआ। ग्राम मे कभी भी काई काश्तकार किसी भी प्रकार का न होने के कारण पूर्व की जिमन 14 जंगलझाडीदार की भूमि जिमन–5 जंगलझाडीदार मे दर्ज हुई एवं जिमन–15 नदी व रास्ता की भूमि जिमन–6 नदी व रास्ता मे दर्ज हुई। जमींदारी विनाश के बाद ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के विधानो के विरूद्व पुनः ग्राम की सार्वजनिक उपभोग की सम्पूर्ण भूमि पर उसी जमींदार का नाम अकित कर दिया गया जो कि एक काल्पनिक ,असत्य एवं अनियमित प्रविष्टि है।

17–यू0पी0लैण्ड रेवन्यू रिकार्ड एक्ट की धारा 1901 द्वारा जमींदार को कोई सीरदारी से सम्बंधित अधिकार प्रदत्त नही थे।स्पष्ट है कि श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह को श्रेणी–14 एवं श्रेणी–15 की उक्त भूमि के सीरदार अधिकार कभी प्राप्त नही थे।जैसा कि उ0प्र0 काश्कारी अधिनियम 1939 कीधारा 8 से भी स्पष्ट है।

18–अधिसूचना संख्या 365/1–क ग(ज)68 दिनांक 05.12.1968 उ0प्र0 गजट मे 14 दिसम्बर 1968 को प्रकाशित हुई जिस पर कलेक्टर परगनाधिकारी को कुछ कार्यो के करने के तहत कलेक्टर की शक्तिया प्राप्त है। ग्राम मे उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद उक्त अधिसूचना के पूर्व किसी आदेश का अंकन बगैर कलेक्टर के आदेश के नही हो सकता था। जैसा कि उ0प्र0ज0वि0अधि0से भी स्पष्ट किया गया है उ0प्र0रा0अधिनियम 1901 की धारा 33 मे खतोनी (वार्षिक रजिस्टर) के अभिलेख के लिये उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1सन 1951 से स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वार्षिक रजिस्टर मे कोई भी परिवर्तन संव्यवहार कलेक्टर के आदेश के बिना अभिलिखित नही किया जा सकता था।

19–भूमिधरी अधिकार काश्तकारी अधिकार का उच्च प्रकार है और भूमिधर की प्रास्थिति केवल काश्तकार के रूप में है ग्राम मे सार्वजनिक उपयोग जंगलझाडीदार ,नदी व रास्ता पर कभी भी किसी प्रकार को काश्त एवं काश्तकारो का वर्णन 1362फसली की खतौनी के पूर्व के राजस्व अभिलेखो मे नही मिलता है। फसली 1360–61 फ0 की खतौनी पर रक्षित अभिलेख प–15 के अवलोकन से स्पष्ट है जिससे सभी प्रकार काश्तजोत नदारद अंकित है । ऐसी स्थिति में 1361फ0 वर्ष की खतौनी मे नदी, जंगलझाडीदार व रास्ता की भूमि को भूमिधरी अंकित करना एक कल्पना के आधार पर मिथ्या एवं फर्जी अंकन का कृत्य है।

20–ज0वि0अधि0 के पूर्व की भूमि विधि मे दी गयी चौदह किस्म की काश्तकारियो मे कोई भी काश्तकारी ग्राम की भूमि पर कभी नही रही और जमीमंदारी विनाश के बाद 1360 फ0 मे मे भी निर्मित चार जोतदारो/काश्तकारो मे कोई भी ग्राम मे काश्तकार नही था। विशुद्व रूप से ग्राम की समस्त 897 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में जंगलझाडीदार,नदी एवं रास्ता के रूप मे दर्ज थीं जिस पर भूमिधरी अधिकारी मिलने का कोई भी प्राविधान नही है। इस नैमिक सम्पत्ति का पर्यवेक्षण, प्रबंधन, संरक्षण, और नियंतत्रण का भार केवल ग्रामसभा को था। अंकित कथित आदेश में ग्राम सभा की कोई भूमिका परिलक्षित नही होती है।

21–खतौनी की परिभाषा उ0प्र0 भूमिलेख नियमावली के अध्याय 8 के पैरा क–121 के अभिलखित है इसमे लिखा है कि खतौनी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 32 (5)एवं 32 के अनुसार यह उन व्यक्तियो की एक पंजी है जो किसी महाल की या ग्राम सभा की भूमि पर खेती करते हो या अन्य प्रकार से काबिज या अध्यासीन हो। ग्राम मे 1360 फसली तक समस्त 897 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर कोई व्यक्ति इस प्रकार नही था। प्रपत्र–15 1360 फसली से स्पष्ट है कि 15 मौरूसी काश्तकार जिनमे विशेष अधिकार प्राप्त मौरूसी काश्तकार गैर दखलीकार काश्तकार दूसरे काश्तकार व रियायती लगान वाले काश्तकार तथा बागदार आदि सभी प्रकार के समस्त काश्तकार नदारद अंकित है भूमि जिमन–14, एवं 15 से जिमन 5 एवं 6 में अंकित हुई है कोई काश्तकार नही कोई जोत क्षेत्र नही है कोई लगान नही है। इसके बावजूद लेखपाल ने समस्त 897 बीघा 16 बिस्वा पर जमींदारी विनाश के बाद भी जमीदार का नाम मनघड़न्त एवं कूट रचित तरीके से सार्वजनिक उपयोग की धारा 132 की भूमि पर अंकित किया गया यह अंकन लिपिकीय त्रुटि की

श्रेणी का नही है स्वत्व की घोषणा की श्रेणी का नही है प्रशासनिक रूप से सक्षम अधिकारी घोषित नही है क्यो कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इसे अवलोकित नही किया गया तथा तत्समय खतौनी मे आदेश का अंकन व अवलोकन का अधिकार भी परगनाधिकारी को नही था। समिति जाँच में इसे काल्पनिक जाली अनियमित मिथ्या एंव फर्जी पाती है। श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेयराज सिंह सा0 हाल बिजनौर अंकित है और इसमे सभी जिमन–5 जंगलझाडीदार के 6गाटे क्षेत्रफल 857 बीघा 11 बिस्वा और नदी के 3 गाटा रकबा 39 बीघा 4बिस्वा व रास्ता के 2 गाटे रकबा 1 बीघा 1बिस्वा इस प्रकार ग्राम का कुल रकबा 897 बीघा 16 बिस्वा इनके नाम दर्ज कर दिये गये। इस प्रकार 1362 फसली की खतोनी में सार्वजनिक उपयोग की समस्त धारा 132 की भूमि 11 गाटो की कुल 897 बीघा 16 बिस्वा भूमि जमींदारी विनाश के बाद मध्यवर्ती उसी जमींदार के नाम अंकित कर दी गयी और खतौनी में अव्वल जिमन एक लिखकर उसकी विशेषता असामियान जेरे काश्तभूमिधर अंकित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिन क्षेत्रो में ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ वहाँ की खतौनिया प्रपत्र प–क–11 पर उ0प्र0 भूलेख नियमावली के पैरा क–124 में अंकित खातो (जोतो) की व्यवस्था के क्रम में रक्षित हुई। असामियान जेरे काश्तभूमिधर अंकन की व्यवस्था जिमन के तहत इसमे परिभाषित नही है। सम्पूर्ण भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम का अंकन उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले घोषणात्मक वाद में भूमि की प्रकिया में आदेश के तहत ही आ सकता है। किन्तु सार्वजनिक उपयोग धारा 132 की भूमि पर प्रशासनिक प्रकृति के आदेश के तहत 897 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर करने के अधिकार किसी अधिकारी को ज0वि0एवं0 भूमि व्यवस्था अधिनियम या अन्य किसी भी व्यवस्थाओ में नही दिये गये हैं। इस प्रकार का यह आदेश उ0प्र0कातश्तकारी अधिनियम 1939में अध्याय 3 की धारा 21 में परिभाषित समस्त आसामियान के कम का नही है और उ0प्र0 जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 21,187,187क और 210 ग के क्रम का भी अंकन नही है। अंकित आदेश उक्त के तहत मनगघड़न्त काल्पनिक एवं मिथ्या समिति जाँच मे पाती है।

22–मध्यवर्ती कुंवरचन्द्रभान सिंह को 1360फ0 का उक्त ग्राम की समस्त भूमि में से इनके कब्जे में न कोई सीर थी न कोई खुदकाश्त थी और न ही मध्यवर्ती के रूप में कोई भूमि नही थी। इसलिये जमींदारी विनाश के बाद इनका नाम 1360 फ0 निर्मित खतौनी के मूल खातो में अंकित नियमानुसार नही हुआ। इनका नाम खेवट में दर्ज जमींदार के रूप में था जिसका निराकरण उ0प्र0ज0वि0व्य0 अधिनियम की धारा 32 के तहत कर खेवट समाप्त कर इनकी जमींदारी समाप्त कर दी गयी। पुनः जमींदार का नाम जमीदारी समाप्ति के बाद में राजस्व के लिये निर्मित खतौनी मे सार्वजनिक उपभोग की ग्राम सभा की भूमि पर प्रशासनिक रूप से लिखकर करना एक अनियमित एवं स्वेच्छाधारी कूट रचित कृत्य है।

उक्त के साथ 1362 फ0 खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उपयोग की सम्पूर्ण भूमि असामियान रूपी प्रथम हैसियत मानकर जिमन 1 में कुंवर चन्द्रभान सिंह जमीदार का नाम दर्ज हुआ। जमींदार का नाम सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बतौर असामियान दर्ज हुआ। असामियान को उ0प्र0ज0वि0अधिनियम की धारा 153 व 154 उसके स्वत्व के अंतरण से प्रतिबंधित करती है जब कि उसके उपरन्त यह भूमि विभिन्न प्रकार से विभिन्न व्यक्तियो को अंतरित हुयी है।

वर्तमान में उपजिलाधिकारी नगीना की आख्या से स्पष्ट है कि तहसील स्तर पर ग्राम का आर–6 रजिस्टर तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही है। उपरोक्त विशलेषण से समिति का मानना है कि खतौनी में 1360फसली में मूल रूप से निर्मित खतौनी में जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के बाद सबसे पहले बनी उसमे ग्राम हल्लोवाली की समस्त भूमि कुल 897 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के रूप मे जिमन–5 एवं 6 में क्रमशः जंगलझाडीदार एवं नदी व रास्ता के रूप में दर्ज हुई। 1361फ0 में लेखपाल द्वारा लिखित प्रविष्टि पर जमींदारी विनाश के बाद भी उसी जमींदार का नाम स्वयं की कल्पना के आधार पर मनघड़न्त,अनियमित, स्वेच्छाचारी, फर्जी कूट–रचित बिना किसी न्यायालय के आदेश रूप में अंकित किया गया। 1360फसली वर्ष की खतौनी में 1361फसली वर्ष में अंकित फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि से ही आगे की खतौनिया बनी एवं अवैध रूप से लोगो के नाम का हस्तांतरण व अंकन हुआ हैं। 1360फसली की नवीन खतौनी के निर्माण के समय ही ग्राम की समस्त 897 बीघा 16 बिस्वा भूमि जो कि 1359 फसली तक जिमन–14 एवं जिमन–15 की थी पर किसी प्रकार का भी हक विवाद नही था। किसी भी तत्कालीन प्रचलित नियमो अधिनियमो की विधिक व्यवस्था या न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप इस प्रविष्टि का अंकन होना नही पाया गया है। लेखपाल द्वारा अंकित कूटरचित तरीके से इस प्रविष्टि को फर्जी होने के कारण इस पर आधारित बाद के वर्षो के सभी आदेश स्वतः विधि विरुद्ध एवं शून्य प्रकृति के हो जाते है।

प्रश्नगत प्रकरण में जाँचोपरान्त श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि का ब्यौरा निम्नवत है

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	1	जंगलझाडीदार	5	177–02–0	7	2	नदी	6	31–04–0
2	3	जंगलझाडीदार	5	01–13–0	8	5	नदी	6	03–17–0
3	4	जंगलझाडीदार	5	0–15–00	9	7	नदी	6	04–03–0
4	6	जंगलझाडीदार	5	01–14–0	योग				39–4–0

5	8	जंगलझाडीदार	5	675–16–0	10	9	रास्ता	6	0–04–0
6	10	जंगलझाडीदार	5	0–10–0	11	11	रास्ता	6	0–17–0
		योग		857–11–0	योग				01–01–0
कुल गाटे :– 11कुल क्षेत्रफल :– 897– बीघा 16बिस्वा									

मा0उच्चतम न्यायालय मे सिविल अपील संख्या 1132(सी)/2011 विशेष अनुज्ञा याचिकासंख्या सी 3109/2011 परिवर्तित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सी)19869/2010 जगपाल सिह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं अपील (सी)4787/2011 हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 25.07.2001 एवं रिट याचिका संख्या 6472(एम/बी)/2012 ओमप्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओ के तालाब, पोखर,नदी, चारागाह आदि को उनके मूल रूप मे संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जनहित याचिका संख्या 1769/2019 दिनेशचन्द सचान बनाम उ0प्र0 राज्य व 5 अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.011.2019 के अन्तर्गत भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को मूल रूप में संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

समय समय पर उक्त श्रेणी 5 व 6 की भूमि के हस्तांतरण के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्तियो के नाम दर्ज हो गये है किन्तु नियमतः श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि अहस्तांतरणीय है। अतः इस प्रकार श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को वर्तमान खतौनी के अनुसार दर्ज विभिन्न व्यक्तियो के नाम सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा निरस्त कर भूमि को उसकी मूल श्रेणी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

आख्या सेवा मे सादर प्रेषित है।

तहसीलदार, नगीना

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) बिजनौर

उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/ अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम) बिजनौर

उपजिलाधिकारी, नगीना

2/10/20

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बिजनौर।

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)बिजनौर

पत्रांक 356/आ0लि0–20 दिनांक: 27.10.2020

विषय: मा0सांसद श्री गिरीश चन्द्र लोक सभा नगीना द्वारा मा0मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र एवं भूमाफिया पोर्टल पर, तहसील नगीना के ग्राम तेलीपाड़ा,राजपुरकोट आदि दर्जन भर ग्रामीण क्षेत्रो के जंगलझाडी,नदी,नाले, तालाब व रास्तो आदि की करीब 60000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओ से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी,

बिजनौर।

महोदय,

मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील– नगीना के ग्राम– तेलीपाडा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाडी, नदी–नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एंव एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि0 मौ0 कस्सावान, नगर व तहसील– बिजनौर का शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में जांच हेतु आदेश दिनांक–11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में पांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे।जॉच समिति मे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी),उपजिलाधिकारी (न्यायिक) / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम),उपजिलाधिकारी नगीना व तहसीलदार नगीना सदस्य है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण से आच्छादित राजस्व ग्रामों में गहन जांच की जा रही है। **पूर्व मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 300 / आशु–2020 दिनांक 15.10.2020 के साथ संलग्न कर ग्राम तेलीपाड़ा, शंकरपुर, मुर्तजाबाद व हल्लोवाली की आख्या प्रेषित की जा चुकी है।**

तहसील स्तर पर पूर्व से उपलब्ध छाया प्रति उद्वरण खतौनी 1359 फसली व खसरा 1359फसली ग्राम राजपुरकोट परगना बढापुर तहसील नगीना का अवलोकन किया गया तो अवलोकन से विदित हुआ कि ग्राम राजपुरकोट में कुल 8 खसरा नम्बरान है जिनका कुल रकबा 831 बीघा 15 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा ग्राम राजपुरकोट की 1359 फसली की उक्त खतौनी पर जंगलझाडीदार के खाता संख्या 01 रकबा 814 बीघा 11 बिस्वा के सापेक्ष विवरण कॉलम मे आदेश अंकित है कि ***"बाहुकम 28.5.52 को जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।" ह0मूलचन्द पटवारी***

इससे पूर्व समिति द्वारा ग्राम तेलीपाड़ा, शंकरपुर,मुर्तजाबाद व हल्लोवाली की उपरोक्त प्रकरण में जॉच की गयी थी तथा राजस्व अभिलेखो के परीक्षण उपरान्त विस्तृत आख्या भी प्रेषित की जा चुकी है। ग्राम तेलीपाड़ा, शंकरपुर,मुर्तजाबाद व हल्लोवाली मे भी 1359 फसली की खतौनी पर उपरोक्त अमलदरामद कथित आदेश दिनांक 28.5.52 अंकित पाया गया था। इस प्रकार ग्राम राजपुरकोट भी एक ही नेचर का होने के कारण प्रकरण की गहन जॉच के लिये तहसीलदार नगीना के पत्र संख्या 600/रा0का0 दिनांक 23.10.2020 के माध्यम से प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार बिजनौर से ग्राम राजपुरकोट की उद्वरण खतौनी 1358 फसली,1359 फसली, 1360फसली,1362 फसली उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया तथा क्षेत्रीय लेखपाल श्री देवेन्द्र सिंह को अभिलेखागार भेजा गया। सम्बंधित पटवारी फण्ड पर कार्यरत पटल सहायक द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी **कि ग्राम राजपुरकोट परगना बढापुर की फसली 1358,1359,1360,1362 बस्ते मे उपलब्ध नही है।** इस प्रकार पूर्व से उपलब्ध छाया प्रति 1359 फसली खतौनी व तहसील अभिलेखागार मे उपलब्ध 1359 फसली खसरा के आधार पर वस्तु स्थिति निम्नवत है–

ग्राम– राजपुरकोट की 1359 फसली की खतौनी में कुल 8 गाटे दर्ज है जिनमें से 2 गाटे जंगलझाडीदार 01 गाटा तालाब व 05 गाटे सड़क खाम के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 831 बीघा 15 बिस्वा है। जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	2	जंगलझाडीदार	14	814–8–0	4	3	सड़कखाम	15	13–16–0
2	8	जंगलझाडीदार	14	0–3–0	5	4	सड़कखाम	15	0–9–0
योग				814–11–0	6	5	सड़कखाम	15	0–7–0
3	1	तालाब	15	1–12–0	7	6	सड़कखाम	15	0–18–0
			योग	1–12–0	8	7	सड़कखाम	15	0–2–0
						योग			15–12–0
कुल गाटे :– 8 कुल क्षेत्रफल :– 831 बीघा 15 बिस्वा									

वर्तमान की खतौनी में उपरोक्त खसरा नम्बरान में से कोई भी खसरा नम्बर उसकी मूल श्रेणी मे दर्ज नही है बल्कि सभी खसरा नम्बरान समय–समय पर हस्तांतरण व क्रय विक्रय के फलस्वरूप वर्तमान में श्रेणी 1 क के अन्तर्गत संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। ग्राम मे चकबंदी प्रकिया नही हुयी है।

ग्राम– राजपुरकोट की 1359 फसली की खतौनी में अंकित जंगलझाडीदार के 2 गाटो, जिनका क्षेत्रफल 814 बीघा 11 बिस्वा पर अमलदरामद अंकित है कि *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"*

सन् फसली– 1359 फसली पर अंकित आदेश *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर को पत्र संख्या– 425/एफ0एस0ओ0–2020 दिनांक– 18 अगस्त, 2020 प्रेषित कर इस प्रकार का आदेश सम्बन्धी पत्रावली की आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, तत्क्रम में सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर, वनप्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 419/25–14 दिनांक– 18.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि *"उक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान शासनादेशों के अनुसार कोई भी वनाधिकारी वन भूमि के सम्बन्ध में इस तरह का आदेश निर्गत करने के लिये सक्षम नहीं है।"*

पूर्व में प्रकरण से सम्बंधित अन्य ग्राम तेलीपाड़ा, शंकरपुर, मुर्तजाबाद व हल्लोवाली की विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी है, जिसके अन्तर्गत उपलब्ध सम्पूर्ण सुसंगत अभिलेखो की विवेचना के आधार पर कथित आदेश दिनांक 28.5.52 पूर्णतया कूटरचित, फर्जी, व छलसाधित पाया गया है उपरोक्त ग्रामो के सम्बन्ध मे पूर्व प्रेषित आख्या भी इस प्रकरण में सुसंगत व पठनीय है ।

1359 फसली तक जिमन–14 एवं जिमन–15 की जंगलझाडीदार, तालाब व सड़क खाम की भूमि पर किसी प्रकार का भी हक विवाद नही था। किसी भी तत्कालीन प्रचलित नियमो अधिनियमो की विधिक व्यवस्था या न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप इस प्रविष्टि का अंकन होना नही पाया गया है। लेखपाल द्वारा अंकित कूटरचित तरीके से इस प्रविष्टि को फर्जी होने के कारण इस पर आधारित बाद के वर्षो के सभी आदेश स्वतः विधि विरूद्व एवं शून्य प्रकृति के हो जाते है। संमिति द्वारा विस्तृत विवेचना में प्रश्नगत अमलदरामद *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* पूर्णतया विधि विरूद्व, अनियमित,फर्जी व छलसाधित पाया गया है।

संलग्नक–समिति की विस्तृत जॉच आख्या संलग्न है।

भवदीय
28/10/20
(अवधेश कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद, बिजनौर

जिलाधिकारी,
बिजनौर।
महोदय,

मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील– नगीना के ग्राम– तेलीपाडा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाडी, नदी–नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एंव एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि0 मौ0 कस्सावान, नगर व तहसील– बिजनौर का शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में जांच हेतु आदेश दिनांक–11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में पांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे।जॉच समिति मे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी),उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम),उपजिलाधिकारी नगीना व तहसीलदार नगीना सदस्य है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण से आच्छादित राजस्व ग्रामों में गहन जांच की जा रही है।

तहसील स्तर पर पूर्व से उपलब्ध छाया प्रति उद्वरण खतौनी 1359 फसली व खसरा 1359फसली ग्राम रातपुरकोट परगना बढापुर तहसील नगीना का अवलोकन किया गया तो अवलोकन से विदित हुआ कि ग्राम राजपुरकोट में कुल 8 खसरा नम्बरान है जिनका कुल रकबा 831 बीघा 15 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा ग्राम राजपुरकोट की 1359 फसली की उक्त खतौनी पर जंगलझाडीदार के खाता संख्या 01 रकबा 814 बीघा 11 बिस्वा के सापेक्ष विवरण कॉलम मे आदेश अंकित है कि ***"बाहुक्म 28.5.52 को जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।" ह0मूलचन्द पटवारी***

इससे पूर्व समिति द्वारा ग्राम तेलीपाड़ा, शंकरपुर,मुर्तजाबाद व हल्लोवाली की उपरोक्त प्रकरण में जॉच की गयी थी तथा राजस्व अभिलेखो के परीक्षण उपरान्त विस्तृत आख्या भी प्रेषित की जा चुकी है। ग्राम तेलीपाड़ा, शंकरपुर,मुर्तजाबाद व हल्लोवाली मे भी 1359 फसली की खतौनी पर उपरोक्त अमलदरामद कथित आदेश दिनांक 28.5.52 अंकित पाया गया था। इस प्रकार ग्राम राजपुरकोट भी एक ही नेचर का होने के कारण प्रकरण की गहन जॉच के लिये तहसीलदार नगीना के पत्र संख्या 600/रा0का0 दिनांक 23.10.2020 के माध्यम से प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार बिजनौर से ग्राम राजपुरकोट की उद्वरण खतौनी 1358 फसली,1359 फसली, 1360फसली,1362 फसली उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया तथा क्षेत्रीय लेखपाल श्री देवेन्द्र सिंह को अभिलेखागार भेजा गया। सम्बंधित पटवारी फण्ड पर कार्यरत पटल सहायक द्वारा आंख्या उपलब्ध करायी गयी **कि ग्राम राजपुरकोट परगना बढापुर की फसली 1358,1359,1360,1362 बस्ते मे उपलब्ध नही है।** इस प्रकार पूर्व से उपलब्ध छाया प्रति 1359 फसली खतौनी व तहसील अभिलेखागार मे उपलब्ध 1359 फसली खसरा के आधार पर वस्तु स्थिति निम्नवत है–

ग्राम– राजपुरकोट की 1359 फसली की खतौनी में कुल 8 गाटे दर्ज है जिनमें से 2 गाटे जंगलझाडीदार 01 गाटा तालाब व 05 गाटे सड़क खाम के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 831 बीघा 15 बिस्वा है। जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	2	जंगलझाडीदार	14	814–8–0	4	3	सड़कखाम	15	13–16–0
2	8	जंगलझाडीदार	14	0–3–0	5	4	सड़कखाम	15	0–9–0
योग				814–11–0	6	5	सड़कखाम	15	0–7–0
3	1	तालाब	15	1–12–0	7	6	सड़कखाम	15	0–18–0
			योग	1–12–0	8	7	सड़कखाम	15	0–2–0
						योग			15–12–0

कुल गाटे :– 8 कुल क्षेत्रफल :– 831 बीघा 15 बिस्वा

वर्तमान की खतौनी में उपरोक्त खसरा नम्बरान में से कोई भी खसरा नम्बर उसकी मूल श्रेणी मे दर्ज नही है बल्कि सभी खसरा नम्बरान समय–समय पर हस्तांतरण व क्रय विक्रय के फलस्वरूप वर्तमान में श्रेणी 1 क के अन्तर्गत संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। ग्राम मे चकबंदी प्रकिया नही हुयी है।

ग्राम– राजपुरकोट की 1359 फसली की खतौनी में अंकित जंगलझाडीदार के 2 गाटो, जिनका क्षेत्रफल 814 बीघा 11 बिस्वा पर अमलदरामद अंकित है कि ***"बाहुक्म 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"***

सन् फसली– 1359 फसली पर अंकित आदेश ***"बाहुक्म 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"*** के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर को पत्र संख्या–

425/एफ0एस0ओ0–2020 दिनांक– 18 अगस्त, 2020 प्रेषित कर इस प्रकार का आदेश सम्बन्धी पत्रावली की आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, तत्क्रम में सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर, वनप्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 419/25–14 दिनांक– 18.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि *"उक्त आदेश के संम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान शासनादेशों के अनुसार कोई भी वनाधिकारी वन भूमि के सम्बन्ध में इस तरह का आदेश निर्गत करने के लिये सक्षम नहीं है।"*

1359फसली के उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार किसी भी काश्तकार का काश्त भूमि पर वैद्य यां अवैद्य काश्तकारी नही थी। 1359 फसली के खसरे के अन्तर्गत किसी प्राकर की काश्त अंकित नही पायी गयी। उ0प्र0 भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33(3) मे रूप से प्राविधानित किया जा चुका था कि वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) मे कोई भी अंकन परिवर्तन या संव्यवहार बिना कलेक्टर के आदेश के अभिलिखित नही किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध मे वन विभाग से आख्या दिनांक 18.08.2020 मंगायी गयी उससे भी स्पष्ट है कि जंगलात आफिसर को कोई ऐसे अधिकर प्राप्त नही है। क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी विधि व्यवस्था मे उक्त प्रकार के प्रशासनिक आदेश को खतौनी (लोक अभिलेखों) मे अंकित करने का कोइ अधिकार नही है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत भी जंगलात आफिसर को इस प्रकार अधिकार प्रदान नही किये गये है। उ0प्र0भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 27 स्पष्ट करती है कि खतौनी व लोक अभिलेख एवं राज्य सरकार की सम्पत्ति स्वरूप है। इस पर बगैर नियमो की व्यवस्था के लेखपाल का अंकित प्रशासनिक प्रकृति का अमलदरामद एवं जंगल विभाग के अधिकारी का आदेश अवैध एवं फर्जी प्रकृति का समिति जॉच मे पाती है। कोई भी अधिकार लेखपाल को बगैर सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश का सीधे अंकन तत्कालीन प्रचलित विधि व्यवस्था में नही दिया गया था। उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि लेखपाल अथवा वन विभाग के जंगलात आफिसर को ऐसा आदेश अंकन/पारित करने का अधिकार नही रहा है।

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली खतौनी मे दर्ज जिमन 14 की जंगल झाडी के स्वत्व की भूमि पर जंगलात आफिसर को किसी न्यायालय या अधिकारी ने कोई अधिकार हक हित मालिकाना या अन्यथा के रूप मे नही दिया था जिससे वह जिमन–14 की ज़ंगलझाडी भूमि को काश्त करने के लिये अनुमति प्रदान करे। किसी भी विधि व्यवस्था मे नही है कि अवैद्यानिक आदेश को लेखपाल राजस्व अभिलेख खतौनी मे काश्त करने के लिये ग्राम की समस्त हजारो बीघा भूमि पर दर्ज करे। उक्त के कारण समिति का मन्तव्य है कि 1359 फसली की उक्त भूमि पर अंकित आदेश कूटरचित, अवैद्यानिक, अंनियमित एंव फर्जी प्रकृति का है। सार्वजनिक या सरकारी किसी भी प्रकार की भूमि पर जंगलात आफिसर को कोई अधिकार नही है कि वह काश्त करने के लिये व्यक्ति विशेष को दे सकें। समिति का मानना है कि यह एक कूट रचित अधिकार विहीन ,फर्जी प्रकृति का शून्य आदेश है।

परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि 1359 फसली की खतौनी मे जिमन 14 की जंगलझाडीदार नाम से दर्ज भूमि के विषेश विवरण में तत्कालीन लेखपाल द्वारा जंगलात आफिसर के काश्तकरने से सम्बंधित व्यक्ति विशेष के नाम का आदेश कूटरचित एवं फर्जी निम्न कारणो से है –

(क)– उ0प्र0 भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 4 (8) एवं 4 (9) मे दी गयी परिभाषा के क्रम मे जंगलात आफिसर न तो न्यायालय है और नही राजस्व अधिकारी है। जंगलात आफिसर का अगर कोई आदेश हो तो उससे खतौनी मे स्वत्व परिवर्तन के तौर पर अंकित नही किया जा सकता है।

(ख)– उ0प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम 1901 कीधारा 32 के तहत निर्मित अधिकार अभिलेख खतौनी मे जिमन–14 से जंगलझाडीदार के नाम से एंव जिमन–15 मे तालाब व सड़क खाम के नाम से ही अधिकार अभिलेख बना है। इस ग्राम की भूमि पर ऐसा एक भी काश्तकार नही था जो खेती करता हो या अन्यथा भूमि पर काबिज हो स्पष्ट है कि उक्त भूमि सदैव सार्वजनिक प्रकृति की रही है।

(ग)– उ0प्र0 भू0रा0 अधिनियम 1901 की धारा 33 मे स्पष्ट लिखा है कि कलैक्टर अधिकार अभिलेख को अनुरक्षण परिवर्तन या अन्य संव्यवहार कर सकता है जंगलात के अधिकारी ऐसे को अधिकार नही दिये गये हैं।

(घ)– जंगलात अधिकारी की हैसियत जिमन–14 जंगलझाडीदार की भूमि का भू स्वामी स्थायी या अस्थायी पटटेदार ठकेदार या अन्य किसी भी प्रकार के तत्कालीन काश्तकारी अधिकार देने की नही थी।

(ड)– उ0प्र0 काश्तकारी अधिनियम 1939 मे दी गयी व्यवस्था के तहत इन्हे सार्वजननिक ,उपयोगिता की भूमि को किसी भी व्यक्ति विशेष को काश्त पर देने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। यह ग्राम की भूमि पर किसी भी प्रकार कोई अधिकार नही रखते थे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त अंकित आदेश कृत्रिम.,जाली, असत्य, अधिकार विहीन एवं कूट रचित है। समिति अपने विशलेषण में पूर्णतः निसन्देह फर्जी पाकर शून्य मानती है। जैसा कि मा0सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर पारित विधि व्यवस्थाओ में अवधारित किया गया है कि खतौनी मे किये गये इन्दराजो को विधि संगत होना चाहिये यदि इन्द्राज लेखपाल द्वारा गलत किया गया या जालसाजी की गयी है या आदेश विधि संगत नही है कि ऐसा इन्द्राज विश्वसनीय नही हो

सकता है । तिलकधारी बनाम रामजी ने 1960 एंव ए0जे0 103 श्रीमति सोनवती बनाम श्री राम,ए0आई0आर0 1968 एस0सी0 100 ,विश्वविजय बनाम फखरूल हसन ,ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 1485)

ग्राम मे 1359 फ0 मे उ0प्र0जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नही थी तथा खतौनिया उ0प्र0 भूलेख नियमावाली के पैरा 124 मे दी गयी खेवट खातो के अंन्तर्गत भूमियो के कम मे दी गयी व्यवस्था के तहत जिमन 1 से लेकर 15 तक बनी है खतौनी के भाग अव्वल 1 नाम मालिकान श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर (1) अंकन के साथ जिमन (1)सीर मालिकान लगायत जिमन 13 तक की जोत नदारद अंकित है ।

पूर्व में प्रकरण से सम्बंधित अन्य ग्राम तेलीपाड़ा, शंकरपुर, मुर्तजाबाद व हल्लोवाली की विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी है, जिसके अन्तर्गत उपलब्ध सम्पूर्ण सुसंगत अभिलेखो की विवेचना के आधार पर कथित आदेश दिनांक 28.5.52 पूर्णतया कूटरचित, फर्जी, व छलसाधित पाया गया है उपरोक्त ग्रामो के सम्बन्ध मे पूर्व प्रेषित आख्या भी इस प्रकरण में सुसंगत व पठनीय है ।

1359 फसली तक जिमन–14 एवं जिमन–15 की जंगलझाडीदार, तालाब व सड़क खाम की भूमि पर किसी प्रकार का भी हक विवाद नही था। किसी भी तत्कालीन प्रचलित नियमो अधिनियमो की विधिक व्यवस्था या न्यायिक प्रकिया के अनुरूप इस प्रविष्टि का अंकन होना नही पाया गया है। लेखपाल द्वारा अंकित कूटरचित तरीके से इस प्रविष्टि को फर्जी होने के कारण इस पर आधारित बाद के वर्षो के सभी आदेश स्वतः विधि विरूद्व एवं शून्य प्रकृति के हो जाते है।

प्रश्नगत प्रकरण में जॉचोपरान्त श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि का ब्यौरा निम्नवत है

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा–बिस्वा – बिस्वांसी
1	2	जंगलझाडीदार	14	814–8–0	4	3	सड़कखाम	15	13–16–0
2	8	जंगलझाडीदार	14	0–3–0	5	4	सड़कखाम	15	0–9–0
योग				814–11–0	6	5	सड़कखाम	15	0–7–0
3	1	तालाब	15	1–12–0	7	6	सड़कखाम	15	0–18–0
			योग	1–12–0	8	7	सड़कखाम	15	0–2–0
						योग			15–12–0
कुल गाटे :– 8 कुल क्षेत्रफल :– 831 बीघा 15 बिस्वा									

मा0उच्चतम न्यायालय मे सिविल अपील संख्या 1132(सी)/2011 विशेष अनुज्ञा याचिकासंख्या सी 3109/2011 परिवर्तित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सी)19869/2010 जगपाल सिह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं अपील (सी)4787/2011,हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 25.07.2001 एवं रिट याचिका संख्या 6472(एम/बी)/2012 ओमप्रकाश वर्मा व अंन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओ के तालाब, पोखर,नदी, चारागाह आदि को उनके मूल रूप मे संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जनहित याचिका संख्या 1769/2019 दिनेशचन्द सचान बनाम उ0प्र0 राज्य व 5 अन्य मे मा0 उंच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.011.2019 के अन्तर्गत भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को मूल रूप में संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

समय समय पर उक्त श्रेणी 5 व 6 की भूमि के हस्तांतरण के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्त्यिो के नाम दर्ज हो गये हे किन्तु नियमतः श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि अहस्तांतरणीय है। अतः इस प्रकार श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को वर्तमान खतौनी के अनुसार दर्ज विभिन्न व्यक्त्यिो के नाम सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा निरस्त कर भूमि को उसकी मूल श्रेणी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

आख्या सेवा मे सादर प्रेषित है।

तहसीलदार, नगीना

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) बिजनौर

उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/ अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम) बिजनौर

23.10.20
उपजिलाधिकारी, नगीना

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बिजनौर।

कार्यालय तहसीलदार नगीना।

पत्रांक– 600 /र0का0. दिनांक– 23.10. 2020

प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार
बिजनौर।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि ग्राम राजपुर कोट परगना बढापुर तहसील नगीना, बिजनौर की सम्पूर्ण खतौनियों की नकल प्राप्त करने हेतु श्री देवेन्द्र सिंह लेखपाल तहसील नगीना को भेजा जा रहा है। जिनके हस्ताक्षर निम्नवत प्रमाणित है :—

क0	राजस्व ग्राम का नाम	फसली वर्ष
1	राजपुर कोट	1358,1359,1360,1362

अतः अनुरोध है कि श्री देवेन्द्र सिंह लेखपाल को ग्राम राजपुर कोट की सम्पूर्ण खतौनियों की नकल उपलब्धब कराने का कष्ट करे।

तहसीलदार
नगीना।
तहसीलदार
नगीना (बिजनौर)

प्रमाणित हस्ताक्षर
श्री देवेन्द्र सिंह लेखपाल

1..................................

2..................................

3..................................

तहसीलदार
नगीना।
तहसीलदार
नगीना (बिजनौर)

RRK

26.10.20

महोदय, ग्राम राजपुरकोट परगना बढापुर
की फसली 1358,1359,1360,1362 की खतौनी
उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

4.1PF
26-10-2020

R.R.K
26.10.2020

[illegible] 1359 [illegible]

[illegible]

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	[illegible]										
	[illegible]										
	[illegible] नं: १										
	[illegible]										
	[illegible]										
	[illegible]										
	[illegible]										
	[illegible]										
	[illegible]										
	[illegible]										
	[illegible]										
	[illegible]										
५	[illegible]		[illegible]				[illegible] 28 [illegible]				
			[illegible]								
	[illegible]		२ [illegible]								
	[illegible]										
	[illegible]										
	[illegible]										
	[illegible]										
2	[illegible]		[illegible]								
	[illegible]										

2	तालाब	१	९॥|२
	खेवट नः-2		
	मिलकियत सर्वसाधारण		
	[illegible]		
3	[illegible]	३	[illegible]
		४	।४
		५	।२
		६	[illegible]
		[illegible]	।२
		५	१५॥२

[illegible] पत्र का नं० 5406

आवेदक का नाम [illegible]

आवेदन पत्र का दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि तैयार होने का दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक [illegible]

स्टाम्प शुल्क [illegible]

शब्दों की संख्या 100

प्रतिलिपि कर्ता [illegible] मिलान कर्ता

सत्य प्रतिलिपि

30/12/14

प्रतिलिपि अधिकारी
राजस्व अभिलेख कक्ष
कलैक्ट्रेट, बिजनौर

Annexure-05

435/ADME/AL/2020

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या–1165 /एक–1–2020–रा0–1
लखनऊ:दिनॉक: 20 अक्टूबर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

जनपद बिजनौर के ग्राम–तेलीपाड़ा, जहानाबाद व राजपुर कोट, तहसील नगीना आदि ग्रामीण क्षेत्रों की जंगल, नदी, नाले व रास्तों आदि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि को फर्जी तरीके से व्यक्तिगत लोगों के नाम दर्ज कराकर कय–विकय के माध्यम से खुर्द–बुर्द करने की जांच जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बिजनौर की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय जांच समिति गठन करके करायी गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु जिलाधिकारी, बिजनौर के पत्र संख्या–546/सात–भूलेख, डी0एल0आर0सी0, दिनांक 27 अगस्त, 2020 की छायाप्रति संलग्न है।

2. राजस्व अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1032/एक–1–2020–रा0–1 दिनांक–15.09.2020 द्वारा जनपद बिजनौर के ग्राम–तेलीपाड़ा, जहानाबाद व राजपुर कोट, तहसील नगीना आदि ग्रामीण क्षेत्रों की जंगल, नदी, नाले व रास्तों आदि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि को फर्जी तरीके से व्यक्तिगत लोगों के नाम दर्ज कराकर कय–विकय के माध्यम से खुर्द–बुर्द करने की जांच करने हेतु आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया था।

3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के अनुरोध दिनांक–22.09.2020 के कम में राजस्व अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1032/एक–1–2020–रा0–1 दिनांक–15.09.2020 को निरस्त करते हुए उपरोक्त प्रकरण के जांच हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:–

1.	चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ	अध्यक्ष
2.	जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
3.	संयुक्त संचालक चकबन्दी, चकबन्दी विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
4.	जिला वन अधिकारी, बिजनौर	सदस्य

4. यह भी सूच्य है कि जांच समिति इस जांच में अपने सहयोग हेतु किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का सहयोग लेने के लिए अधिकृत होगी तथा जांच समिति का यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकरण की जांच 01 माह के भीतर पूर्ण कराकर अपनी जांच आख्या शासन को प्रस्तुत करेगी।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

–2–

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3- आयुक्त, चकबन्दी विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, बिजनौर।
5- संयुक्त संचालक चकबन्दी, मुख्यालय लखनऊ।
6- जिला वन अधिकारी, बिजनौर (द्वारा-जिलाधिकारी, बिजनौर)
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।